लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

Conservation Unit
14-10-92

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 24 फरवरी, 1978/5 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 5, *Friday, February* 24, 1978/*Phalguna* 5, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 67	Starred Questions Nos. 62 to 67	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 और 68 से 80 . .	Starred Questions Nos. 61 and 68 to 80	16—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 551 से 638 और 640 से 750 .	Unstarred Questions Nos. 551 to 638, and 640 to 750	24—139
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	Papers laid on the Table	139—143
सिडनी में हुई राष्ट्रमंडलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य .	Statement by Prime Minister *re.* his participation in the Commonwealth Heads of Governments Regional Meeting held at Sydney	143—145
श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai	143—145
आकाशवाणी द्वारा लोक सभा की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण के बारे में घोषणा	Announcement *re.* Reporting of Proceedings of the House by A.I.R.	145—146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
गुड़, गन्ना, रूई और सरसों के मूल्यों में गिरावट तथा मिल मालिकों द्वारा करार का उल्लंघन	Reported fall in prices of Gur, Sugarcane, Cotton and mustard and breach of agreement by the Sugar mill owners	146—150
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	146, 148—149
श्री भानुप्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	146—148
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	149—150
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	Shri Rajendra Kumar Sharma	150
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati	150
सभा का कार्य	Business of the House	151
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	151

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 255 के 2 दिसम्बर, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Statement *re.* Correction of Answer to S. Q. No. 255 dated 2nd December, 1977 *re.* Fish Catch from Coastal Areas of Tamil Nadu and Kerala	151
श्री कृष्ण कुमार गोयल	Shri Krishna Kumar Goyal	151
चीनी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 533 के 23 दिसम्बर, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Statement *re.* Correction of Answer to S. Q. No. 533 dated 23rd December, 1977 *re.* Visit of Chinese Delegation to India	151—152
श्री कृष्ण कुमार गोयल	Shri Krishna Kumar Goyal	151—152
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	152
रबड़ बोर्ड	Rubber Board	152
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	152
(एक) मुरैना जिले के बनमौर सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को सेवा से निकालने का कथित समाचार	(*i*) Reported Dismissal of workers in Banmaur Cement Factory in Morena District	152—153
(दो) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को कथित भारी अग्रिम राशि देने का मामला	(*ii*) Reported Huge Advances by the Central Bank of India to Kohinoor Mills Limited	153
(तीन) अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध	(*iii*) Restrictions on Inter-State Trade	153—154
(चार) सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करके एक एयरबस के बम्बई हवाई अड्डे से रवाना होने का कथित समाचार	(*iv*) Reported Taking off an Airbus from Bombay Airport in violation of Security Regulations.	154
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव :	Motion of Thanks on the President's Address—	154—156
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	154—156
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	156
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	Committee on Private Member's Bills and Resolution	156
11 वां प्रतिवेदन	Eleventh Report adopted	156
विधेयक पुरःस्थापित ––	Bills Introduced—	
(1) बन्दियों का अमानवीय यातनाओं से संरक्षण विधेयक (श्री सौगत राय का)	(1) Protection of Prisoners from Third-Degree Methods Bills by Shri Saugata Roy	157
(2) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, (श्री ओम प्रकाश त्यागी का) (धारा 13 का संशोधन)	(2) Hindu Marriage (Amendment) Bill (Amendment of section 13) by Shri O. P. Tyagi	157

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री ओम प्रकाश त्यागी का) अनुच्छेद 217 का संशोधन)	(3) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 217) by Shri O. P. Tyagi	157
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री उग्रसेन का) (अनुच्छेद 19 का संशोधन)	(4) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 19) by Shri Ugrasen	158
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री शरद यादव का) (नए अनुच्छेद 23क, 23ख, आदि का अन्तःस्थापन)	(5) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B etc.) by Shri Sharad Yadav)	158
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (श्री ओम प्रकाश त्यागी का) (अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)	(6) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124 and 217) by Shri O. P. Tyagi.	158—159
(7) होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 1978 (डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का)	(7) Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) by Dr. Laxminarayan Pandeya	159
(8) खान (संशोधन) विधेयक, 1978 (धारा 3 का संशोधन) (डा० बसंत कुमार पंडित का)	(8) Mines (Amendment) Bill (Amendment of Section 3) by Dr. Vasant Kumar Pandit	159—160
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक, वापिस लिया गया	National Holiday on Netaji Subhas Chandra Bose's Birthday Bill—*Withdrawn*	160—166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	160
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan	160
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	160—161
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	161
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	161—162
श्री राज कृष्ण डान	Shri Raj Krishna Dawn	162
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri S. K. Sarkar	163
श्री सैयद काजिम अली मिर्जा	Shri Syed Kazim Ali Meerza	163—164
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	164
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman	164
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	164—165
श्री समर गुह	Shri Sumar Guha	165—166
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) विधेयक—वापस लिया गया	Andaman and Nicobar Islands (Alteration of Name) Bill—*Withdrawn*	166—167

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	166
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	166—167
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	167
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन) के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 352)	168
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	168
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 352)	168—170
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	168
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	168
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	168—170

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1978/5 फाल्गुन, 1899 (शक)
Friday, February 24, 1978 / *Phalguna* 5, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बड़ी राशि के मुद्रा नोट देने वालों की घोषणाओं की जांच

*62. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री० सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप बड़ी राशि के मुद्रा नोट देने वाले लोगों की घोषणाओं की जांच का प्रथम परिणाम क्या है ;

(ख) कितनी घोषणाओं को प्रथम दृष्टि से ऐसा पाया गया जो अलेखाबद्ध धन से संबंधित थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश की अर्थ व्यवस्था पर विमुद्रीकरण के अच्छे प्रभाव के ठोस प्रमाण क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख) घोषणा की छानबीन अभी भी की जा रही है । अब तक प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि कई मामलों में कर की काफी चोरी हुई है। आगे जांच की जा रही है । छुपी आय पर कर वसूल करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी जहां आवश्यक होगा दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

(ग) ऊचे मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : लिखित उत्तर में बताया है गया है कि अब तक प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि कई मामलों में कर की काफी चोरी हुई है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मात्रा में कर की चोरी हुई है और ऐसे मामलों की संख्या क्या है । क्या मंत्रीजी कुछ नाम बतायेंगे और लगभग कितने रुपये की कर की चोरी की गई है ?

श्री एच० एम० पटेल: इसकी अभी जांच की जा रही है और मेरे विचार में नाम बताना ठीक नहीं होगा ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या मंत्री जी कुछ नाम बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह अभी नाम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी अभी जांच की जा रही है ।

श्री एच० एम० पटेल : कुछ एक ऐसे मामले हैं जिनकी जांच करना हमने आवश्यक समझा। तुरन्त यह नहीं कहा जा सकता कि उनके विरुद्ध मामला सिद्ध हो गया है यह सन्देह का मामला है कि कुछ मामलों में कर की चोरी की गई है। तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है । इस समय मुझ से इन व्यक्तियों के नाम पूछना उचित नहीं है ।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : कुछ समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार मामले का बहुत पहले पता चल गया था और कुछ धनी व्यक्तियों ने अपने हजार रुपये और पांच हजार रुपये के नोटों को सौ रुपये के नोटों में बदलवा लिया था और सरकार की ओर से किसी व्यक्ति ने भी इन रिपोर्टों की सत्यता का खंडन नहीं किया। क्या सरकार का प्रस्ताव 100 रुपये के नोटों का अवमूल्यन करने का है ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सरकार का ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बारे में पहले किसी को कुछ पता नहीं लगा । इस बारे में मेरा निश्चित मत है। हमारी सूचना के मुताबिक यह बिल्कुल अचानक हुआ। यदि आपकी जानकारी के मुताबिक ऐसा हुआ है तो आप हमें बतायें ताकि हम कार्यवाही कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से बड़े नोट किसी तरह छोटे नोटों से बदल लिये गये, यह उनका प्रश्न है।

श्री एच० एम० पटेल : मालूम नहीं कि बड़े नोट किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के हाथों में गये और बदले गये ।

SHRI RAMJIWAN SINGH : May I know whether Government are aware that despite demonetisation of high currency notes, there is huge black money in the country and if so, the measures being contemplated to unearth it ?

श्री एच० एम० पटेल : हमें मालूम नहीं कि देश में काला धन कितना है।

श्री चित्त बसु : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आयकर विभाग बड़ी राशि के मुद्रा नोट जमा कराने वाले व्यक्तियों की सद्भावनाओं की जांच करता है और क्या आय कर विभाग को तीन महीने की निर्धारित अवधि में जांच पूरी करने के लिये निदेश दिया गया है ? इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयकर विभाग ने ऐसी जांच की है और यदि हां, तो कितने मामलों की जांच की और उनका क्या परिणाम रहा।

श्री एच० एम० पटेल : इस प्रकार की जांच में समय लगेगा, इन मामलों में कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती । हम केवल यह कह सकते हैं कि इसे यथा शीघ्र पूरा किया जाये। इन घोषणाओं की प्रतियां आयकर अधिकारियों के पास जाती हैं। वे उनकी जांच करेंगे और आगे आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR : May I know whether Government have information about the number of one thousand rupee and five thousand rupee notes which have

not been encashed and whether Government have also a list of persons having these big notes with them and did not encash them so far? What is being done about these notes and whether any further investigation will be made?

Whether Government propose to domonetise the hundred rupee notes also inorder to unearth black money in the country?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । आप पहले प्रश्न का उत्तर दें।

श्री एच० एम० पटेल : जो बड़े नोट अभी तक वापस नही दिये गये उनका चलन बंद हो गया है । अत: उनकी कोई कीमत नही रह गई है। जिन व्यक्तियों ने ये बड़े नोट अभी तक वापस नही किये यदि वे आज ऐसा करते हैं तो वे केवल अन्य कागजों के बराबर है। उनकी कोई कीमत नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव : सरकुलेशन में कितने नोट थे और कितने नोट वापस नहीं किए गए ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह नहीं बता सकता कि कितने नोट वापस नहीं किए गए । परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि कितने बड़े नोट सरकुलेशन में थे । 120 करोड़ रुपए के हजार रुपए के नोट, लगभग 10 करोड़ रुपए के पांच हजार रुपए के नोट और थोड़ी सी राशि के दस हजार रुपए के नोट थे । ये कुल मिलाकर 146 करोड़ रुपए के थे । मैं यह नहीं बता सकता कि इन तीनों प्रकार के कितने-कितने नोट वापस किए गए ।

श्री कर्ण सिंह : कितने वापस किए गए ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अन्तिम आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं और इस कारण मैं यह जानकारी देने में असमर्थ हूं।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR : I had also asked whether Government have got the list of the persons having these notes and if so, the action being taken against them?

श्री एच० एम० पटेल : लोगों द्वारा वापस किए गए नोटों की कुल कीमत 61 करोड़ रुपए है ।

श्री के० राममूर्ति : सरकार ने काले धन को कम करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह कदम उठाया है । मेरे विचार में इसके वांछनीय परिणाम नहीं निकले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हजार रुपए, पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए के नोटों की घोषणा के बाद और नोटों के वापस किए जाने की कोई सम्भावना है और क्या सरकार जिन लोगों के पास अभी नोट है उन्हें वापस करने के लिए और समय देगी ?

श्री एच० एम० पटेल : नही ।

SHRI PHIRANGI PRASAD : May I know the total number of high currency notes in circulation and the categorywise number out of them which have been surrendered? Whether it is a fact that the rich persons having huge money with them in their homes and have thought of changing these big notes through middle class people on payment of commission?

श्री एच० एम० पटेल : यह संभव है कि लोगों ने छोटे व्यक्तियों को थोड़े से ऐसे नोट देकर बदलवा लिए हों परन्तु निर्धारित फार्म में प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे ये नोट कहां से मिले और उसने ये नोट क्यों अपने पास रखे थे । अत: इनकी जांच करने पर हमें तथ्यों का पता चल जाएगा और बदले में उन्हें दूसरे नोट नहीं दिए जाएंगे ।

हवाई अड्डों पर त्रुटिपूर्ण उपकरणों के कारण विमान दुर्घटनायें होना

*63. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों पर लगे त्रुटिपूर्ण उपकरण अधिकांशतः बड़ी संख्या में विमान दुर्घटनाओं तथा दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हवाई अड्डों पर लगे उपकरणों की उनके काम में यदि कोई त्रुटि हो तो उसका पता लगाने के लिए निरन्तर जांच की जाती है । यदि कोई उपकरण ठीक काम न करता हो तो मरम्मत के लिए त्रुटिपूर्ण उपकरण को वहां से हटा लिया जाता है तथा उसके स्थान पर कार्यक्षम उपयोगी उपकरण लगा दिया जाता है ।

श्री आर० कोलनथाइवेलु : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि यह त्रुटिपूर्ण उपकरणों के कारण नहीं है । क्या यह हवाई जहाज़ों में खराब इंजनों या चालकों की अकुशलता या देश में चालकों को ठीक प्रशिक्षण न देने के कारण है ? हवाई अड्डों के उपकरणों को सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या मंत्रालय के समक्ष कोई सुझाव दिया गया है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : 1973 से अब तक हुई 114 महत्वपूर्ण दुर्घटनाओं में से कोई भी दुर्घटना जांच न्यायालय या जांच समिति या दुर्घटना निरीक्षक के अनुसार उपकरणों की खराबी के कारण नहीं हुई । दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालक की गलती या खराब मौसम या ऐसी अन्य बातें हो सकती हैं। जहां तक वर्तमान उपकरणों को सुधारने का सम्बन्ध है, तीन समितियां बनाई गई हैं। प्रथम सहगल समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लगे उपकरणों की जांच की । खोसला समिति ने देश के अन्दर हवाई अड्डों पर लगे उपकरणों की जांच की। टाटा समिति ने पहली दो समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच की । उन्हें यह सुझाव देने के लिए कहा गया कि कौन से उपकरण खरीदे जाएं और कौन से धीरे-धीरे हटाए जाएं । टाटा समिति ने सिफारिश की कि 60.37 करोड़ रुपए के उपकरण कई वर्षों में धीरे-धीरे हटाए जाए हमने 3.21 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने का आर्डर दे दिया है, जो अभी तक पेंडिंग है । इसके अलावा 11.15 लाख रुपए के उपकरण विचाराधीन हैं। इस तरह हम पुराने उपकरणों को बदल कर नए उपकरण लगा रहे हैं।

श्री आर० कोलनथाइवेलु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु में सेलम मे एक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

डा० कर्ण सिंह : सभी हवाई अड्डों पर उपकरणों का महत्व है, परन्तु विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय यातायात भारी होता है । अतः भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण इन चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधुनिक टर्मिनल बनाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि यहां पर उपलब्ध सुविधाएं

विश्व में उपलब्ध उत्तम सुविधाओं के बराबर हों । क्या मंत्री जी बताएंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण चुप क्यों बैठ गया है ? नए टर्मिनल बनाने के सभी प्रस्तावों का क्या हुआ क्योंकि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का सम्बन्ध है, हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं ? क्या वह सदन को आश्वासन देंगे कि वह उन प्रस्तावों को पुनः चलाएंगे और देखेंगे कि ये चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाए जा सकें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं आश्वासन देता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण पीछे नही रहा है । यह अपना कार्य कर रहा है और माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि जहां तक दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधुनिक उपकरण लगाने का सम्बन्ध है, यह छठी योजना में लिया जा रहा है । अन्य हवाई अड्डों पर उपकरण लगाना संसाधनों पर निर्भर करता है और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के बारे में हम यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

श्री अनन्त दवे : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यदि कोई उपकरण ठीक काम न करता हो तो मरम्मत के लिए त्रुटिपूर्ण उपकरण को वहां से हटा लिया जाता है तथा उसके स्थान पर कार्यक्षम उपयोगी उपकरण लगा दिया जाता है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में त्रुटिपूर्ण उपकरण हटाए गए और किन हवाई अड्डों पर इस प्रकार की मरम्मत की गई ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि त्रुटिपूर्ण उपकरणों के कारण कोई दुर्घटना नही हुई ।

श्री अनन्त दवे : उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि त्रुटिपूर्ण उपकरण हटा लिए गए हैं । उन्होंने यह बात स्वीकार की है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह सतत प्रक्रिया है । जब हम देखते हैं कि उपकरण खराब हो गया है, हम उसे हटा लेते हैं । मैं बता चुका हूं कि हम किस प्रकार पुराने उपकरणों को धीरे-धीरे नए उपकरणों से बदल रहे हैं ।

SHRI YUVRAJ : It is correct that remedial steps have been taken to check air accidents. But may I know whether any air accident was caused due to defective equipment ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I have already stated that out of the 114 accidents none of them was attributed to the malfunctioning of navigable aids.

श्री ए० सुन्ना साहिब : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी हवाई अड्डों पर ट्रैकिंग रडार लगाए गए हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता । परन्तु आई० सी० ए० ओ० स्तर के अधीन जो आवश्यक उपकरण है वे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लगाए गए हैं और डी० जी० सी० ए० के स्तरों के अनुसार देश के अन्य हवाई अड्डों पर लगाए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने सभी हवाई अड्डों पर ट्रैकिंग रडार लगाए हैं ?

श्री ए० सुन्ना साहिब : मौसम रडार और ट्रैकिंग रडार दोनों ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह प्रसन्नता की बात है कि त्रुटिपूर्ण उपकरणों के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भगवान की कृपा से बहुत सी

दुर्घटनाएं होते-होते बच गई और मैं उन्हें बता दूं कि अहमदाबाद सहित भारत में कई हवाई अड्डों पर कई बातों का अभाव है । यह कहना एक बात है कि "उचित उपकरण नहीं है" और यह कहना अलग बात है कि "अपर्याप्त उपकरण" हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह अहमदाबाद से आने-जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के बारे में सन्तुष्ट हैं ? क्या यह सच है कि उनमें से कुछ उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और असन्तोष जनक हैं ? क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम अधिक और बेहतर उपकरण लगा रहे हैं ।

ऋण प्रयोजन के लिए विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों के समान माना जाना

*64. **श्री एस० जी० मुरूगय्यन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों पर से वे प्रतिबन्ध उठा लिए हैं जो उन पर देश में काम कर रही विदेशी कम्पनियों को ऋण देने के बारे में लगे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सभी विदेशी कम्पनियों को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत "नानरेजीडैन्ट इन्टरेस्ट" घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया है, ऋण प्रयोजनों के लिए भारतीय कम्पनियों के समान मानने का निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं । देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को अग्रिम देते समय वाणिज्यिक बैंकों को ऋण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मानदंडों का ध्यान रखना पड़ता है । किन्तु अब तक ये अग्रिम वार्षिक आधार पर और इस शर्त पर दिए गए कि इन कम्पनियों के आवेदनों पर अंतिम निर्णय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत होगा । चूंकि अनुच्छेद 28 और 29 के अन्तर्गत पहले ही बहुत से आवेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है, अतः अधिकृत विक्रेताओं को अनुमति दे दी गई है कि वे रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना ही ऋण/ओवरड्राफ्ट मंजूर कर सकते हैं किन्तु ऐसा करने से पूर्व उन्हें आवश्यक पड़ताल और ऋण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रयोग करना होगा ।

(ग) और (घ) जी, हां । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26 (7) के उपबंधों द्वारा विदेशी कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋणों और उनके पास जमा कराई जाने वाली रकमों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे उन कम्पनियों पर लागू नहो होते जिनमें अनिवासी शेयर 40 प्रतिशत से कम हों ।

श्री एल० जी० मुरूगय्यन : क्या रिजर्व बैंक विदेशी कम्पनियों, जिन्होंने अभी तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया, को ऋण तथा ओवर-ड्राफ्ट की सुविधाएं देने की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी कम्पनियां हैं और उनके मामलों को निपटाने सम्बन्धी विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : जैसे कि मैं अपने पूर्व उत्तर में कह चुका हूँ यह अनुमति उस समय तक प्रतिवर्ष दी जाती है जब तक रिजर्व बैंक धारा 28 तथा 29 के अन्तर्गत अपनी

स्वीकृति प्रदान नहीं करता । इन कम्पनियों के भारतीयकरण होने पर और विदेशी शेयरों की संख्या 40 प्रतिशत से कम होने के बाद इन्हें रिज़र्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती । उसके बाद वे सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत चलती हैं और ऋण व ओवर ड्राफ्ट ले सकती हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : बैंकों द्वारा दिए जा रहे धन के बारे में बैंकों की क्या नीति है ? आपने कहा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करके हम विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे हमारे धन तथा अग्रिम धन का उपयोग कर रहे हैं, क्या सरकार इस समस्या से अवगत है ? क्या विदेशी कम्पनियों पर उद्योगों के लिए हमारा धन उपयोग में लाने के बजाए अपने साधनों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न प्रसांगिक नहीं है । ये स्थापित कम्पनियां हैं, प्रश्न इस देश में स्थापित कम्पनियों द्वारा ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के बारे में है क्योंकि वे अनेक प्रकार की शर्तें पूरी करते हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं केवल 40 प्रतिशत से कम शेयरों वाली कम्पनियों के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, 60 प्रतिशत शेयरों वाली भी कई कम्पनियां हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह कह रहा हूं कि अब तक इस देश में स्थापित कम्पनियां बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती हैं । अन्तर इतना है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें रिजर्व बैंक से स्वीकृति लेनी पड़ती है और यह स्वीकृति प्रति वर्ष उस समय तक दी जाती है जब तक वे रिजर्व बैंकों के निदेशों का पालन नहीं करते । जिस समय वे ऐसा करने में सफल होती हैं, तो वे भारतीय कम्पनियां बन जाती हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया है । मैं यही जानना चाहता हूं यदि आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस तर्क पर आमंत्रित किया है कि वे इस देश में विदेशी धन लगाएंगी तो उनके द्वारा उद्योगों के लिए भारतीय धन लगाने के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री एच० एम० पटेल : किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को आमंत्रित नहीं किया गया है ।

श्री डी० एन० तिवारी : सर्विसिंग के नाम पर इस देश में कई विदेशी कम्पनियों की शाखाएं हैं लेकिन वास्तव में वे व्यापार करके अपने देशों को धन भेज रही हैं । क्या इस प्रकार की कम्पनियों को भी ऋण दिया जाता है ?

श्री एच० एम० पटेल : वे सामान्य रूप से बैंकों से पैसा ले सकती हैं ।

डा० हेनरी आस्टिन : कहा गया है कि विदेशी कम्पनियां ऋण नीति के सम्बन्ध में हमारे उद्यमियों तथा स्वदेशी कम्पनियों के साथ भेदभाव करती हैं । क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ? क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विदेशी बैंक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को तो ऋण दे रहे हैं लेकिन वे स्थानीय कम्पनियों को पर्याप्त ऋण नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है आप उनके द्वारा ऋण देने की बात कह रहे हैं ।

डा० हेनरी आस्टिन : यह इसी समस्या के व्यापक पहलू से सम्बन्धित है ।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी बैंक इस देश में ऋण देने के मामले में भेदभाव कर रहे हैं ।

इंजीनियरी के माल का निर्यात लक्ष्य

465. श्री सौगत राय : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि बम्बई क्षेत्र में लम्बे समय से चले आ रहे श्रमिक असंतोष के कारण इस वर्ष इंजीनियरी के माल के निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) तथा (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1977 के दौरान इंजीनियरी उत्पादों के 430 करोड़ रुपए के निर्यात होने का अनुमान है, जबकि 1976 की उसी अवधि में 363 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे । दिसम्बर, 1977 तक निर्यातों का समायोजन करने के बाद 494.45 करोड़ रुपए की निवल शेष संविदाएं थी, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के लिए 459.33 करोड़ रुपए की थीं ।

अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 1977-78 के लिए निर्धारित 6.50 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा । इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का मत है कि डालर विनिमय के घटने-बढ़ने के कारण रुपए की प्राप्ति में कमी होने से निर्यात आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही है तो उसके लिए बम्बई क्षेत्र में श्रमिक स्थिति को उत्तरदायी बताना सही नहीं होगा ।

श्री सौगत राय : मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय का उत्तर टालने वाला है । इन्जीनियरिंग निर्यात का राष्ट्रीय औसत 55 करोड़ रुपए है जिसमें से पश्चिमी क्षेत्र का भाग 30 करोड़ रुपए है । इसमें गिरावट आती जा रही है और दिसम्बर में इसमें 20 करोड़ रुपए की गिरावट आई है । अक्तूबर तक लक्ष्य से 50 करोड़ रुपए की कमी रही है और उस समय से स्थिति बिगड़ती ही जा रही है । इस दृष्टि से यह आशा रखने का क्या आधार है कि वर्ष के अन्त तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : जैसे कि उत्तर में कहा गया है, दिसम्बर 1977 तक हमने 494 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था । इन्जीनियरिंग उद्योग का सारे वर्ष के लिए 650 करोड़ रुपए का लक्ष्य है । वर्तमान उत्पादन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव है । लेकिन बम्बई में हड़ताल न होती तथा श्रम स्थिति ऐसी न होती जैसी अब है तो हम इस लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर लेते ।

श्री सौगत राय : मैं अपनी मूल बात कहता हूं कि उत्पादन गिर गया है । इससे पहले हमने देखा है कि यदि किसी निर्यातोन्मुखी उद्योग में श्रमिक अशांति होती तो वाणिज्य मंत्रालय हस्ताक्षेप करता था । पटसन हड़ताल के समय भी वाणिज्य मंत्रालय ने पटसन कारखाने के मालिकों और मजदूरों के बीच बातचीत कराने में सीधी रुचि ली थी । जब लारेन एण्ड टुबरो जैसी बम्बई की बड़ी-बड़ी कम्पनियां बंद हो जाएं और जब जनता पार्टी के एक सदस्य ने सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखा कि इस हड़ताल से समूचे इन्जीनियरिंग उद्योग को क्षति पहुंच रही है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री, मजदूर संघों तथा मिल मालिकों से बातचीत करने तथा इस झगड़े को निपटाने के लिए कोई पहल की है ?

श्री मोहन धारिया : मैंने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से दो या तीन बार बातचीत की है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला श्रम अथवा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है । जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है । वह पहले ही से वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रहा है और उसमें पहल करना मेरे लिए स्वभाविक ही था । ये उद्योग श्रम मंत्रालय के अधीन हैं लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में सम्बन्धित मंत्रियों, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री से बातचीत की है और उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करें ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : इन्होंने कुछ सच्ची बातें कही हैं लेकिन उन्हें मंत्रालय के पक्ष में कोई बात नहीं करनी चाहिए । श्री सौगत राय विपक्ष में हैं और इस मामले में मैं उनका समर्थन करना चाहूंगा । देश में अनुचित हड़तालों के कारण उत्पादन में बहुत कमी हुई है। थाना-बेलापुर क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की उत्पादन की हानि हुई है । मंत्री जी कह सकते हैं कि लक्ष्य पूरे हो गये हैं लेकिन यदि हड़ताल न होती तो इससे अधिक भी कुछ किया जा सकता था । अतः हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितनी लागत के उत्पादन की हानि हुई है ?

श्री मोहन धारिया : यह मामला मेरे से सम्बन्धित नहीं है । और फिर मुझे इसके लिए नोटिस की आवश्यकता भी है ।

STEPS TO REALISE ARREARS OF TAXES

*66. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of arrears of taxes during 1976-77;

(b) the steps being taken by Government to realise these arrears; and

(c) the reasons for delay in realising these arrears ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है ।

विवरण

31-3-1977 की स्थिति के अनुसार आयकर (निगम-कर सहित) की बकाया

रकम	.	873.56 करोड़ रुपए (सकल) 569.84 करोड़ रुपए (शुद्ध)
धन कर	.	52.75 करोड़ रुपए (सकल) 33.82 करोड़ रुपए (शुद्ध)
दान कर . . .		5.89 करोड़ रुपए (सकल) 3.91 करोड़ रुपए (शुद्ध)
सम्पदा शुल्क . .		15.56 करोड़ रुपए (सकल) 9.23 करोड़ रुपए (शुद्ध)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	.	122.47 करोड़ रुपए
सीमा शुल्क . .		6.64 करोड़ रुपए
विदेश यात्रा कर . . .		64.21 लाख रुपए

प्रत्यक्ष करों की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा, प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी विभिन्न कानूनों के उपबन्धों के अनुसार, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं, जिनमें बाकीदार की ओर बकाया धन की अधिग्रहण, अचल और चल सम्पत्तियों का अधिग्रहण, कर की अदायगी नहीं किए जाने के कारण दण्ड लगाना, और कर की विलम्ब से की गई अदायगी पर व्याज लगाना, शामिल है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया की वसूली के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें, अधिकारियों के विशेष दस्तों द्वारा बकाया रकम की वसूली का अभियान, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मामलों के बारे में शीघ्र न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही और अपीलों/नजरसानी की दरख्वास्तों के शीघ्र निपटान के लिए उपाय, तथा राज्यों के राजस्व-प्राधिकारियों के माध्यम से बकाया की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र कार्यवाही शामिल है । सीमा-शुल्क की बकाया की वसूली के लिए भी इसी प्रकार की प्रमाण-पत्र कार्यवाही करनी पड़ती है ।

प्रत्यक्ष-कर-कानून के अन्तर्गत बकाया रकम की वसूली करने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) दोहरे कराधान राहत सम्बन्धी निर्णय के लिए रुकी पड़ी रकमें ;

(ii) ऐसी कम्पनियों की तरफ बकाया रकमें, जिनका परिसमापन किया जा रहा है ;

(iii) ऐसे व्यक्तियों की ओर बकाया रकमें जो या तो भारत से चले गए है अथवा जिनका पता नहीं चल सका है ;

(iv) ऐसी रकमें, जिनके विरुद्ध अपीलें की गई हैं ; और

(v) ऐसी रकमें जिनकी वसूली की प्रक्रिया चल रही है अर्थात् जिन के बारे में परि-सम्पत्तियों का अधिग्रहण तो किया जा चुका है लेकिन, उन्हें अभी तक विभिन्न कारणों से बेचा नहीं गया है ।

केन्द्रीय विभिन्न शुल्क की बकाया को वसूल करने में बिलम्ब का मुख्य कारण, मामलों का न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही, अपीलों/नजरसानी की दरख्वास्तों अथवा अदालतों में अनिर्णीत पड़ा रहना है जबकि सीमा शुल्क की बकाया को वसूल करने में विलम्ब मुख्यत: इसलिए होता है कि अदालतों की लम्बी कार्यवाही के कारण होने वाले विलम्ब के अलावा, प्रमाण-पत्र कार्यवाही के जरिए होने वाली वसूली भी बहुत धीमी गति से होती है ।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Government reveal the name of the industrial house against which there is biggest amount of arrears ?

श्री एच० एम० पटेल : खेद है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं । प्रश्न यह है : (क) 1976-77 में करों की बकाया राशि कितनी है, (ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : भाग (ख) भी है । आपको उत्तर देना चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल : अब मुझे जानकारी मिल गई है । बाजोरिया-जालान ग्रुप की एक कम्पनी हावड़ा ट्रेडिंग कम्पनी की तरफ 26 करोड़ रु० की राशि है । आप चाहें तो मैं सूची दे सकता हूं ।

श्री सौगत राय : यह महत्वपूर्ण मामला है । इसे यूं ही न टाला जाये ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या आपको सभी नाम चाहिएं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सूची लम्बी हो तो उसे सभा पटल पर रख दिया जाये ।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे 63 मामले हैं जिनमें बकाया राशि 10 लाख से ऊपर है ।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Government fix any time limit to recover the dues from the persons who are in arrears and whether Government propose to attach their property if the amount is not paid within the stipulated period ?

श्री एच० एम० पटेल : सम्पत्ति जब्त करने आदि के उपाय साधारणतया किये जाते हैं लेकिन हमें कानून के अधीन क्रमानुसार ही चलना है । विवरण में मैंने किये जाने वाले उपाय बता ही दिये हैं । पहले कर वसूली के लिये मांग सूचना (डिमांड नोटिस) जारी किया जाता है और उसके लिए कुछ समय दिया जाता है । उसके बाद सम्पत्ति जब्त करना या कर न देने वाले की अचल सम्पत्ति बेचने का उपाय है । अधिकांश लोगों के सम्बन्ध में थे उपाय किये गये हैं लेकिन हमें हर हालत में कानून के अनुसार ही चलना है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May I know whether the Hon. Minister is aware that the arrears exceed one crore rupees in respect of 43 cases and thus the amount totals upto Rs. 250 crores. This amount has been in arrears for the last 3 to 11 years. Sir, there are arrears exceeding one crore rupees against these big people. May I know from the hon. Mnister whether action has been taken against any one of these 43 cases when you have authority to prosecute them, to attach their property and to haul them up under the Income-Tax Act. If not, what are the reasons therefor ?

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय को ज्ञात होगा कि सभी मामलों में ये सभी उपाय किये जाते हैं लेकिन यह भी पता होना चाहिये कि सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय में जाकर रोकादेश भी ले सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विधि के उपबंधों को लागू करने में क्या कठिनाईया हैं वह ये बता रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या इन 43 मामलों में से किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का नोटिस जारी किया गया है ? और क्या इनमें से किसी की सम्पत्ति जब्त करने का नोटिस भी दिया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : इन 43 के बारे में नहीं कह सकता। **(व्यवधान)**। लेकिन यदि सभा इसकी जानकारी चाहती है तो मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

SHIR ROOP NATH SINGH YADAV : Will the hon. Minister state as to why these big people are let off while even the small farmers and the people against whom there may be small amounts are arrested ? Will the Government ensure to plug loophole, if any, in the law and see that no leniency is shown to them ?

श्री एच० एम० पटेल : मैंने पहले ही कहा है कि जिन के खिलाफ करों की राशि बकाया है, उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यदि 43 मामलों में से किसी के खिलाफ कार्यवाही का पूछना है तो मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री हरीकेश बहादुर : वर्तमान उपायों के बावजूद पूंजीपति कर न देने का उपाय ढूंढ़ लेते हैं। क्या सरकार कानून में संशोधन करके इन लोगों को जेल में बन्द करने का विचार कर रही है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह एक सुझाव है। मैं इस पर विचार करूंगा।

SHRI HUKAM DEO NARIAN YADAV : It is enshrined in our constitution that there will be uniform law for all and all will get equal justice. In villages of Bihar if Rs. 100/- are outstanding against any farmer, his oxen, cow-buffalow, doors and even utensils are seized. But no action is being taken against those against whom crores of rupees are outstanding. I want to know whether Government are not showing disrespect to this spirit of the constitution that all should be treated as equals ? Why stern action is not being taken against these persons ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया **(व्यवधान)**।

SHRI MANI RAM BAGRI : There is no reply. Mr. Speaker, Sir, you should instruct the Mnisters to come prepared. This is not the way.

श्री सौगत राय : इस प्रश्न को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित किया जाये **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके पास जानकारी नहीं । अगला प्रश्न लें ।

SHRI HUKAMDEO NARIAN YADAV : Mr. Speaker Sir, please ask him to reply to my question (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी सभा पटल पर रखे देंगे।

चीनी प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

†467. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने सरकारी तौर पर भारत की यात्रा की थी और अभी हाल में एक इंजीनियरी मेले और अन्य मेलों में, यदि कोई हुए हों, भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने उनके साथ और उनके अधिकारियों और/अथवा भारत सरकार की अन्य ऐजेंसियों के साथ भी बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बातचीत में जिन विषयों पर चर्चा की गई और जो क्षेत्र शामिल किये गये, उनका मुख्य ब्यौरा क्या है और यदि उनका कोई ठोस परिणाम निकला हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) चार चीनी राष्ट्रीय आयात एवं निर्यात निगमों का एक प्रतिनिधिमण्डल अब भारत का दौरा कर रहा है। अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में ही दिल्ली में आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग ट्रेड फेयर को देखा ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने इस देश का दौरा चार सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के अर्थात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के संयुक्त निमन्त्रण पर किया था जिनके प्रतिनिधियों ने क्वायची में पिछली चीनी निर्यात वस्तु मेला का दौरा किया ।

(ग) प्रतिनिधि मण्डल की वाणिज्य मंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं हुई । प्रतिनिधियों ने वाणिज्य सचिव के साथ शिष्टाचारिक भेंट की । उन्होंने सरकारी क्षेत्र की मेजवान कम्पनियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार एवं उद्योग के शीर्ष निकायों से भी बातचीत की थी ।

(घ) दो तरफा व्यापार के विकास के लिये आपसी हित के क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से मेजवान तथा मेहमान निगमों के कार्यों तथा उनके द्वारा आयात किये जाने वाली तथा निर्यात किये जाने वाली मदों पर भी बातचीत हुई ; यह यात्रा सद्भावना यात्रा है तथा बातचीत अब तक अन्वेषी रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस प्रश्न में मुझे एक कठिनाई है। पिछले सत्र में मेरे वाले विषय पर ही श्री मोहन धारिया, वाणिज्य मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने तथा उनके सहयोगी ने उत्तर दिया था । आज मैं उसी आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं ।

आज की कार्य-सूची में, मद संख्या 8 में लिखा है कि "श्री आरिफ बेग चीनी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के बारे में श्री प्रसन्ना भाई मेहता के तारांकित प्रश्न संख्या 533 के अनुपूरक प्रश्न के 23 दिसम्बर, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य देंगे ।"

पता नहीं क्या शुद्धि है। मैं अपना अनुपूरक प्रश्न कैसे बनाऊं । मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

श्री मोहन धारिया : यह कोई बड़ा संशोधन न था । शिष्ट मंडल और सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 6 बतायी गई थी उसमें एक को शामिल नहीं किया जाना। यह छोटा सा संशोधन है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: सभा को पता ही है कि 1960 के आरम्भ में भारत और चीन के बीच व्यापार प्राय: समाप्त ही हो गया था और अब दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य की पुनर्स्थापना के लिये पहली बार चीन का सरकारी प्रतिनिधि मंडल भारत आया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह शिष्ट मंडल किन नगरों में गया है और क्या वह 15 और 16 फरवरी, को अहमदाबाद गया था ? क्या चीन के उक्त प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात स्टील ट्यूब कम्पनी को 8 करोड़ रुपये का आर्डर दिया है ?

श्री मोहन धारिया: राज्य व्यापार निगम और खान तथा खनिज व्यापार निगम के आमंत्रण पर यह शिष्ट मंडल हमारे देश में आया है । सभा ही यह निर्णय कर सकती है कि यह सरकारी है या गर-सरकारी है। लेकिन यह सरकारी उपक्रमों के आमंत्रण पर भारत आया है । अहमदाबाद सहित यह शिष्ट मंडल कई नगरों में गया है। आज इस समय उनके साथ वार्ता का अन्तिम दौर चल रहा है । अत: ऐसे में कहना कठिन है कि कितने माल का आर्डर दिया जायेगा लेकिन चीन के शिष्ट मंडल को यह जानकारी अवश्य हो जायेगी कि हमारे यहां क्या-क्या माल बनता है। नि:संदेह इस से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधरेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के (घ) के भाग के उत्तर में कहा गया है कि यह सद्भावना यात्रा है तथा बातचीत अन्वेषी रही है । उन्होंने कहा है कि वार्ता संतोषजनक चल रही है । इस बात को देखते हुए कि औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन बहुत उन्नति कर रहा है और हमारे देश की भी यही स्थिति है और पिछले सत्र में स्वयं श्री मोहन धारिया के कथनानुसार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय दोनों सम्बन्धों का विस्तार करना चाहते हैं । तो क्या चीन सकरार ने सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री को पीकिंग यात्रा का निमंत्रण दिया है ? क्या यह भी सच है कि विदेशों के साथ मित्रता सम्बन्धी चीन जन संगठन (चाइनीज पीपुल्स एसोशियेशन) के प्रधान श्री० वांग पिन किओ के नेतृत्व में 12 सदस्यों का एक शिष्ट मंडल अगले महीने दो सप्ताह के लिये भारत आ रहा है। क्या इसी उद्देश्य के लिये एफ० आई० सी० सी० आई० का एक उच्च शक्ति प्राप्त दल भी चीन जा रहा है । इन शिष्टमंडलों के आने-जाने से भारत-चीन के बीच व्यापार और वाणिज्य तथा आपसी सम्बन्धों में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

श्री मोहन धारिया : मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह ठीक है कि जब एक सरकार के तौर पर हम कार्य करते हैं तो एक दल के रूप में भी कार्य करते हैं। यह भी सच है कि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाते समय हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किन चीजों का निर्माण किया जा रहा है और व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अभी आरम्भ हुई है और इसमें कुछ समय लगेगा। इस बात के लिये हर कोशिश हो रही है कि दोनों देश अपने हितों का ध्यान रखते हुए व्यापार बढ़ायें।

प्रो० पो० जो० मावलंकर : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। चीन के शिष्ट-मंडल के अगले महीने आने, अप्रैल, में एफ० आई० सी० सी० आई० दल के वहां जाने और चीन सरकार द्वारा प्रधान मंत्री को आमंत्रित करने के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

श्री मोहन धारिया : जहां तक वाणिज्य का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि एफ० आई० सी० सी० आई० सहित कई दल जायेंगे और वहां से आयेंगे।

जहां तक प्रधान मंत्री को आमंत्रित करने का प्रश्न है मुझे प्रधान मंत्री के मिलने वाले पत्र नहीं प्राप्त होते।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : शिष्ट मंडल ने किन बातों में रुचि प्रकट की है ? क्या वे पारस्परिक हैं या गैर-पारस्परिक हैं, वे सरकारी क्षेत्र की हैं, या गैर-सरकारी क्षेत्र की।

श्री मोहन धारिया : चीन में आयात के लिये मशीनों, खनिजों और लौह अयस्क जैसी धातुओं, औद्योगिक और हलके इंजीनियरी सामान रसायन, फार्मास्युटिकल्स शैलाक और रबड़ आदि में रुचि व्यक्त की है। भारत में आयात के लिए जिंक, पारा, एंटीमोनी, रेशमी धागा, टंगस्टन, अखबारी कागज और कुछ रसायनों का सुझाव दिया गया है।

SHRI B. P. MANDAL : Sir, we snapped our relations with China because it has usurped thousands of square miles of our land and now we are sending goodwill missions. Does it mean that we have reconciled our position.

श्री मोहन धारिया : प्रधान मंत्री जी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक चीन द्वारा हमारी भूमि हथियाए जाने का प्रश्न है, हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन व्यापार सम्बन्ध अलग बात है।

SHRI UGRA SEN : Is the hon. Minister aware that China furthers its diplomatic endeavours through ping-pong and trade delegations and if so whether this fact is taken into consideration while entering into trade agreements ?

SHRI MOHAN DHARIA : Yes, Sir.

प्रो० आर० के० अमीन : जैसा कि चीन के शिष्टमंडल ने सुझाव दिया है क्या मंत्री जी मानते हैं कि व्यापार कूटनीति का माध्यम है, उसके पीछे आर्थिक कारण नहीं है। क्या हमारा भी व्यापार का ही उद्देश्य है। क्या व्यापार सरकारी स्तर पर होगा या यहां गैर-सरकारी स्तर पर और वहां सरकारी स्तर पर होगा ?

श्री मोहन धारिया : हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिये । इन सम्बन्धों से शायद अन्य पहलुओं को समझने में भी मदद मिलेगी । इस समय में कुछ नहीं कह सकूंगा ।

SHRI RAM MURTI : We are talking of goodwill trade inspite of the fact that China heaped insults on us. May I know if both these things fit in now ?

SHRI MOHAN DHARIA : We have stated that political relationship is a different from trade relationship and we don't want to say any other thing in this regard.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
ANSWERS TO WRITTEN QUESTIONS

मद्रास से महाबलीपुरम तक समुद्री तट को सुन्दर बनाने की योजना

*61. **श्री रागावलू मोहनरंगम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से महाबलीपुरम तक समुद्री तट को सुन्दर बनाने की योजना का ब्यौरा क्या है, जिससे उस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं में वृद्धि हो सके ;

(ख) इस योजना पर क्या लागत आयेगी और यह कितने समय में पूरी हो जायेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अपनी-अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं और वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की मद्रास से महाबलिपुरम तक के समुद्र तट की शोभावृद्धि की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ENGAGEMENT OF BIG CURRENCY NOTES THROUGH LABOURERS

+*68. SHRI HAR GOVIND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after demonetisation black-marketeers had got their big currency notes encashed through labourers and small farmers; and

(b) if so, whether Government propose to conduct an enquiry into the encashment of such notes thereof ?

The Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) : The prescribed form of declaration for tendering high denomination bank notes for exchange required the declarants to state inter-alia the reasons for keeping the amount in cash in notes of high denomination and the source from which the notes came into their possession. Verification of the information given in regard thereto is being made; declarations for the larger amounts being taken up first for enquiry.

रेनबो स्टील लिमिटेड के चेयरमैन के मकान और औद्योगिक एककों पर छापे

†69. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनबो स्टील लिमिटेड के चेयरमैन, जो मारुति, लिमिटेड के एक निदेशक थे, के मकान और औद्योगिक एककों, पर जनवरी, 1978 में छापे मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन छापों में कितना काला धन और गलत लेखे पकड़े गए और सरकार ऐसे कदाचारों के बारे में दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

वित्त राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जनवरी 1978 में आयकर अधिकारियों ने रेनबो स्टील्स लिमिटेड के अध्यक्ष श्री विद्याभूषण के घर की, इस कम्पनी के स्थानों की और अन्य सम्बन्धित पार्टियों के स्थानों की तलाशी लेने की और अभिग्रहण की कार्यवाही की थी। इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कार्यवाहियों में 2,35,000/- रु० से अधिक मूल्य की मियादी जमा रसीदों और प्रोनोट 7,100/- रु० की नकदी रकम और 1,42,634/- रु० मूल्य के जवाहिरात पकड़े गये हैं। हिसाब बहियां और अन्य दस्तावेज भी पकड़े गए हैं। बैंक लाकरों से जो माल पकड़ा गया है, उसे मुहरबन्द कर दिया गया है, और उसकी जांच अभी होनी है ।

जांच-पड़ताल जारी है। कर-अपवंचन में अपराधी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जायगी ।

तस्करी को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम में संशोधन

*70. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी तथा आर्थिक अपराधों को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम को एक प्रभावी साधन बनाने हेतु इसमें संशोधन करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अधिनियम के अधीन आर्थिक अपराधों में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी कार्यकलाप निवारण अधिनियम, 1974 की व्यवस्थाएं इस निमित्त पर्याप्त हैं ।

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1974 में ऐसी व्यवस्था है जिससे तस्करी में प्रवृत्त अथवा विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा संवर्धन में बाधक लोगों को, उन कामों से रोकने के लिये, निवारक तौर पर नजरबन्द किया जा सके। जो व्यक्ति ऐसी प्रवृत्तियों में लगे पाये गये हैं, उनको समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन और उसकी व्यवस्था के अनुसार नजरबन्द रखा गया है ।

निर्यात नीति संकल्प 1970 को बदलने का प्रस्ताव

†71. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात नीति संकल्प 1970 को बदलने और अपने घोषित सामाजिक-आर्थिक ध्येयों के अनुकूल एक नई निर्यात नीति लागू करने का है;

(ख) क्या सरकार ने निर्मित वस्तुओं का विशेषकर ऐसी वस्तुओं का, जिनके मूल्य में अधिक भाग श्रम लागत का होता है अर्थात जो श्रम प्रधान गैर-परम्परागत वस्तुएं हैं, निर्यात बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के दीर्घकालीन हित में ऐसे खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात को बन्द करने का है जो समाप्त हो सकते हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) : एक नया निर्यात नीति संकल्प तैयार हो रहा है । इस संकल्प से वर्तमान सरकार की विचारधारा तथा निर्यात नीति का पता चलेगा । यह संकल्प निर्यात में अधिकाधिक मूल्य वर्धन तथा विशेष रूप से श्रम प्रधान मदों के निर्यात को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से निर्यात नीति तैयार करने की आवश्यकता को स्पष्ट करेगा । सरकर की निर्यात नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है ।

(ग) खनिज क्षेत्र का विस्तार करने से न केवल निर्यात आय में वृद्धि होगी अपितु उससे देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी तेजी आएगी । खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में जिनकी पर्याप्त सप्लाई, है, जैसे कि लौह अयस्क, बाजारों के विविधीकरण तथा मूल्य वर्धित निर्यातों के जरिए अधिक इकाई मूल्य प्राप्ति के जरिये विश्व व्यापार में हमारे भाग को बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है । खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में, जिनकी सप्लाई सीमित है, उसका संरक्षण महत्वपूर्ण बन जाता है । ऐसे खनिज पदार्थों के निर्यात देश के दीर्घावधि हितों को देखते हुए विनियमित किया जाएगा ।

भारत में कार्यरत स्टर्लिंग चाय कम्पनियों से बकाया आयकर की वसूली

72. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत स्टर्लिंग पुंजीवाली चाय कम्पनियों से आयकर की बकाया उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं जो इन कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के कारण जमा हो गई थी; और

(ख) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) तथा (ख) : स्टर्लिंग टी कम्पनियों के मामलों में जारी की गयी आयकर की मांगों को वसूल करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । ये मांगें उनके ब्रिटेन स्थित सेक्रेट्री और एजेंटों को कमीशन के रूप में अदा की गयी सकल रकम के सम्बन्ध में जारी की गई है । ये मांगें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201 के अधीन जारी की गयी है । यह धारा, किसी भी रकम के अदाकर्ता को उस स्थिति में चूककर्ता निर्धारिती के रूप में मानती है यदि इस प्रकार की अदायगियों से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गयी हो । पाने वालों अर्थात ब्रिटेन स्थित सेक्रेट्री और एजेंटों पर उनकी आय के केवल उस भाग पर का लगाया जाना है जो भारत में किये गये कार्य से प्राप्त हुई हो, देखिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9 (1) (i) इस प्रकार, ब्रिटेन स्थित सेक्रेट्री और ऐजेंटों के संगत-कर-निर्धारणों के पूरा हो जाने पर इन मांगों के काफी हद तक कम हो जाने की संभावना है ।

CIRCULATION OF HIGH DENOMINATION NOTES

†*73. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ :
SHRI LAXMINARAIN NAYAK : } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of currency notes of the denomination of one thousand, five thousand and ten thousand which were under circulation as per Government records prior to the demonetisation thereof;

(b) whether all of these notes have been deposited with banks; and

(c) if not, the details of those currency notes which have not been deposited ?

THE MINISTER OF FINANCE, REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) At the close of business on 16th day of January, 1978, the number of bank notes in circulation was about 12.80 lakhs of Rs. 1000/-, 36,300 of Rs. 5000/- and 346 of Rs. 10,000/- denomination. The figures are, however, provisional.

(b) & (c) Since the complete information has not become available from all the branches of various banks/Government treasuries concerned, the same has not yet been compiled by the Reserve Bank. The details will be laid on the Table of the House as soon as available.

भारतीय सांख्यिकी कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठी

*74. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1978 को कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित उस विचार-गोष्ठी की ओर दिलाया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के वित्त मंत्री ने बैंकों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण होने पर जोर दिया था, ताकि बैंकों द्वारा जमाखोरों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाये जाने को रोका जा सके ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य के वित्त मंत्री के अनुसार इस नियन्त्रण से उस बेमेल गठबंधन को तोड़ा जा सकेगा जो इस समय बैंकों और मुनाफाखोरों क बीच विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों में छपे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के भाषण संबंधी समाचार देखा है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने का नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा सम्पूर्ण ऋण नीति और राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जमाखोरों के साथ विशेष पक्षपात का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण प्रदान करने विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कार्यक्रमों को बनाने और इन्हें कार्यान्वित कराने में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से राज्य सरकारों से परामर्शदात्री प्रक्रियाओं में सहयोग लिया जाता है ।

PER CAPITA INCOME AND TAX INCIDENCE

*75. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the average per capita income for the past ten years (1965-66 to 1976-77) as also the per capita percentage of tax incidence; and

(b) the measures taken by Government to increase the average per capita income ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) A statement is attached.

(b) All measures for economic development increase per capita income. It is the objective of Government to reorient the investment of resources towards rural development particularly by according primacy to agriculture and allied activities as the bulk of the population in the country is dependent on agriculture for its livelihood. The strategy of development envisages a significant increase in labour absorption in agriculture and allied activities so that poverty and unemployment are eradicated in the shortest possible time. After agriculture village and small scale industries producing consumer goods for mass consumption offer a great potential for increasing employment. The above strategy would call for a change in investment priorities in favour of irrigation, fertilisers, power, rural roads, village and small scale industries etc.

STATEMENT

Year	Per capita national product at current prices (Rs.)	Proportion of per capita tax to per capita national product (Percentage)
1965-66	425·5	14·1
1966-67	481·8	13·7
1967-68	554·4	12·3
1968-69	552·3	13.1
1969-70	597·5	13·3
1970-71	636·0	13·8
1971-72	663·0	15·2
1972-73	714·0	16·0
1973-74	874·0	14·7
1974-75	1007·0	15·5
1975-76	1008·0	18·5
1976-77	1049·0*	18·8
Average for the above period	778·4	15.4

*Quick estimates.

बैंक में जालसाजी, दुर्विनियोजन और गबन के मामले

*76. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977 की पहली तिमाही में बैंकों में जालसाजी, दुर्विनियोजन और गबन के पांच सौ तिरानवे मामले प्रकाश में आये;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि निहित है ;

(ग) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी 1977 से 31 मार्च 1977 की तिमाही के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा उसे 297 जालसाजी के मामलों की सूचना दी गई है जिसमें दुर्विनियोजन और गबन के मामले भी शामिल हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि 71.65 लाख रुपये है।

(ग) जब कभी किसी बैंक द्वारा किसी जालसाजी का पता लगता है, तो यह आन्तरिक जांच करता है और इसमें दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। जालसाजी की प्रवृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए मामलों की जांच पड़ताल के लिय, स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाता है।

(घ) सभी बैंकों के पास उनकी अपनी निर्देश-पुस्तकें होती हैं जिनमें जालसाजियों को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां और सुरक्षा के उपाय दिये गये हैं और उनकी निरंतर समीक्षा होती रहती है। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों को उनके कार्यालयों में होने वाली जालसाजियों के बारे में (जैसे ही यह जालसाजियां उनके नोटिस में आती हैं), भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना पड़ता है। जालसाजी की कार्य-प्रणाली और सामान्य आन्तरिक नियंत्रणों के पालन करने में असफलता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बंधित बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार की जालसाजियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये और अधिक सुरक्षात्मक उपाय करें तथा सावधानी बरतें।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को समय समय पर निर्देश भी जारी करता रहा है जिनमें जालसाजियों के स्वरूप और उन सुरक्षात्मक उपायों को बताया जाता है जो जालसाजियों को रोकने के वास्ते किये जाने चाहिये।

त्रिपुरा में चाय बागान उद्योग का विकास

*77. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में चाय बागान उद्योग का पर्याप्त विकास किये जाने की सम्भावना की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग की क्षमता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार के सहयोग से चाय उद्योग का और विकास करने के लिये कार्यवाही करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा में चाय उद्योग का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और एकत्र आंकड़े संसाधित किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां। ऐसे उपायों पर इस समय भारतीय चाय बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

बम्बई के गोदी आसूचना एकक द्वारा जहाजों से तस्करी का माल पकड़ा जाना।

*78. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के नव गठित गोदी आसूचना एकक ने जहाजों से आठ लाख रुपये मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क), (ख) और (ग) : संभवतः इस प्रश्न का संकेत बम्बई सीमा शुल्क गृह के गोदी गुप्तचर्या एकक द्वारा पकड़े गये उन दो मामलों की ओर है, जिनमें कुल 8,08,078/- रुपय मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है। सरकार को जो रिपोर्ट मिली है उससे पता चलता है कि 23 फरवरी, 1978 को, "एम० वी० नूरजहां" जहाज से उतरे यात्रियों के असबाब की जांच करते समय पाया गया कि वहां 60 पैकज ऐसे पड़े थे जिन पर कोई नाम या निशान नहीं लिखा हुआ था, और जिन्हें असबाब हाल में छोड़ दिया गया था। जब गोदी गुप्तचर्या एकक ने देखा कि उन पैकजों में निषिद्ध कपड़े, कलाई-घड़ियां, सिगरेट, टी० वी० सेट तथा अन्य वस्तुऐ हैं तो उन्होंने माल को पकड़ लिया। इस सारे माल की कीमत 4,55,373/- रुपये है। इसी प्रकार 25 जनवरी 1978 को "एम० वी० अकबर" से उतरे यात्रियों के असबाब की जांच के दौरान, ऐसी ही परिस्थिति में माल के 50 पैकेज पाये गये थे। इनमें भी निषिद्ध कपड़े, मोटर गाड़ी में प्रयुक्त रेडियो, क्लाई घड़ियां, संगणक, सोने की गिन्नियां आदि सामान था, जिसका कुल मूल्य 3,52,705 रुपये होता है। दोनों ही मामलों में निषिद्ध माल को लावारिस हालत में पकड़ा गया था। ऐसे किसी व्यक्ति का पता नहीं चल सका है जो सामान के इन पैकेजों से संबंधित हो। इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का अभी कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में महालेखाकार के कार्यालय में 24 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*79. **डा० सरदीश राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार के कार्यालय ने मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण 24 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें सेवा में बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की बहाली का प्रश्न, जिनकी सेवाएं मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी, एक ऐसा सामान्य मामला है जिसका सम्बन्ध न केवल भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों से है, बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी है। इस विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार करार

*80. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत उस के बीच वर्ष 1978 के लिए एक व्यापार करार सम्पन्न हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस करार से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसमें शामिल मदों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के आयात तथा निर्यात के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि कितने प्रतिशत होने की सम्भावना है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी हां।

(ख) 1978 के लिए भारत-सोवियत व्यापार संलेख में 1056 करोड़ रुपये के व्यापार कारोबार की व्यवस्था है जिसमें सोवियत संघ से होने वाले लगभग 472 करोड़ रुपये के आयात तथा सोवियत संघ को होने वाले लगभग 584 करोड़ रुपये के निर्यात शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) सोवियत संघ से आयात की मदों में ये शामिल हैं : कच्चा तेल, मिट्टी का तथा डीजल तेल, यूरिया तथा अन्य उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, जिंक, निकल, प्लेटेनियम आदि जैसे अलौह धातुएं; रूई, ऐस्वेस्टोस अखबारी कागज तथा मशीनें। सोवियत संघ को निर्यातों की मदों में ये शामिल है; औषधि, भेषजीय पदार्थ, अंगराग वस्तुएं, लिनोलियम, आटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी, गैराज उपस्कर, दस्ती औजार, कम्प्यूटर सोफ्टवैयर इस्पात के उत्पाद, लकड़ी की पर्त, चश्मों के फ्रेम, आदि जैसे बहुत से अपरम्परागत उत्पाद और चाय, काफी मसाले, खालें तथा चमड़ियों जैसे परम्परागत उत्पाद।

1977 की तुलना में 1978 में व्यापार कारोबार में 15 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। 1974 से 1976 के दौरान आयात तथा निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण दस लाख

	1974	1975	1976
आयात . .	2681	3293	2532
निर्यात .	3774	4261	4322
योग .	6455	7554	6854

मैसर्ज स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायतें

551. **श्री रामदेनी राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्ज स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत कच्ची सामग्री का दुरुपयोग करने तथा चोरी-छिपे विक्रय की प्रक्रिया अपनाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(घ) यदि हां तो उक्त जांच-प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इस मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल चल रही है । इस अवस्था में, शिकायतों अथवा जांच-पड़तालों के ब्यौरे बताना वांछनीय नहीं समझा गया है ।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा कृषि कार्यों के लिए ऋण देने की पद्धति

552. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा कृषि कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण की पद्धति में काफी परिवर्तन हुआ है और राज्यों से कहा गया है कि वे संस्थागत ऋण कार्यक्रमों का विस्तार करें ताकि बहुत से अधिक संख्या में किसानों को इन ऋणों के माध्यम से नई कृषि प्रौद्योगिकी का अच्छा उपयोग करने योग्य बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो 32 करोड़ डालर के कुल ऋण में पंजाब राज्य का अंश कितना है और उस राज्य द्वारा इस ऋण का किस ढंग से उपयोग किया जाता है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । परन्तु कृषि ऋण कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता में काफी अधिक वृद्धि हो गई है और यह सहायता मुख्य रूप से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के माध्यम से वितरित की जा रही है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि कृषि पुनर्वित्त और विकास नगम कार्यक्रम-11 के लिए, जिसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, राज्यों के आधार पर हिस्सों की रकम निर्धारित नहीं की गयी है ।

मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी पर आय कर की बकाया राशि

553. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी द्वारा आयकर की कितनी राशि अदा की जाती है ;

(ख) उक्त राशि को शीघ्र वसूल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी चूक पर उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) उक्त कम्पनी की तरफ, 31 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार, कोई आयकर बकाया नहीं थी ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

EXPENDITURE BY I.A.C. ON STAFF CARS

554. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the annual expenditure incurred by the Indian Airlines on petrol etc. consumed by the staff cars for officers and vehicles used for the transport of other staff ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : Annual expenditure incurred on fuel and oil towards providing staff cars and vehicles used for transport of other staff, is approximately Rs. 26.38 lakhs.

उद्योग को "एल० वेस" की सप्लाई

555. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात करने वाली सरकारी एजेंसी, स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उद्योग को 1977-78 के दौरान 1977-78 के लिये वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनके आबंटन के अनुसार 'एल-वेस' की नियमित सप्लाई नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी नहीं । वास्तविक प्रयोक्ताओं से प्राप्त क्रमबद्ध सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि के लिये वास्तविक प्रयोक्ताओं को किये गये आबंटनों के आधार पर स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने 1977-78 के दौरान उद्योग को एल०-वेस निलीज कर दिया है ।

विदेश यात्रा कर

556. श्री सा० के० जाफर शराफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बोर्ड आफ एयर-लाइन्स रिप्रेजनटेटिव्स के चैयरमेन श्री जान जर्मन ने कहा है कि रुपयों में भुगतान किये गये कुल किराये का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत विदेश यात्रा कर बहुत महंगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भारत सरकार को बोर्ड आफ एयरलाइन्स रिप्रेजनटेटिव्स के चैयरमैन से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण तथा नगरीय परिवारों पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव के बारे में अध्ययन

557. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण तथा नगरीय परिवारों पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव का क्रम-बद्ध अध्ययन आरंभ करने पर विचार कर रही है ?

(ख) क्या सरकार का विचार अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार पूरा कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) देहाती तथा शहरी परिवारों पर अप्रत्यक्ष कराधान की मात्रा के प्रश्न की जांच समिति द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है ।

(ख) और (ग) रिपोर्ट का भाग II, जनवरी, 1978 के मध्य में प्राप्त हुआ था । समिति की विभिन्न सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में अभी कुछ बताना बहुत जल्दी होगा ।

भारत की विदेशी मुद्रा में वृद्धि

558. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा में गत वर्ष इसी अवधि में अर्जित विदेशी मुद्रा की तुलना में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आयात को उदार बनाने से निर्यात पर प्रतिकूल अथवा अनुकूल प्रभाव पड़ा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर 1977 तक की अवधि में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की 806.8 करोड़ रुपए की वृद्धि के मुकाबले 1138.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

(ख) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में होने वाले परिवर्तन देश के बाह्य लेन-देनों का निवल परिणाम होते हैं । आयात नीति को उदार बना दिए जाने और खाद्य तेलों, कपास, कपड़े के अन्य रेशों एल्युमिनियम, सीमेंट आदि जैसी आम खपत की वस्तुओं के आयात के लिए काफी अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने से चालू वर्ष के दौरान खाद्य-भिन्न वस्तुओं के आयात में भारी वृद्धि हुई है । परन्तु इन वस्तुओं के आयात पर जो अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की गई वह अनाज का आयात कम किए जाने, निर्यात में वृद्धि होने तथा विदेशों से देश में रकमों के बराबर आते रहने जैसे अनुकूल कारणों से न केवल पूरी हो गई बल्कि प्रारक्षित निधि में कुछ और रकम जमा भी हो गई ।

(ग) उद्योगों आदि के काम आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए समुचित व्यवस्था करने और आम इस्तेमाल की महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के जरिए कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखने के द्वारा आयात को उदार बना दिए जाने का निर्यात पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा है ।

भारत को अमरीका से आर्थिक सहायता

559. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अधिकारियों की आर्थिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसे क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए बैठक हुई थी जिनमें अमरीका से आर्थिक सहायता ली जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए एजेंसी के प्रधान श्री जौनगिलिगन ने वर्तमान विदेश सहायता नीति के अन्तर्गत कृषि ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए भारत को कितनी सहायता देने की पेशकश की है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रशासक श्री जान० जे० गिलिगन ने 23 से 25 जनवरी, 1978 के बीच भारत की यात्रा की थी। श्री गिलिगन किसी विशेष विकास परियोजना के लिए सहायता के संबंध में बातचीत करने नहीं आये थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य इस देश में चल रहे आर्थिक विकास कार्यों का जायजा लेना और उन क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श करना था जिनमें अमेरिकी सहायता के इस्तेमाल किये जाने की सम्भावना हो सकती थी। श्री गिलिगन आर्थिक मामलों से सम्बन्धित कुछ मंत्रालयों के सचिवों की एक संयुक्त बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक का आशय उन्हें आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराना था ;

अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने सहायता प्रस्तावों में अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1978 के लिए 6 करोड़ अमेरिकी डालर और अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1979 के लिए 9 करोड़ अमेरिकी डालर की विकास सहायता का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस सहायका का उपयोग करने के लिए परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अन्तिम निर्णय अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रशासन के सहायता प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

GIFT GOODS

560. SHRI NAWAS SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the names and quantities of goods which can be received in the country as gifts with duty or duty free ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AWARWAL) : Bonafide gifts comprising articles of food and medicines excluding alcoholic drinks upto a value of Rs. 80/- and other Articles upto a value of Rs 40/- when imported by post or by air by individual recipients are exempt from payment of duty. Further, bonafide gifts received by individuals of certain specified categories from foreign Governments and imported as part of the individuals baggage are also exempt from Customs duty.

These are the concessions available to individuals when they receive gifts from abroad. In addition to these concessions to individuals, there are some exemptions from Customs duty which can be availed of by specified institutions, organisations and agencies when they get gifts from abroad for certain specified purposes such as charity, relief, helping of the blind and the deaf, promotion of arts and culture or for free distribution amongst the poor and the needy. The goods covered by these latter category of exemptions are food-stuffs, medicines, clothings, blankets, hearing aids, appliances for vocational aids for the blind and the deaf, goods intended to promote art and culture, etc.

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने

561. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सहकारी चीनी कारखाने कितने हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कारखानों को कितनी राशि दी गई ; और

(ग) क्या उक्त राशि उस परियोजन के लिये खर्च की गई है ; जिसके लिये वह कारखानों को दी गई थी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) महाराष्ट्र में 56 सहकारी चीनी कारखाने हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के 21 सहकारी चीनी कारखानों को कुल 519.55 लाख रु० दिये गये हैं ।

(ग) जी हां ।

STOPPAGE OF DELHI-CALCUTTA FLIGHTS AT BHAGALPUR

562. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government do not think it proper to convert into a circular tourist area the ancient Hindu-Jain places of pilgrimage located at Karanchaura, Mandrachal, Vikramahila, Sultangaj (Ajgaibinath) in ancient Angdesh near Bhagalpur (Bihar).

(b) if not, whether it will be included in the scheme of development programme of tourist centres;

(c) whether Government will consider the proposal for the stoppage of air-flights coming from Delhi to Calcutta at Bhagalpur at least three times a week at present and daily later on; and

(d) whether Government will spend certain amount on the development of these tourist places during the current year and if so, how much ?

MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) : Since these places are primarily pilgrim centres of regional importance, any development to be undertaken at these places would be the responsibility of the State Government. Hence there is no proposal to develop these places in the Central Sector.

(c) Due to non-availability of smaller aircraft, the proposal is not found feasible.

(d) No, Sir.

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों को पीड़ित किया जाना

563. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली में अनेक कर्मचारियों को आरोप पत्र दिय गये हैं और अन्य कइयों को गुप्त रिपोर्टों के आधार पर गत एक वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पीड़ित किये जाने की नीति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): **(क)** व **(ख)** भारतीय मानक संस्था से मालूम करने पर पता चला है कि वर्ष 1977 के दौरान दो कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये गये थे—एक को इस आधार पर कि उसने संस्था को दिए अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में जालसाजी की थी और दूसरे को इसलिए कि वह लगभग एक साल तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा था। इसी अवधि में, दो कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्टों के प्रतिकूल होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया था। एक रिपोर्ट बिना उचित कारणों के बार-बार अनुपस्थित रहने और दूसरी काम में रुचि न लेने व उद्धृत व्यवहार होने के बारे में थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

564. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में इस सर्दी के मौसम के दौरान प्रत्येक देश से कितने पर्यटक भारत आये;

(ख) सरकार द्वारा तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा पर्यटकों को देश में आकर्षित करने के लिये क्या उपाय किये गये ;

(ग) क्या सरकार ने एशियाई देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने हतु कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) शीतकाल (अक्तूबर, 1977 से जनवरी, 1978 तक) के दौरान 264,743 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जबकि 1976-77 की इसी अवधि के दौरान 225,574 पर्यटक आए थे। दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 के महीनों में आए विदेशी पर्यटकों के देशवार आंकड़ों को सारणीबद्ध किया जा रहा है, तथापि, अक्तुबर—नवम्बर, 1976 तथा 1977 के दौरान आए पर्यटकों के देशवार आंकड़ों को देने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है (अनुबंध)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1587/78]।

(ख) भारत के लिए पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए, पर्यटन विभाग ने विदेशों में 16 पर्यटन कार्यालय खोले हैं तथा पर्यटन की संभावनाओं वाली मार्किटों में 6 पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये कार्यालय पर्यटन सूचना प्रदान करने, पर्यटन प्रचार साहित्य के वितरण, प्रचार अभियानों, फिल्म प्रदर्शनों, मेलों तथा समारोहों में भाग लेने, इंडिया नाइट्स तथा विक्रय गोष्ठियों के आयोजन, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय संगठनों में भाग लेने, लेक्चर दोरों, स्लाइड प्रदर्शनों आदि के माध्यम से भारत के लिए पर्यटन की अभिवृद्धि करते हैं। ऐसे देशों में, जहां विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय नहीं हैं, भारतीय मिशन पर्यटन प्रचार साहित्य का वितरण करके तथा भारत के लिए पर्यटन के प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्रदर्शनियों में भाग लेकर पर्यटन प्रचार कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) : विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए ऊपर दिए गए सामान्य अभिवृद्धिपरक उपायों के अलावा, पर्यटन विभाग दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के बौद्ध राष्ट्रों से अधिक संख्या में तीर्थ-यात्रियों को आकृष्ट करने के लिए प्रमुख बौद्ध केन्द्रों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास कर रहा है। इसके अनुसरण में बैंकाक (थाईलैंड) में एक पर्यटन कार्यालय खोलने तथा ओसाका (जापान) में एक पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि इन क्षेत्रों से काफी अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा दिया जा सके।

कुवैत में एक पर्यटन कार्यालय के अतिरिक्त तेहरान (ईरान) में एक पर्यटन प्रोत्साहन अधिकारी तैनात करने के अलावा, पर्यटन विभाग ने पश्चिमी एशिया से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए अरबी तथा फारसी में पर्यटन साहित्य प्रकाशित किया है।

दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के ट्रेवल एजेंट एसोसियशनों को भारत में अपने वार्षिक सम्मेलन करने के लिए प्रोत्साहित करके सहायता की जा रही है क्योंकि इससे उसके सदस्य यात्रा एजेंटों को भारत में पर्यटन सुविधाओं के बारे में प्राथमिक सूचना मिलने में सहायता मिलेगी और इससे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अब तक, भारत में ऐसे सम्मेलन थाईलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर के ट्रैवल एजेंट एसोसियशनों द्वारा किए गए हैं।

DIRECT AIR FLIGHT TO DELHI FROM DIFFERENT AIRPORTS IN GUJARAT AND SAURASHTRA

565. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is no direct air flight to Delhi from Rajkot, Jamnagar, Porbander, Kesod, Bhuj, Bhavnagar airports in Gujarat, Saurashtra; if so, the reasons therefor;

(b) whether there is a plan to provide direct air flight daily or four days in a week only from Rajkot to Delhi out of the above stated six airports of Saurashtra region; if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which a direct flight from Rajkot to Delhi is likely to be provided to the people of Saurashtra region ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir. Direct air services from the specified points to Delhi would not be economically viable.

(b) and (c). No, Sir. A direct service from Rajkot to Delhi would also not be economically viable.

PRODUCTION OF OPIUM IN RAJASTHAN

566. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the details of annual production of opium District-wise, during each of the last two years in Jhalawar, Kota, Chittor and other important opium producing districts of Rajasthan:

(b) whether it is a fact that though some districts of Rajasthan are the centres of intensive opium production, there is no opium processing centre, opium testing centre or opium based industry in any of these districts and if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government propose to set-up any such industry or office in any of these districts specially in the most economically backward district of Jhalawar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) The annual production of opium in the important opium producing districts of Rajasthan during the last two years was as follows :—

Name of Districts	Quantity of opium produced In Tonnes at 70 Consistence	
	1975-76	1976-77
Jhalawar	142·45	98·58
Kota.	114·67	95·54
Chittorgarh	205·03	198·00
Bhilwara	10.72	9·54

(b) and (c) Yes, Sir. There is no opium based industry in Rajasthan. Opium poppy is incensively cultivated in some districts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh besides Jhalawar, Kota and Chittorgarh Districts of Rajasthan. The two Opium factories at Ghazipur (Uttar Pradesh) and Neemuch (Madhya Pradesh) established long back have sufficient capacity to process the entire opium produced in India for export purposes. There is, therefore, no need to set-up any such factory elsewhere. However, a proposal to set-up a plant for extraction of alkaloids from lanced poppy capsules in the poppy growing areas of Madhya Pradesh and Rajasthan is under consideration.

लद्दाख का विकास और पर्यटकों के लिए नयी योजनायें

567. श्री पार्वती देवी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं विद्यमान हैं, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या लद्दाख का विकास पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से करने और वहां पर पर्यटकों की जरूरतें पूरी करने के लिए क्या कोई नयी योजनाएं बनाई गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) ऐसे स्थानीय निवासियों के अलावा जो अपने आवास स्थानों का "पेइंग गेस्ट" आवास के रूप में प्रयोग करते हैं, लेह में, जोकि लद्दाख में मुख्य पर्यटक गन्तव्य स्थल है, पर्यटकों के लिए बढ़े पैमाने पर कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं ।

लद्दाख में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई स्कीमें आरम्भ नहीं की गयी हैं क्योंकि सरकार का यह निश्चित विचार है कि इस क्षेत्र की परिवेशीय तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के परिरक्षण की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का विषय यही है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वे लद्दाख के लिए पर्यटन विकास की एक ऐसी मास्टर प्लान तैयार करें ताकि वहां पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करते समय इसकी परिवेशीय एवं सांस्कृतिक विशषताओं में कोई खराबी न आने पाए।

सरकार का यह प्रस्ताव है कि "गोम्पो" का, जोकि लद्दाख के मुख्य पर्यटक आकर्षण हैं, परिरक्षण किया जाए।

लेह के विमानक्षेत्र पर उपयक्त दिक्चालन संचार तथा पैसेंजर हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था होते ही इंडियन एयरलांइस का भी लह के लिए एक विमान सेवा परिचालित करने का प्रस्ताव है।

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME PREPARED BY BANK OF BARODA AND S.B.I. FOR RURAL AREAS OF MADHYA PRADESH

568. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bank of Baroda and State Bank of India have prepared a rural development programme for some rural areas of Madhy Pradesh involving an annual expenditure of Rs. 3 to 4 lakhs for three years under a pilot scheme with a view to provide and develop roads, drainage, electricity, drinking water, health centres, milk centres, animal husbandry etc. in the villages;

(b) whether Government will issue guidelines to various banks to take up such schemes in various States;

(c) whether similar rural development schemes are proposed to be taken up by various banks in the backward areas of Bihar; and

(d) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE, REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a), (b), (c) and (d) The State Bank of India Group have introduced an integrated rural development programme on a pilot basis under which about 250 of their branches will adopt a village each for integrated development. The financial outlays have not been targeted, but will depend upon local potential. In the first phase, agriculture and non-agriculture activities will be financed in these villlage. Thereafter, common socal needs of the villagers like drinking water, roads, health centres may be taken up with the involment of the Government and voluntary agencies. In Madhya Pradesh 24 villages and in Bihar 15 villages, mostly in backward districts, have been adopted under this programme.

During 1978, the Bank of Baroda proposes to set up, for rural development, 4 Gram Vikas Kendras each in Madhya Pradesh and Bihar. Under this scheme, financial assistance will be provided only for development of agriculture and village industries, particularly to small borrowers for whom schemes will be prepared. In Bihar, one Kendra each is located at the following branches :—

(1) Umanagar—(Muzaffarpur District)

(2) Chakulia—(Singhbhum District)

(3) Gulabbag—(Purnea District)

(4) Tekari—(Gaya District)

The bank proposes to set up 100 such Kendras during 1978 in the country.

Government has continuously been urging the banks to provide credit for integrated rural development.

LOANS BY NATIONALISED BANKS TO UNEMPLOYED GRADUATES IN NALANDA DISTRICT OF BIHAR

†569. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of unemployed graduates in Nalanda District of Bihar who were advanced loans by the nationalised banks during the period March, 1977 to January, 1978 and the amount of loans advanced; and

(b) whether the nationalised banks have discontinued the advance of loans for the last two months, if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Information to the extent available is being collected and will be laid on the Table of the House.

ASSESSMENT OF WEALTH TAX IN RESPECT OF TOP TWENTY RICH PERSONS

570. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the top twenty rich persons on the basis of the assessment of property made in the country;

(b) the year up to which assessment of wealth tax in respect of them has been finalised and the value of their property in accordance with such assessment; and

(c) the names of the top ten persons on whom heaviest penalty has been imposed for concealment of their property during the last three years and the amount of penalty imposed in each case ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) and (b) The information relating to :

(i) the names of the top twenty assessees on the basis of the wealth-tax assessments made up to 31-3-1977;

(ii) the latest assessment made in each case; and

(iii) the net wealth assessed as per such latest assessment in each case is enclosed as "Annexure".

(c) The information is not readily available. It has yet not been collected from all the field offices. It shall be laid on the table of the House as soon as the same has been collected and compiled.

STATEMENT

S. No.	Name of the Assessee	Assessment year for which which assessment has been completed	Assessed Net Wealth
1	2	3	4
1.	Late Sir J. M. Scindia (HUF)	1961-62	5,13,10,52
2.	Shri F. P. Gaekwad of Baroda	1966-67	4,35,11,210
3.	Pandit L. K. Jha, Executor Late Kameshwar Singh of Darbhanga	1961-62	4,32,53,060

1	2	3	4
4.	Shri Madan Sinhji of Kutch	1963-64	2,60,48,604
5.	Shri V. D. Chowgule	1973-74	2,47,36,190
6.	Sir Rama Verma	1973-74	2,09,30,100
7.	Shri Bhawani Singhji of Jaipur	1969-70	1,91,67,400
8.	Shri L. D. Chowgule	1971-72	1,83,68,390
9.	K. S. R. T. C. Pension & gratuity Fund	1975-76	1,72,81,000
10.	Rajmata Sahiba Gulab Kunwarba of Nawanagar	1965-66	1,64,10,911
11.	Rani Jagadamba Kumari of Nepal	1958-59	1,50,74,067
12.	Smt. N. Ramanamma	1973-74	1,46,94,930
13.	Trustees of HEH the Nizam's Miscellaneous Trust.	1976-77	1,46,68,400
14.	Shri Martand Singhji Deo of Rewa	1974-75	1,36,46,900
15.	Late Sawai Man Singhji of Jaipur	1960-61	1,34,97,364
16.	K. S. R. T. C. G. G. P. Fund Trust	1975-76	1,09,83,600
17.	Smt. Vijay Raje Scindia	1967-68	1,09,34,770
18.	Shri Jai Singh of Jaipur	1970-71	92,36,370
19.	Shri Mishri Lal Jain, Ranchi	1975-76	92,28,900
20.	Shri Prithvi Raj of Jaipur	1970-71	91,58,150

AGREEMENTS FOR SUPPLY OF SALT TO FOREIGN COUNTRIES

571. SHRI RUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 246 on 2nd December, 1977 regarding loss suffered by STC due to non-supply of salt to Bangladesh and state :

(a) the names of the countries with which agreements have been concluded for supply of salt from March, 1977 to 1978 and whether it is a fact that price of salt has increased in our country as a result of such supply and if so, the percentage of increase in the price of salt; and

(b) whether the Central and State Governments have imposed different types of tax on salt producers as well as on salt and if so, the rate at which tax has been proposed on them at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) During the year 1977-78 S.T.C. has concluded agreements for export of salt to Bangladesh, Hong Kong, Singapore, Maldives, Nepal and South Korea.

On account of several factors, including the agreements for export of salt to Bangladesh at high prices, salt prices had shown marginal increases throughout the country, particularly in West Bengal and East and North Eastern parts of the country.

(b) No tax has been imposed by the Central or the State Governments on salt producers or on save. However, the Salt Cess Act 1953 and the Salt Cess Rules, 1963 made thereunder, provide for the levy of salt cess at the rates of Rs. 1.75 and Rs. 3.50 per metric tonne on the Salt Works operating in areas between 10—100 acres and above 100 acres respectively. The small salt manufacturers operating in an area less than 10 acres and the salt exported are exempted from the levy of this cess.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक तथा लेखाकार्य सम्बन्धी नियम-पुस्तक

572. **श्री एल० के० डोले** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिय अभी तक कोई प्रशासनिक नियम-पुस्तक तथा लेखाकार्य नियम-पुस्तक तैयार नहीं की गई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी ।

(ख) ने (घ) अभी तक कोई भी प्रशासनिक नियम-पुस्तक तैयार नहीं की गई है ।

समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने लेखाकार्य नियम-पुस्तक का मसौदा पहले ही संकलित कर लिया है ।

27-8-77 को प्रकाशित गज़ट में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियमों में सेवा-शर्तों तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में पर्याप्त जानकारी निहित है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने प्रशासनिक नियम-पुस्तक को तैयार करना आरम्भ कर दिया है ।

INCONVENIENCE TO PASSENGERS AND PERSONS PROCEEDING TO JODHPUR AIRPORT

573. SHRI R. D. GATTANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether difficulties and inconvenience experienced daily by passengers and persons coming to receive and see them off at Jodhpur airport because of its being in military areas will be removed; and

(b) how long people will face this difficulty though another road leading to this airport has been constructed by the Public Works Department of the State ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b) The work on construction of the civil enclave is expected to be completed by April, 1978. When the new civil enclave is commissioned the position will improve.

BANK LOANS TO SMALL AND BIG INDUSTRIES

574. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even now the small and big industries are not increasing their production for want of bank loans in the country;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government would provide loans to such industries in order to increase production ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c) The credit policy currently followed by RBI seeks to provide maximum possible support for assisting production while at the same time ensuring that there is no wasteful use of bank credit. Towards this end banks have been advised to meet the genuine credit requirements for production, investment and export in full. Besides in order to stimulate capital investment in the small scale sector banks have been advised to charge a rate of interest not exceeding 11% on their term loans to small scale units covered under the Credit Guarantee Scheme. As a result, the outstanding credit of scheduled commercial banks has recorded an increase of 13.4% during the period December, 1976 to December, 1977. This will be evident from the figures in the table given below :

(Rs. in crores)

	December 1976	December 1977	Increase Amount	Percent
Small Scale Industries	1258	1589	331	26·3
Medium and large Industries.	5383	5941	558	10·4
TOTAL	6641	7530	889	13·4

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों द्वारा शेयर पूंजी का कम किया जाना

575. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग चाय कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का अनुपालन करते हुए अपनी शेयर पूंजी कम करने पर सहमत हो गई हैं ;

(ख) क्या स्टर्लिंग चाय कम्पनियों ने परस्पर मिल कर दो ग्रुप बनाने और अपने कार्यों में विविधता लाने का निर्णय किया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) अधिकांश स्टर्लिंग चाय कंपनियों के भारतीयकरण की योजना में भारतीय कंपनियों में मिलने वाली स्टर्लिंग चाय कंपनियों का एक ग्रुप शामिल है जो उनके मौजूदा कारोबार को अपने हाथ में लेने के लिए बनाया गया है। इस समय उनके कार्यों में विविधता लाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) स्टर्लिंग चाय कंपनियों के भारतीयकरण का प्रस्ताव सरकार के ध्यान में है। स्टर्लिंग चाय कंपनियों द्वारा भारतीयकरण के लिए अपनाये गये इस ढंग पर सरकार को सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं है।

ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए विदेशी निवेश हेतु नीति

576. **श्री ई० मायातेवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए विदेशी निवेश हेतु अब तक की स्पष्ट नीति क्या रही है और अब उस नीति में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) आठ देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 80—सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने क्या ठोस प्रस्ताव पेश किए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विदेशी व्यापारिक पूंजीवाद के भारी कुप्रभावों से बचते हुए विदेशी निवेश के संबंध में अंतिम रूप से क्या निर्णय किया गया है अथवा करने का विचार है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) माननीय सदस्य का ध्यान औद्योगिक नीति विषयक उस विवरण की ओर दिलाया जाता है जो 23 दिसम्बर, 1977 को सभा-पटल पर रखा गया था । इस विवरण में उन परिवर्तनों का ब्यौरा दिया गया है जिन पर नई औद्योगिक नीति में बल दिया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि विदेशी पूंजी-निवेश को क्या भूमिका सौंपी गई है ।

बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा हाल में आयोजित गोलमेज चर्चा का स्वरूप अनौपचारिक बातचीत जैसा था और उसमें नई औद्योगिक नीति के बारे में उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए थे ।

कोंकोर्ड की भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ानें

577. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारतीय क्षेत्र के ऊपर से ब्रिटिश एयरवेज के सुपरसोनिक कोन्कोर्ड विमान की उड़ाने आरंभ करने के लिये भारत सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कार्य

578. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 55 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (बिजनेस इंटरनेशनल) के कार्यपालक प्रतिनिधियों ने हाल ही में प्रधान मंत्री तथा उद्योग मंत्री से विस्तार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) क्या इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कम प्राथमिकता वाले तथा ऊंचे लाभ वाले क्षेत्रों में और अधिक अवसर देने पर जोर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का रवैया क्या है ?

(घ) क्या सरकार कम प्राथमिकता के उन क्षेत्रों में जहां भारतीय कम्पनियों के पास सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को काम करने से रोकने का भरसक प्रयास करेगी ; और

(ङ) क्या ऐसे क्षेत्रों को स्पष्ट से अंकित किया जाएगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा हाल में आयोजित गोलमेज चर्चाओं में, सरकार की नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में अनौपचारिक बातचीत की गई । यह स्पष्ट किया गया कि नीची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किन्तु अति परिष्कृत और जटिल क्षेत्रों में जहां देसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, विदेशी पूंजी लगाने के मामलों पर भी विचार किया जा सकता है ।

(ङ) जी, हां ।

कपड़ा समिति दिल्ली के 'आंसुका' के अधीन बन्दी बनाये गए सात इन्स्पैक्टरों का स्थानान्तरण

579. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान, 1976 में गलत ढंग से आंसुका के अधीन बन्दी बनाये गये कपड़ा समिति, दिल्ली के सात इन्स्पैक्टरों को, जिनके मामले अभी शाह आयोग के विचाराधीन हैं, रिहाई के बाद कपड़ा समिति द्वारा दिल्ली से बाहर दूरस्थ केन्द्रों पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ;

(ख) कपड़ा समिति के उन सात इन्स्पैक्टरों के नाम क्या हैं तथा इस समय वे कहां-कहां पर नियुक्त हैं ; और

(ग) उनको दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) वस्त्र समिति के एक सहायक इन्स्पैक्टिंग अधिकारी तथा आठ इन्स्पैक्टरों को, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान 1976 में आंसुका के अधीन बंदी बनाया गया था तथा फरवरी, 1977 में हिरासत से रिहा किया गया था, वस्त्र समिति द्वारा दिल्ली से बाहर नियुक्त किया गया था क्योंकि समिति ने अनुभव किया कि हिरासत से रिहाई के तुरन्त बाद ये अधिकारी दिल्ली में अपनी ड्यूटी निभाने में उलझन महसूस करेंगे और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वस्तुतः दो इंस्पैक्टरों ने दिल्ली के बाहर तैनात किये जाने के लिये कहा था। सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम तथा जहां वे इस समय तैनात हैं उन स्थानों के नाम नीचे दिये जाते हैं :

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति
1.	श्री डी० वी० घोष	इंस्पैक्टर	क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत।
3.	श्री आर० एस० गुप्त	"	क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत।
3.	श्री ए० के० चक्रवर्ती	"	मुख्यालय, बम्बई।
4.	श्री ए० मुखर्जी	"	क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर।
5.	श्री आर० सी० जैन	"	क्षेत्रीय कार्यालय, शोलापुर।
6.	श्री वी० वी० भाम्बरी	"	क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर।
7.	श्री आर० रंगराजा	"	मुख्यालय, बम्बई।
8.	श्री सी० एम० वेंकटेश	"	क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर।
9.	श्री एस० एन० चटर्जी	सहायक इंस्पैक्टिंग अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता।

देश से लौह अयस्क की बिक्री में गिरावट

580. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान देश से लौह अयस्क की बिक्री में काफी गिरावट आई है ;

(ख) क्या बिक्री में इस गिरावट का मुख्य कारण भारतीय लौह अयस्क के मुख्य विदेशी क्रेताओं द्वारा आयात में गिरावट आना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के निर्यातों के कम होने की सम्भावना नहीं है। तथापि, विश्व इस्पात उद्योग में मंदी बने रहने के फलस्वरूप प्रमुख विदेशी खरीददारों के पास भारतीय लौह अयस्क के माल का भारी स्टाक होने के कारण निर्यातों के निर्धारित स्तर में कुछ गिरावट आ सकती है।

OFFICIAL DELEGATIONS SENT ABROAD

581. SHRI YAGYA DUTT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of official delegations sent abroad during the last six months; and

(b) the amount spent on these delegations ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

मजूरी नीति

582. **श्री चित बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान मजूरी नीति की परिभाषा पुनः करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि विचाराधीन मजूरी नीति को अन्तिम रूप दिये जाने तक मजूरी में संशोधन के बारे में सभी विवादों को स्थगित रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी नीति का संपूर्ण रूप म औद्योगिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की परिलब्धियों में उत्पन्न भारी विषमताओं के बारे में अक्तूबर, 1977 में वेतन, आय और मूल्य विषयक अध्ययन दल गठित किया है। इस अध्ययन दल द्वारा अपने विचारार्थ विषय के अनुसार वेतन, आय और मूल्य विषयक नीति का मसौदा तैयार किया जाना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पर्यटकों के लिए होटल आवास की कमी

583. **श्री एम० रामागोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटकों के लिये होटल आवास की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हो, तो स्वीकृत सूची में होटलों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा कुल कितने कमरे उपलब्ध हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) बम्बई तथा दिल्ली जैसे प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर वर्ष भर तथा आगरा, जयपुर, वाराणसी, खजुराहो, गुलमर्ग, हस्सन तथा मैसूर जैसे कुछ अन्य पर्यटन केन्द्रों पर व्यस्ततम पर्यटन मौसम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के उपयुक्त स्तर के होटल आवास की कमी रहती है।

(ख) इस समय, पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर 287 होटल हैं जिनमें कुल 17,831 कमरों की धारिता है।

तस्कर तथा उनके सहयोगियों के राजनैतिक सम्पर्क

584. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि देश के विभिन्न भागों में तस्कर और उनके सहयोगी देश के राजनैतिक व्यक्तियों से निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तस्करों के राजनैतिक सम्पर्कों के बारे में जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) (ख) **और** (ग) तस्करों के राजनीतिक संबंधों का पता लगाने के प्रयत्न किय जा रहे हैं। परन्तु इस अवस्था में, कोई अतिरिक्त सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

वास्तविक प्रयोक्ताओं को एल० बेस की बिक्री के बारे में मूल्य सम्बन्धी फार्मूला

585. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नाम की सरकारी माध्यम से आयात करने वाली एजेंसी वर्ष 1977-78 की अवधि के लिये अपने आबंटनों पर वास्तविक प्रयोक्ताओं को एल० बेस की बिक्री के बार में आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मूल्य सम्बन्धी फार्मूले का उल्लंघन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आयात सम्बन्धी नीति में संशोधन करने के लिये सरकार ने क्या कायवाही की है अथवा करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग की एल० बेस इसके मूल्य सम्बन्धी फार्मूले के आधार पर उपलब्ध होता है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। मार्गीकरण अभिकरण केवल रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण करता रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते और अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाया जाना

586. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन मानों के ढांचे पुनः तैयार करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में मंहगाई भत्ते और अतिरिक्त महंगाई भत्ते का मूल वेतन में मिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया हो, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) और (घ) 272 अंकों के सूचकांक औसत को पूरा करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को मंजूर किये गये महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने का प्रश्न राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष द्वारा परिषद की 26/27 अगस्त, 1977 को हुई पिछली साधारण बैठक में उठाया गया था। जैसाकि उस बैठक में निर्णय किया गया था, इस मामले को परिषद की एक समिति के पास विचार करने के लिये भेज दिया गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आई० बी० एम० और कोका कोला के बारे में सरकारी नीति

587. **श्री प्रद्युमन बल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 55 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में जिन्होंने हाल में इस देश का दौरा किया था, आई० बी० एम० और कोका कोला के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी; और

(ख) क्या इस बातचीत के बाद आई० बी० एम० और कोका कोला के प्रति सरकार की नीति अथवा रवैये में कोई परिवर्तन आया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

PAYMENT OF INCOME TAX BY PRIVATE SECTOR INDUSTRIES IN MADHYA PRADESH AT HEADQUARTERS SITUATED OUTSIDE THE STATE

588. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of private sector industries in Madhya Pradesh whose headquarters are situated outside the State and who also pay income tax outside the State;

(b) whether the question of giving this share of income tax ot Madhya Pradesh would be considered, as presently, the income tax deposited at these headquarters goes to the States in which they are located; and

(c) whether Government of India are considering to ask them to pay income tax in the State in which these industries are located ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c). The information is being collected and will be placed on the table of the House as soon as it is available.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक अधिकारियों के साथ बातचीत

589. **श्री ब्रह्मप्रकाश**
श्री आर० के० महालगी
श्री प्रसन्न भाई मेहता
डा० बापू कालदाते
श्रीमती मृणाल गोरे
श्री पी० के० कोडियान
श्री लखन लाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 55 बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक अधिकारियों ने यहां विदेशी पूंजी निवेश के वातावरण के बारे में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करने हेतु इस देश का हाल में दौरा किया था;

(ख) इन कार्यपालक अधिकारियों ने उनके तथा प्रधान मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ किन मुख्य विषयों पर बातचीत की थी;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति सरकार की नीति में इस बातचीत के बाद कुछ परिवर्तन आया है; और

(घ) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

वित तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)

(क), (ख) और (घ) बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चाओं के दौरान, व्यापार, विकास और पूंजी-निवेश सम्बन्धी सरकारी नीतियों के बारे में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई। उसमें उपर्युक्त स्पष्टीकरण दिये गये और इनके फलस्वरूप हमारी बुनियादी नीतियों को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से समझा गया होगा ।

(ग) जी, नहीं।

विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि का उपयोग

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री श्री एच० एम० पटेल) :

590. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका उपयोग तदर्थ आधार पर किया जा रहा है अथवा अर्थव्यवस्था में सुधार करने के विचार से कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में उसका कितना और किन विशेष प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 31 दिसम्बर, 1977 को भारत के पास 3998.3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के एक भाग को कीमतों को स्थिर रखते हुए अर्थव्यवस्था के समूचे विकास को बढ़ावा देने के लिये इस्तेमाल किया जाये। मौटे तौर पर जो कदम उठाये गये हैं वे ये हैं:--

(i) देश की उत्पादक क्षमता के उपयोग के अनुरूप अर्थव्यवस्था की आयातित कच्चेमाल, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और उपस्करों की सभी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना;

(ii) सेवा में कीमतों को स्थिर बनाये रखने से कम मात्रा में मिलने वाली आम उपभोग की महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध करना;

(iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निर्धारित परियोजनाओं और कार्यक्रमों में, जिनके लिये बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, और अधिक पूंजी लगाकर अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।

(ग) विदेशी मुद्रा प्राराक्षत निधि में होने वाले परिवर्तन देश के विदेशी लेनदेनों के निवल परिणामों के द्योतक हैं। आयात सम्बन्धी नीति के उदार बना दिये जाने और खाद्य तेलों, कपास, कपड़े के अन्य रेशों, अल्युमिनियम, सीमेंट आदि जैसी आम उपभोग की वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के स्तर में काफी वृद्धि कर दिये जाने के कारण चालू वर्ष में देश में अनाज-भिन्न आयात में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन अनाज के आयात में कमी होने, निर्यात में वृद्धि होने और देश में विदेशों से भेजी जाने वाली रकमों का सिलसिला बराबर बना रहने जैसे अनुकूल कारणों से यह कमी न केवल प्रतिसन्तुलित हो गई बल्कि प्रारक्षित निधि में कुछ वृद्धि हुई है। इस प्रकार पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 1096.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

विमुद्रीकरण से तत्काल पूर्व बैंकों के पास बड़े मूल्य वाले मुद्रा नोट

591. श्रीमती मृणाल गोरे
श्री आर० के० महालगी
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमुद्रीकरण आदेश जारी करने से तत्काल पूर्व राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकिंग कम्पनियों से 1000.00 रुपये 5,000.00 रुपये और 10,000.00 रुपये के मूल्य के नोटों के बारे में जिनका 16 जनवरी, 1978 का विमुद्रीकरण किया गया, आंकड़े एकत्र किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका, मूल्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जायगी, सभा पटल पर रख दी जायगी।

अधिक मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण का प्रभाव

592. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री चित्त बसु
श्री हितेन्द्र देसाई
श्री पी० के० कोडियान
श्री के० लकप्पा
श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक हजार तथा अधिक के मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) विमुद्रीकरण के पश्चात् कितने उक्त नोट सरकार को पेश नहीं किये गये;

(ग) उक्त नोटों के विमुद्रीकरण का क्या कारण था;

(घ) क्या सरकार का 100 रु० के नोटों का विमुद्रीकरण करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं तो काले धन को रोकने के लिये सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) ऊंचे मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हो जायेगी उसे सभा-पटल पर रखा दिया जायगा।

(ग) विमुद्रीकरण का उद्देश्य यह था कि ऐसे लेनदेनों की वित्त व्यवस्था के लिये धन के अवैध अन्तरण को रोका जाय, जो कि अर्थव्यवस्था के लिये घातक हैं या जो गैर-कानूनी प्रयोजनों से संबंधित हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) काले-धन की रोकथाम करने तथा उसे बरामद करने की ऐसी कार्रवाई, जिसे सरकार जरूरी समझती है, पहले से ही की जा रही है और आगे भी करती रहेगी।

पश्चिम बंगाल में फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

593. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसी फर्मों की संख्या क्या है जिन्होंने वर्ष 1977 के दौरान आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया और जिनके विरुद्ध जांच हो रही है अथवा पूरी हो गई है;

(ख) क्या इनमें से कुछ फर्में, इस तथ्य के बावजूद कि उनके विरुद्ध जांच हो रही है अभी भी अपने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) 1977 वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल बें स्थित 19 फर्मों के विरूद्ध आयात लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग की शिकायतें दर्ज की गई थीं। इनमें से 2 मामलों को इस लिये समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनके विरूद्ध अपराध में फंसाने वाले कोई भी तथ्य नहीं पाये गये। शेष 17 मामलों के बारे में छानबीन हो रही है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ESTABLISHMENT OF A BANK FOR DEVELOPING COUNTRIES

594. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) Whether it is a fact that India and four other non-aligned countries are considering the establishment of a Bank for developing countries;

(b) the main decisions taken in the conference held at Belgrade recently for mutual economic co-operation in the non-aligned countries; and

(c) the form of contribution of the proposed bank for providing resources for the formulation of developmental schemes and their implementation on mutual basis in this part of the world ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a), (b) and (c). The coordinating group of non-aligned countries on monetary and financia cooperation which recently met in Belgrade has undertaken a feasibility study of a Bank of Developing Countries. The study is still under way. The establishment of such a Bank will depend upon the findings of this study and the decision that will be taken on them by all non-aligned countries.

एयर इण्डिया के जम्बो जेट "एम्परर अशोक" के दुर्घटनाग्रस्त होने में व्यक्तियों की मृत्यु तथा प्राप्त शव

595. **श्री कचरुलालहेमराज जैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 में एयर इण्डिया के बोइंग की दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) समुद्र से कितने शव प्राप्त हो गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) विमान दुर्घटना में 213 व्यक्ति मारे गये।

(ख) इस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों में से 93 व्यक्तियों के शव मिले हैं।

बड़े नोटों के रूप में प्रचलन में धनराशि की मात्रा

596. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 में विमुद्रीकरण से पहले कितनी राशि के बड़े नोट प्रचलन में थे;

(ख) विमुद्रीकरण के बाद वापिस किये गये प्रत्येक राशि के नोटों की धनराशि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत दावों की धनराशि क्या है; और

(घ) वापिस न किये गये और रद्द हुए नोटों का अनुमानित मूल्य कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) 16 जनवरी, 1978 को कारोबार बन्द होने के समय एक हजार रुपये के मूल्य वर्ग के 12.80 लाख बैंक नोट जिनका मूल्य 128 करोड़ रुपये था, 5,000 रुपये मूल्य वर्ग के 36,300 नोट जिनका मूल्य 18.15 करोड़ रुपये था, और 10,000 रुपये मूल्य वर्ग के 346 नोट जिनका मूल्य 34.6 लाख रुपये था, चलन में थे। कुल मिलाकर यह मूल्य लगभग 146.5 करोड़ रुपये बैठता है। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख), (ग) और (घ) चूंकि विभिन्न बैंकों/सरकारी खजानों से अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिये रिजर्व बैंक ने उसे संकलित नहीं किया है। जैसे ही ब्यौरा उपलब्ध हो जायेगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बड़े मूल्य वाले करेंसी नोटों की कुल संख्या

597. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 जनवरी, 1978 को 1,000 रु०, 5,000 रु० और 10,000 रु० मूल्य के करेंसी नोटों की कुल संख्या निर्धारित की थी;

(ख) क्या रिजर्व बैंक उक्त श्रेणी के नोटों को जारी करने का रजिस्टर रखता है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणी के नोटों को जारी करने के रिकार्ड का 16 जनवरी, 1978 को क्या ब्यौरा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ग) 16 जनवरी, 1978 को कारोबार बन्द होने के समय 1,000 रुपये के मूल्य वर्ग के 12.80 लाख बैंक नोट जिनका मूल्य 128 करोड़ रुपये था, 5,000 रुपये मूल्य वर्ग के 36,300 बैंक नोट जिनका मूल्य 18.15 करोड़ रुपये था और 10,000 मूल्य वर्ग के 346 नोट जिनका मूल्य 34.6 लाख रुपये था चलन में थे किन्तु ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) जी, हां।

बड़े मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण का प्रभाव

598. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1000 रुपये तथा उससे ऊपर के करेंसी नोटों के हाल के विमुद्रीकरण से वे प्रयोजन सिद्ध हो गये हैं जो सरकार के ध्यान में थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उपाय के प्रभावों का विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) क्या यह विश्वास किया जाने का कारण है कि उक्त नोटों का केवल कुछ अंश तक ही बैंकों को समर्पित किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) ऊंचे मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण का उद्देश्य यह था कि ऐसे लेनदेनों की वित्त-व्यवस्था के लिये धन के अवैध अन्तरण को रोका जाये जो कि अर्थव्यवस्था के लिये घातक हैं या जो गैर-कानूनी प्रयोजनों से संबंधित हैं। इस कार्यवाही का जो प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) चूंकि अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये रिजव बैंक ने उसे संकलित नहीं किया है । जैसे ही ब्यौरा उपलब्ध होगा वैसे ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया को लौटाये गए बड़े नोटों की राशि

599. **श्री के० टी० कौशल राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुद्रीकरण अध्यादेश के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को कितनी राशि के बड़े नोट लौटाये गये;

(ख) व्यक्तियों, संस्थानों आदि द्वारा लौटाये गये ऐसे करेंसी नोटों की प्राप्ति के स्त्रोतों की जांच होने तक रिजर्व बैंक ने कितनी राशि के नोटों का भुगतान रोक लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है जिन्होंने ऐसे बड़े नोट जला दिये हैं और जिनके पास ये नोट अभी तक मौजूद हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जायेगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) 16 जनवरी, 1978 को ऊंचे मूल्यवर्ग सम्बन्धी बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश 1978 के जारी होते ही ऊंचे मूल्य वर्ग के बैंक नोट विधिमान्य मुद्रा नहीं रहे। यदि इस प्रकार का कोई भी नोट उस नोट के मालिक या धारक के द्वारा जला दिया जाता है या वह नोट उसके पास पड़ा हुआ हो, तो इस अध्यादेश में निहित कोई भी दण्डव्यवस्था लागू नहीं होगी। चूंकि इस प्रकार की कार्यवाहियां अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन जुर्म नहीं होंगी इसलिये इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा चार्टर्ड विमानों का उपयोग

600. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों ने गत चार महीनों के दौरान दिल्ली से बाहर राज्यों का दौरा करते समय कितनी बार चार्टर्ड विमानों का उपयोग किया; और

(ख) क्या सरकार ने पहले ऐसा कोई वक्तव्य दिया था कि वे चार्टर्ड विमानों का उपयोग नहीं करेंगे और यदि हां, तो कब?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोतम कौशिक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा फर्मों को दिए गए परिवहन ठेके

601. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने परिवहन ठेके दिये थे;

(ख) इन ठेकों के बारे में इन कम्पनियों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह सच है कि कोठारी नामक एक व्यक्ति ने विभिन्न फर्मों के नामों से अनेक परिवहन ठेके लिये हैं।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा परिवहन ठेके देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) 1976-77 तथा 1977-78 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जिन कम्पनियों को परिवहन ठेके दिये गये हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

(1) मैसर्स उड़ीसा स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कटक (राज्य सरकार उपक्रम)।

(2) मैसर्स सेठी ट्रांसपोर्ट, कटक।

(3) मैसर्स बी० पी० सिंडीकेट, कटक।

(4) मैसर्स ईस्टर्न रोडवेज, कटक (केवल 1976-77)

(5) मैसर्स ए० के० ट्रांसपोर्ट शेख बाजार, कटक-3 (1977-78 में नियुक्त)।

(6) मैसर्स ईस्टर्न ट्रेडिंग कार्पोरेशन स्टेशन बाजार, कटक-3 (1977-78 में नियुक्त)

(7) मैसर्स मैसूर मिनरल्स लिमिटेड (राज्य सरकार उपक्रम), 39, महात्मा गांधी रोड, बंगलौर-1 (1968 से नियुक्त)।

(ख) 1976-77 में उपर्युक्त ठेकेदारों में से प्रत्येक को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है:

(लाख रु०)

1. मैसर्स उड़ीसा स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड . .	13.79
2. मैसर्स सेठी ट्रांसपोर्टस	28.26
3. बी० पी० सिंडीकेट . .	9.63
4. मैसर्स ईस्टर्न रोडवेज . .	30.27
5. मैसर्स मैसूर मिनरल्स लिमिटेड	293.10†

† इसमें न केवल परिवहन का भुगतान शामिल है अपितु लादने-उतारने का प्रभार भी शामिल है।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने भी कोठारी नामक किसी व्यक्ति के साथ कोई करार नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) टेंडरों के जवाब में प्रतियोगी दरों के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाते हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया को लौटाये गए बड़े नोट

602. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न शहरों से रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कुल कितने बड़े नोट लौटाये गये और उनका मूल्य क्या था; और

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के अनुसार ये आंकड़े सन्तोषप्रद नहीं हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) सम्बद्ध विभिन्न बैंकों की सभी शाखाओं में सरकारी खजानों से अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे ही ब्यौरा उपलब्ध हो जायेगा, उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जैसे ही पूरी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी, उससे सही स्थिति मालूम हो जायेगी ।

PERSONS ARRESTED ON CHARGES OF SMUGGLING

603. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) number of person arrested so far after the lifting of emergency on the charge of smuggling and the number of foreigners amongst them and the countries to which they belong;

(b) quantity of smuggled goods seized during the above period; and

(c) special efforts made by the Government for checking smuggling ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGGARWAL) : (a). Reports received by the Government indicate that 1,364 persons were arrested after the lifting of emergency and upto 31st January, 1978, for their involvement in smuggling. Out of these 253 persons were foreigners belonging to different countries indicated in the statement annexed. [Placed in Library. *See* No. I.T. 1588/

(b) Contraband goods worth about Rs. 26.64 crores were seized after the lifting of the emergency and till 31st January, 1978.

(c) The Government have launched a three-pronged attach to curb smuggling, (i) by strengthening the preventive and enforcement machinery including provision of additional staff, (ii) recourse to prosecutions under the relevant provisions of the law and also selective application of the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, and (iii) by taking appropriate economic measures to make sensitive goods available within the country at reasonable rates.

विकासशील देशों के साथ विकास और सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यवाही

604. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) अन्य विकासशील देशों के साथ विकास और सहयोग बढ़ाने के लिय क्या प्रयास किये जा रहे ह; और

(ख) क्या सरकार अफ्रीका, लेटिन अमरीका तथा पूर्व एशिया में निर्यात विपणन के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अन्य विकासशील देशों के साथ विकास सहयोग को मजबूत बनाने के लिये किये जाने वाले उपायों में ये शामिल हैं: जिन देशों के साथ भारत के व्यापार करार नहीं हैं उन देशों के साथ व्यापार करार करना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का नियमित रूप से आना-जाना, प्रदर्शनियों/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, भारत में व्यापारियों को वाणिज्यिक जान कारी देना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, उद्योग तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की व्यवस्था, संयुक्त आयोग की स्थापना, विकासशील देशों के राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, विकासशील देशों को पूंजीगत माल तथा पूंजीगत उपस्कर आदि उपहार में देना, सम्भाव्यता अध्ययन चलाने के लिये सहायता देना। सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी विभिन्न भारतीय कम्पनियां, इन परियोजनाओं के लिये या तो प्रमुख संविदा-कार के रूप में अथवा उन्हें उपस्कर तथा मशीनरी सप्लाई करके इन देशों के विकास कार्य-कर्मों में भाग लेने का प्रयास कर रही है।

(ख) राज्य व्यापार निगम, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद तथा चाय बोर्ड जैसे कुछ संगठनों में इनमें से कुछ देशों में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं। इन देशों में स्थित भारतीय व्यापार मिशनों को, जब और जैसे जरूरत होती है, अतिरिक्त स्टाफ देकर और अधिक मजबत बनाया जाता है।

जिन मदों के निर्यात तथा आयात में हमें दिलचस्पी है और जिन क्षत्रों में औद्योगिक सहयोग की गुंजाइश है अथवा उनका पता लगाने के लिये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान समय-समय पर अनेक विदेशी बाजारों का व्यापक अध्ययन करता रहता है।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लि० को अनियमित ढंग से अग्रिम राशि देने विषयक घोष समिति का प्रतिवेदन

605. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सेंट्रल बक आफ इण्डिया, बम्बई द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को अनियमित अग्रिम राशि और अनधिकृत ऋण देने के बारे में जांच के लिये नियुक्त "घोष समिति" का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं और अनियमित तथा अनधिकृत अग्रिम राशि देने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन ऋणों की वसूली के लिये अथवा उन्हें अधिक सुरक्षित और नियमित बनाने के लिय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है और इस रिपोर्ट पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई से सदन को शीघ्र ही सूचित कर दिया जायेगा।

बैंकों में अधिक मूल्य के नोट जमा करने के बारे में मुकाबले मुकदमें

606. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1978 तक कितने व्यक्तियों ने अधिक मल्य के नोट बैंकों और खजानों में जमा किये;

(ख) क्या किसी व्यक्ति पर कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है।

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जायेगी, उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) अभी तक कोई नहीं।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

संघों से बातचीत करने के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश

607. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने भूतलिंगम अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक वेतन पुनरीक्षण के बारे में किसी भी संघ से बातचीत न करने के लिये सरकारी उपक्रमों को निदेश दिये हैं;

(ख) निदेशों का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस निदेश से सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों में बहुत रोष है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की परिलब्धियों में उत्पन्न भारी असमानताओं के बारे में वेतन, आय और मूल्य विषयक अध्ययन दल गठित किया गया है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि जब तक चालू इस अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर वेतन और आय के विषय में कोई नीति निर्धारित न हो जाये, तब तक सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त किये बिना, वेतन सम्बन्धी किसी भी करार को अन्तिम रूप न दिया जाये।

(ग) और (घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिए गए ऋण

608. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे किसानों को किस उद्देश्य के लिये, किन शर्तों पर तथा कितनी अवधि के लिये ऋण दिये;

(ख) क्या उनकी साख का मूल्यांकन किया जाता है और किसान की भूमि रहन रखी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस शर्त के कारण छोटे अथवा भूमिहीन किसान ऋण सुविधा से वंचित रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन किसानों को सुविधायें देने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक फसल उत्पादन, लघु सिंचाई, भूमि विकास, डेरी, मुर्गीपालन, सूअर तथा भेड़ पालन आदि उद्देश्यों के लिय छोटे किसानों को अल्प तथा मध्यम अवधि के लिये ऋण देते हैं। भिन्न-भिन्न बैंकों की भिन्न-भिन्न शर्तें तथा निबन्धन है लेकिन आमतौर पर ये निम्नलिखित हैं :—

	अवधि	ब्याज की दर	सुरक्षा
1. अल्पावधि ऋण	12 से 15 महीने तक	$10\frac{1}{2}$ % से $13\frac{1}{2}$ % तक	खड़ी फसल पर प्रभार।
सावधिक ऋण	3 से 7 वर्ष तक	$8\frac{1}{2}$ % से $13\frac{1}{2}$ % तक	एक या दो व्यक्तियों की जमानत पर 2000/– रु० तक, 2000/– रु० से ऊपर सम्पत्ति को दृष्टि बंधक रखकर ऋण को गिरवी रख कर जो भी उपलब्ध हो। जहां पर कोई ठोस जमानत उपलब्ध न हो सके, समूह गारंटी ली जाती है

(ख), (ग) और (घ) फसल ऋण देने के लिए खेती की सीमा तथा इसके मूल्य को ध्यान में रखा जाता है जबकि विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये वापस अदायगी की उस क्षमता को ध्यान में रखा जाता है जो कि प्रस्तावित निवेश से बढ़ने वाली आय के कारण बढ़ेगी। रु० 2000/-- से अधिक के सावधिक ऋण के लिये ऋणकर्त्ता को अन्य साधन जुटा कर ऋण लेने पर रोक लगाने के लिये--जहां उपलब्ध हो--भूमि को गिरवी रखने का आग्रह किया जाता है। बैंक छोटे भूमिहीन किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अधिकतम सीमा तक पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं।

पश्चिमी तट और नेपाल सीमा पर तस्करी

609. **श्री वसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ महीनों में पश्चिमी तट और नेपाल सीमा पर तस्करी काफी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनः आरम्भ हुए तस्करी कार्य को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये/अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने उन सौ से कुछ अधिक बड़े तस्करों से कोई सहयोग मांगा है/सरकार को सहयोग प्राप्त हुआ है जिन्होंने कुछ समय पूर्व तस्करी छोड़ने का तथा तस्करी की समस्या से निपटने के लिये सरकार को प्रभावी/ठोस सहयोग देने की सार्वजनिक रूप में शपथ ली थी; और

(घ) इन तस्करों के विरूद्ध अनिर्णीत मामलों के बारे में क्या प्रगति हुई है तथा इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है।

(ख) पश्चिम समुद्रतट और नेपाल सीमा के साथ-साथ तस्करी के खतरे को कम करने के लिये निवारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है तथा उनकी अधिक प्रभावशाली ढंग से इधर-उधर तैनाती की गई है। सीमा के नजदीक नई निवारक जांच चौकियां बनाई गई हैं। आसूचना ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये, पश्चिम समुद्रतट तथा तमिलनाडु के समुद्रतटवर्ती हिस्से में बेतार-संचार का जाल बिछा दिया गया है। भारत-नेपाल सीमा के लिये ऐसे ही बेतार तन्त्र की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जलयानों की तलाशी लेना, तस्करी के लिये सुगम भू-मार्गों पर गश्त लगाना तथा हवाई अड्डों पर अधिक सतर्कता बरतने जैसे तस्करी-निवारक उपाय सुगठित किये गये हैं तथा उन्हें और शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, तस्करी के लिये सुगम स्थलों पर अधिक प्रेक्षण चौकियां स्थापित करने, मुखबिरों को दिये जाने वाले पारितोषिक की मात्रा बढ़ाने और उसका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने और कतिपय क्षेत्रों में तस्करी विरोधी प्रयासों में ग्राम पंचायतों और राज्य तन्त्र का सहयोग प्राप्त करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कुछेक तस्करों ने, जिन्होंने तस्करी छोड़ने की शपथ ली थी, तस्करी के बारे में सूचना देकर सरकार के साथ सहयोग करने की पेशकश की थी। किन्तु, इस

पेशकश से अभी तक कोई ठोस मामले अथवा माल पकड़ने के मामले नहीं हुए हैं। बहुत से मामलों में, इनमें से कुछ तस्करों के खिलाफ तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सम्पत्ति के समपहरण के आदेश जारी किये गये हैं। कुछ अन्य मामलों में, कानून के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पत्ति के समपहरण की तथा इस्तगासे की कार्यवाही भी चल रही है।

ABOLITION OF SALES TAX ON FOODGRAINS

†610. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the States where sales tax is charged on foodgrains, pulses and edible oils;

(b) whether due to the levy of sales tax the prices of these commodities sold through public distribution systems become higher than these fixed by the Central Government;

(c) whether these commodities are sold to the consumers by fair price shops at prices higher than those fixed by the Central Government; and

(d) if so, whether Central Government propose to ask the respective State Govenrments to abolish sales tax on foodgrains etc. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a), (b) and (c). Levy of tax on sales or purchases of goods within a State is a State subject of taxation under the Constitution. The information sought for is, therefore, being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House when received.

(d) All the important cereals, pulses and oilseeds have been declared to be of special importance in inter-State trade or commerce and no State can levy sales tax on them at a rate exceeding 4% and that too on a single point basis. In view of this position, the incidence of sales tax on these cereals and pulses and on edible oils is controlled to certain extent. There is no proposal to ask the State Governments to abolish sales tax on these items.

CANCELLATION OF SEATS BY PASSENGERS OF AIR INDIA PLANE 'EMPEROR ASHOKA'

611. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item published in 'Rajasthan Patrika' dated 12th January, 1978 that 126 persons, who had reserved their seats in Jumbo Jet 'Emperor Ashoka' which met with an accident on 1st January, 1978 had cancelled their reservations on the advice of their relatives at Dubai on phone to the effect that there was risk involved in travelling by that plane;

(b) whether Government have enquired into the matter; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c). Yes, Sir. A similar Press Item referred to in the Question had been forwarded to the Court of Inquiry, who are investigating into the circumstances leading to the accident to Air India's Boeing 747 aircraft VT-EBD on 1st January 1978. The inquiry is in progress, and it is expected that Court will submit its report by 31st March 1978. Causes of accident and other details will be available on receipt of the report of the Court of Inquiry.

राज्य सरकारों की अफीम की खेती की मंजूरी लेने के लिए अभ्यावेदन

612. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश जैसी, जहां कोई नकदी फसल नहीं उगाई जाती, कुछ राज्य सरकारों से अफीम की खेती की मंजूरी के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में अफीम की काश्त के बारे में सरकार को केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से ही अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकार से आजमाइशी तौर पर 5 हेक्टेयर रकबे में अफीम की काश्त करने के लिये कहा गया है।

IMPORT OF INSULATING MATERIAL

613. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state.

(a) how much insulating material (produced from Mica) was imported by the Indian Traders from abroad during the last five years, year-wise and the value thereof; and

(b) whether it is proposed to ban its import in order to increase the consumption of Indian insulating material produced from mica ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a). The items constituting insulating material (produced from mica) are not separately classified.

(b) It has always been Government's policy to promote the better utilisation of locally available resources.

LOAN GIVEN TO FARMERS FOR PURCHASE OF FERTILIZERS AND SEEDS BY UNITED COMMERCIAL BANK NARAINPUR—MADHURAPUR, DISTRICT BHAGALPUR, BIHAR

614. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the farmers by the United Commercial Bank, Narainpur-Madhurapur, District Bhagalpur, Bihar for purchse of fertilizers and seeds;

(b) whether it is a fact that the officers of the above Bank are reluctant to give loans to the farmers for agricultural purposes; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE AND BANKING AND REVENUE (SHRI H. M. PATEL) : (a). Narainpur Branch, Bhagalpur District, Bihar of the United Commercial Bank advanced Rs. 3,000/- to 8 farmers for the purchase of seed and fertilizers, as at the end of December, 1977. The Bank has no branch in Madhurapur, District Bhagalpur, Bihar.

(b) and (c). The Bhaglpur Branch has, in fact, taken the initiative to provide loans to 92 farmers for minor irrigation under the Bihar Relief Committee Scheme through Bihpur Centre and the amount outstanding is Rs. 4.46 lakhs.

बैंक कर्मचारियों के कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल

615. **सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के कुछ कर्मचारी संघों ने दिसम्बर के अन्त में बैंकिंग उद्योग में हड़ताल करने का आवाह्न किया था;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे कर्मचारियों के आंकड़े हैं जो हड़ताल के दिनों में या तो काम पर आये थे या जिन्होंने आकस्मिक अवकाश लिया था; और

(ग) क्या सरकार को हड़ताली कर्मचारियों और हड़ताल न करने वाले कर्मचारियों के बीच हिंसा की कोई शिकायतें मिली थीं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी कांग्रेस से सम्बद्ध संघों के सदस्य बैंक कर्मचारियों ने 29 और 30 दिसम्बर, 1977 को हड़ताल की थी।

(ख) सरकार के पास उन कर्मचारियों के बारे में सही-सही आंकड़े नहीं है जिन्होंने हड़ताल के दिनों में काम किया अथवा जिन्होंने उन दिनों के लिये आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया।

(ग) हड़ताली और गैर-हड़ताली कर्मचारियों के बीच हिंसा की कुछ शिकायतें मिली हैं।

अग्रिम राशियों पर बैंक ब्याज दर कम करने सम्बन्धी सुझाव

616. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने (26 दिसम्बर, 1977 के ट्रिब्यून) प्रैस समाचार के रूप में प्रकाशित इस सुझाव पर ध्यान दिया है कि सरकार अग्रिम राशियों पर बैंक ब्याज दर कम करके तथा निजी और सरकारी क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा कर उत्पादन दुगुना कर सकती है;. और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सुझावों पर विचार करना चाहती है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने 26 दिसम्बर, 1977 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित दृष्टिकोण देखा है कि यदि बैंक ऋणों पर ब्याज की दरें कम कर दी जायें और गैर सरकारी क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा विमुक्त कर दी जाये तो देश में औद्योगिक उत्पादन कुछ ही वर्षों में दो गुना किया जा सकता है।

सरकार विदेशी मुद्रा कोष के एक भाग की स्वदेशी उत्पादक क्षमता के उपयोग से मेल खाते हुए आयातित कच्चे माल, यांत्रिक हिस्सों, फालतू पुर्जों और उपकरणों के लिये अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराकर उत्पादक और गैर-मुद्राप्रसारी रूप में उपयोग के उपाय कर चुकी हैं। समग्र आर्थिक स्थिति के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर ढांचें में सामंजस्य लाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर समीक्षा भी की जा रही है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य निर्धारण

617. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राकृतिक रबड़ का सांविधिक मूल्य पर्याप्त नहीं है और उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब तक प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों पर पुनर्विचार करने तथा उत्पादकों के लिये पर्याप्त मूल्य निर्धारित करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : **(क) तथा (ख)** रबड़ की कीमतों को उचित स्तरों पर बनाये रखने तथा उपजकर्ताओं के लिये उचित कीमत सुनिश्चित करने के विचार से, सरकार ने 6-8-77 से ग्रेड 1 रबड़ की न्यूनतम कीमत 520 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 655 रु० प्रति क्विंटल कर दी है तथा अन्य किस्मों के लिये भिन्न-भिन्न कीमतें निर्धारित कर दी हैं। यह संशोधन 31-3-1978 तक बैध हैं और तब तक स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा। रबड़ की संशोधित न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय सरकार ने, सभी आवश्यक मदों की कीमतें उचित स्तर पर बनाये रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है।

नेपाल के हशीश तस्करों पर मुकदमा

618. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सात हशीश तस्करों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अनुमानतः प्रश्न का संकेत, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय द्वारा नई दिल्ली में 14-10-77 को 41.1 किलोग्राम हशीश, 36.05 किलोग्राम हशीश तेल और 0.25 किलोग्राम गांजे की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त सात व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की ओर है। उन सात व्यक्तियों में से, 5 व्यक्ति नेपाल के और दो अमेरिका के हैं। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे। बाकी चार जिनमें से, दो अमेरिका के हैं और दो नेपाल के, गिरफ्तारी के लिये उपलब्ध नहीं हुए । लेकिन, सातों व्यक्तियों के खिलाफ कानून के संगत उपबंधों के अन्तर्गत अदालत में शिकायत दायर कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

APPOINTMENT OF CHAIRMAN OF SHIPPING CORPORATION OF INDIA

619. **SHRI RAM DHARI SHASTRI :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any Board for making appointment to the post of Chairman, Secretary, etc., in the Shipping Corporation of India and other public undertakings;

(b) whether it is a fact that the person appointed as Chairman of the Shipping Corporation of India was not recommended by the Board; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a). Appointments to the posts of Part-time Chairman, Chairman, Managing Director and full-time Directors on the Board of Public Undertakings are made by Government on the recommendation of the Public Enterprises Selection Board. Appointments below the Board level are made by the Companies themselves.

(b) & (c). Yes Sir. The Government felt that it may be suitable to have as the part-time Chairman of the Corporation a mature person from public life with a Vice-Chairman-*cum*-Managing Director who would be the whole-time Chief Executive. The appointment of Vice-Chairman and Managing Director was made on the recommendation of the Pubic Enterprises Selection Board.

सरकारी उपक्रमों के सेवा-निवृत्त चीफ इंजीनियरों, महाप्रबन्धकों, प्रबन्ध निदेशकों तथा चेयरमैनों की पुनर्नियुक्ति

620. **श्री नथुनी राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी उपक्रमों के ऐसे कितने सेवा-निवृत्त चीफ इंजीनियरों, महाप्रबन्धकों, प्रबन्ध निदेशकों और चेयरमैनों की या तो उन्हीं उपक्रमों में, जहां वे सेवा निवृत्ति से पहले काम कर रहे थे या अन्य उपक्रमों में परामर्शदाताओं अथवा सलाहकारों के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी उपक्रम में ऐसे किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) बहुत से युवा व्यक्तियों के मिलते हुए भी इन पदों पर सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकारी उपक्रमों में ऐसी नियुक्तियां करने के लिये सरकारी उपक्रम ब्यूरो कोई जांच करता है?

वित्त मन्त्री तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), और (घ) सरकारी उद्यमों में 2500 से 3000 रुपये तथा उनसे अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद केवल कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप मामलों में ही की जाती हैं, जहां किसी उपक्रम में वैसी विशेषज्ञता वाला अपेक्षित कोई सुयोग्य व्यक्ति सुलभ न हो । इस प्रकार की नियुक्तियों के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। कुछ सरकारी उद्यमों ने ऐसे सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को छ समय के लिये सलाहकार एवं परामर्शदाता नियुक्त करने की जरूरत महसूस की है, ताकि कारोबार के निमित्त उनके दीर्घ अनुभव का लाभ उठाया जा सके। इन नियुक्तियों से युवा व्यक्तियों की भावी पदोन्नति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की नियुक्तियों के बारे में उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई हैं। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1589/78)**

EXPENDITURE ON AIR JOURNEYS OF MINISTERS

621. SHRI MUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the Ministers and Ministers of State who undertook air journeys during the period from April, 1977 to December, 1977 indicating the number of air journeys made by each of them and the amount paid to them under travelling allowance head in each case; and

(b) the names of the Ministers together with the amount of expenditure incurred by Government on their foreign travel as also the amount of foreign travelling allowance paid to each of them

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

राज्य व्यापार निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा चीनी के सौदे

622. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या 28 जनवरी, 1978 के 'करेंट' साप्ताहिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार में कोई सत्य और सार है कि चीनी के कुछ संदिग्ध सोदे हुए हैं और राज्य व्यापार निगम का भूतपूर्व अध्यक्ष इन सौदों से संबंधित फाइलों में फेर बदल करने के लिये विमान द्वारा लन्दन गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की पूर्ण जांच करायेगी?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारित मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली व्यापारी संगठन द्वारा बिक्री कर समाप्त किए जाने का अनुरोध

623. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली आयरन एण्ड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसियेशन (पंजीकृत), चावड़ी बाजार दिल्ली और अनेक एसे संगठनों ने सरकार से इस तर्क पर सभी प्रकार का बिक्री और खरीद पर बिक्री कर समाप्त करने का अनुरोध किया है कि एसा करने से बिक्री कर लेखों के रखरखाव और बिक्री कर की वसूली और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा उपभोक्ताओं द्वारा उस पर किया जाने वाला व्यय कम होकर सरकार पर भार कम होगा;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) यदि सरकार इस प्रस्ताव के विरूद्ध है, तो उसके सविस्तार कारण क्या हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर राज्यीय कराधान का विषय है। राज्य सरकारों के साथ प्रारम्भिक चर्चायें हो चुकी है, बिक्री कर को हटाकर उसके स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में राज्य सरकारों को झिझक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति

624. **श्री बी० एस० रामधालिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड में नियुक्त किये गये निदेशकों के नाम क्या हैं?

(ख) गैर सरकारी निदेशकों के चयन के आधार क्या हैं;

(ग) क्या अब जो आधार अपनाया जाता है वह पिछली सरकार द्वारा अपनाये गये आधार से किसी प्रकार भिन्न है; और

(घ) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने इन बोर्डों के लिये कुछ नामों की सिफारिश की थी और उन नामों के सम्मिलित न किये जाने के यदि कोई कारण है, तो वे क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1977 में पुनर्गठित बोर्डों के सदस्यों के नामों की सूचि संलग्न है (अनुबन्ध 1) निदेशकों के चयन की कसौटी राष्ट्रीयकृत (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 की धारा 3 में दी गई है (अनुबन्ध 2) और उसी कसौटी का अब गैर-सरकारी निदेशकों के चयन में अनुसरण किया गया है। **(ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1590/78)।**

(घ) कुछ राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की सरकारों ने कुछ व्यक्तियों के नामों को गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिये सफारिश की थी। किसी राज्य में बैंक के शाखा जाले और राष्ट्रीयकृत स्कीम के उपबन्धों के अनुसरण में जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना था, उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव और नियुक्ति की गई है।

आल इंडिया स्माल स्केल स्ट्रा बोर्ड मिल्स एसोसिएशन द्वारा उत्पादन शुल्क में छूट देने की अपील

625. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया स्माल स्केल स्ट्रा बोर्ड मिल्स एसोसियेशन ने सरकार से विविध प्रक्रिया (सन्ड्री प्रासेस) से निर्मित गत्ते पर उत्पादन शुल्क में छूट देने की अपील की है;

(क) क्या यह सच है कि धूप से सुखाने वाले गत्तों के परिकरणकर्त्ता श्रय पर आधरित उद्योग के कृषि उद्यम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके मामले की जांच की है और स्वचालित शीर्षकों वाले मिल बोर्ड निर्माताओं की तुलना में उनको क्या राहत देने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की गई है और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 17(2) के अतर्गत शुल्क निर्धारण-योग्य और शुष्कन प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्ट्रा बोर्ड पर उत्पादन

शुल्क घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया गया है। स्वचालित शीर्षकों से निर्मित बोर्ड पर प्रथम 500 मीट्रिक टन पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की, उससे अगले 500 मीट्रिक टन पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की और बकाया पर मूल्यांनुसार 30 प्रतिशत की दरों से शुल्क वसूल किया जाना जारी है।

चांदी का निर्यात

626. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 से जनवरी 1978 तक माहवार भारत से चांदी की कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 तक भारत से निर्यात की गई चांदी की मात्रा निम्नांकित प्रकार है :—

(मी० टन में)

अप्रैल 77	7.50
मई 77	10.80
जून 77	17.22
जुलाई 77	45.32
अगस्त 77	19.52
सितम्बर 77	11.90
अक्तूबर 77	106.30
नवम्बर 77	73.95
दिसम्बर 77	35.77
जनवरी 78	33.15
योग :	461.43

चांदी के निर्यात में होने वाली तस्करी रोकने की कार्यवाही

627. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से काफी मात्रा में गैर-कानूनी रूप से चांदी का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा पर्यटन के लिए बनायी गयी वृहद योजनायें

628. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कई राज्यों ने पर्यटन के सम्बन्ध में वृहद योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और वृहद योजनाओं की अवधि कितनी है;

(ग) ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को प्रोत्साहन देने और योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का है जिन्होंने अभी तक ऐसी वृहद योजनायें नहीं बनायी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अभी तक केवल 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पर्यटन के विकास सम्बन्धी अपने "पर्स्पेक्टिव प्लान तैयार करके भेजे हैं। ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, असम, गुवा, दमन और दिव, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणीपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। औरों को अनुस्मारक भेज दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन सैक्टर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा सहायता अनुदान प्राप्त स्कीमों को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप, चौथी योजना से लेकर अब तक राज्यों को पर्यटन के विकास के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है। तथापि, राज्य सरकारों से पर्यटन के विकास के लिए "पर्स्पेकिटव" योजनाएं तैयार करने का अनुरोध करने का उद्देश्य ऐसी स्कीमों का एक शेल्फ (सूची) तैयार करके पर्यटन सुविधाओं के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देना था जिन्हें 5 से 10 वर्ष तक की अवधि में क्रियन्वित किया जा सके। परन्तु, केन्द्रीय या राज्यीय क्षेत्र में इन स्कीमों का क्रियान्वियन अगली पंचवर्षीय योजना में पर्यटव क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों पर निर्भर करेगा।

स्वदेशी पौलीटेक्स लि० गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा उत्पादन शुल्क अपवंचन

629. **श्री राम देनी राम :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने स्वदेशी पालीटक्स लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उत्पादन शुल्क जानबूझ कर न देने और उसका अपवंचन करने के कारण अनेक मामले चलाये हैं।

(ख) क्या कम्पनी के कुछ अंशधारियों ने केन्द्रीय सरकार को एक लम्बी चौड़ी शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो (क) और (ख) दोनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी/भ्रष्ट व्यक्तियों को यदि कोई हो, तो दंडित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) से (घ) : सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिनमें मैसर्स स्वदेशी पालिटैक्स, गाजियाबाद द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुल्क अपवंचन के आरोप हैं। आवश्यक जांच पड़ताल चल रही है। इस अवस्था में मामलों के ब्यौरे बनाना उचित नहीं समझा गया है।

ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेंट्स लिमिटेड को इंडोनेशिया में दी गई संयुक्त उद्यम परियोजनायें

630. **श्री राम देनी राम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री इंडोनेशिया में संयुक्त एककों के लिए स्वीकृति के बारे में 29 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5429 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में बताई गई जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडोनेशिया में संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए 50 एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स, कलकत्ता को दी गई स्वीकृति कम्पनी की तकनीकी योग्यताओं के आधार पर नहीं थी;

(घ) क्या उक्त कम्पनी का भारत में इस्पात उत्पादन करने वाला कोई कारखाना अथवा एकक नहीं है और उसके पास कोई तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम समिति द्वारा ऐसी कम्पनी को, जो केवल शेयरों से लिमिटेड है, स्वीकृति देने में किन मानदण्डों को ध्यान में रखा गया था; और

(च) इस मामले में की गई त्रुटि को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां। शिकायतों में लगाये गए आरोपों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि इस मामले में मंजूर किए गए संयुक्त उद्यम के अनुमोदन को रद्द करने का कोई मामला नहीं था।

(क) से (ख) फर्म के अनुरोध पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विचार किया गया था। यद्यपि मैसर्स ए० एस० सी० कंसल्टेंट लि० का अपना कोई विनिर्माण एकक नहीं था, फिर भी उनकी प्रस्थापना विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप पाई गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में आन्दोलन

631. **श्री राम बेनी राम:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों द्वारा गत तीन महीनों के दौरान भूतलक्षी प्रभाव से महंगाई भत्ते की आदयगी के प्रश्न को लेकर दिल्ली में क्रमबद्ध आन्दोलन किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी के तयशुदा फार्मूले से मुकर गया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त, (क) और (ख) का ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एसिस्टेंट इंजीनियर जैसे ऊंचे वेतन वर्ग के कर्मचारियों और उनसे ऊपर के कर्मचारियों को 1976 के दौरान या उसके आस-पास महंगाई भत्ते के रूप में उनकी सारी बकाया राशि अदा कर दी गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ड) महंगाई भत्ते के भुगतान के मामले में निम्न वेतन के कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव क्यों किया गया; और

(च) अब इस प्रश्न का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और मुख्यालयों के बाहर गेट मीटिगों, प्रदर्शनों के रूप में आन्दोलन किए गए। 17 से 20 दिसम्बर, 1977 और 10 से 16 जनवरी, 1978 तक यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा एक "धरना" और रिले भूख हड़ताल की गयी।

(घ) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेशन के अधिकारियों, (सहायक प्रबन्धक और उनसे ऊपर के) के वेतनमानों को 1–1–1973 से संशोधित किया गया क्योंकि उनके वेतन तथा भत्तों की शर्तों को वही नियम लागू होते हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को। उन्हें बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान जिनमें महंगाई भत्ता भी सम्मिलित था 1976 में कर दिया गया।

(ड) और (च) : कारपोरेशन के खान-पान सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा, दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में होटलों तथा रेस्टोरैंटों के वेज बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित है और खान-पान उद्योग में क्षेत्रीय रूप से प्रचलित सिद्धान्तों और परिपाटियों के अनुसार है। जहां तक कारपोरेशन के नान-कैटरिंग प्रतिष्ठानों के कर्म-

चारियों का सम्बन्ध है, उनका वेतन ढांचा समकक्ष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप है। सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-अधिकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को न्यायसंगत रूप प्रदान करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कारपोरेशन के सारे गैर-अधिकारी कर्मचारियों के लिए उनके कार्यों के प्रकार को दृष्टि में रखे बिना एक ही मानक वेतनमान, जिसमें सामान्य महंगाई भत्ता फार्मूला भी सम्मिलित है, निर्धारित करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी।

स्वदेशी पोलिटैक्स लि०, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा आयकर तथा अन्य करों का अपवंचन

632. **श्री राम देनी राम :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी पौलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयकर तथा अन्य करों का बड़े पैमाने पर अपवंचन किए जाने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय कर प्राधिकारियों ने कम्पनी के परिसर, और इसके अन्य कार्यालयों के अनेक परिसरों, प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर अनेक बार इसकी खोज की है और छापे मारे हैं तथा उनकी आय के अनुपात से काफी अधिक सम्पत्ति वहां उनको मिली; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा विभिन्न तरीकों से आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन किए जाने की शिकायतें मिली हैं।

(ग) और (घ) : इन मामलों में, आयकर प्राधिकारियों ने, पिछले दो वित्तीय वर्षों में, पहले दिसम्बर, 1975 में तथा उसके बाद जून, 1976 में, तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां की थीं। इन कार्यवाहियों के कारण मूल्यवान परिसम्पत्तियों और लेखा-बहिएं आदि पकड़ी गई। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, सरसरी तौर पर अघोषित आय निर्धारित करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए गए हैं और पकड़ी गई ऐसी परिसम्पत्तियों को रोक लिया गया है जो अनुमानित अघोषित आय पर कुल कर-देयता तथा किसी वर्तमान देनदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों। मामलों की जांच की जा रही है। स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के मामले में, निर्धारण-वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम की धारा 142 (2–क) के अन्तर्गत, लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन का प्रश्न है, इस मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है। कार्यवाही के इस स्तर पर, शिकायत अथवा जांच-पड़ताल सम्बन्धी ब्यौरों को प्रकट करना उचित न होगा।

निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर के राजस्व की वसूली

633. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर से कुल कितना राजस्व वसूल किया गया और वे वस्तुएं कौन सी हैं जो उस अवधि में प्रमुख 10 निर्यात शुल्क अर्जित करने वाली थी और निर्यात शुल्क के रूप में उनसे कितना अर्जन हुआ;

(ख) इस समय कितनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर लगता है और इनमें से कितनी वस्तुएं 1977–78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी) खण्ड-II के पृष्ठ 46 पर दिए गए निर्यात उत्पादों की 'सेलेक्ट लिस्ट' में आती हैं और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकार (वाणिज्य मन्त्रालय) द्वारा बनायी गई निर्यात उत्पादों की 'सेलेक्ट लिस्ट' में वर्णित सभी विभिन्न, वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाने का है ताकि निर्यात शुल्क से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि हो सके।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, निर्यात शुल्क और निर्यात उपकर से जो कुल राजस्व वसूली हुई वह निम्नानुसार है :—

	1974–75	1975–76	1976–77
I. निर्यात शुल्क			(रु० 000)
कुल वसूली (सकल)	900439	799598	1237235
वापसियां घटायें	36280	25792	12476
शुद्ध वसूली	864159	773806	1224759
II. निर्यात उपकर			
कुल वसूली (सकल)	41530	59356	69095
वापसियां घटायें	—	463	370
शुद्ध वसूली . .	41530	58893	68725

उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्यात शुल्क अर्जन करने वाली 10 प्रमुख मदें और इन मदों पर निर्यात शुल्क के रूप में वसूली की रकम अनुबन्ध I में दी गयी है।

(ख) इस समय (सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची (निर्यात टैरिफ) के अन्तर्गत 23 मदों पर निर्यात शुल्क लगता है और 15 मदों पर निर्यात उपकर लगता है। इन मदों की सूची अनुबन्ध II में दी गयी है। वर्ष 1977–78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति खंड II के पृष्ठ 46 पर दी गई निर्यात उत्पादों की प्रवर सूची में दिए गए उत्पादों के साथ इन मदों का ठीक ठीक सम्बध स्थापित करना सम्भव नहीं है। लेकिन, ऐसा लगता है कि निम्नलिखित 13 मदें उक्त प्रवरसूची और निर्यात शुल्क/निर्यात उपकर सूची में समान हैं :—

(1) काफी, (2) काली मिर्च, (3) सिलीमनाइट, (4) स्टीयटाइट (टाल्क) (5) अभ्रक (जिसमें निर्मित अभ्रक शामिल हैं), (6) मेंगनीज़डाइआक्साइड, (7) खालें, चर्म और चमड़ा, शोधित डौर अशोधित, सभी किस्म का, लेकिन जिसमें चमड़ा निर्मित्तियां शामिल नही हैं; (8) पटसन निर्मित्तियां, (9) कपास, (10) नारियल का सूत, (11) पशु-चारा, (12) इलायची, (13) चाय।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1591/78]

(ग) निर्यात के लिए ऐसे माल की उपलब्धता, निर्यात प्रयासों पर शुल्क का होने वाला प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय बाजरा में मद की स्पर्धा और उनसे मिलने वाले राजस्व जैसे अनेक कारणों को ध्यान में रखते हुए, किसी माल पर, समय-समय पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। ये कारण उल्लिखित मदों पर भी लागू होंगे।

अलग्जेंडर समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना

634. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह 30 जनवरी, 1978 को सरकार को प्रस्तुत और 1 फरवरी, 1978 को "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित आयात-निर्यात नीति के बारे में अलैग्जेंडर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे और क्या सरकार (अलैग्जेंडर समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य बातों के अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति में संशोधन करने के लिए कुछ सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : आयात-निर्यात नीतियों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है।

जैसे ही रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लिए जायेंगे, रिपोर्ट का पूरा पाठ उस पर लिए गए निर्णयों के साथ सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकार विदेश व्यापार नीति में संशोधन के सुझावों पर विचार करने के लिए सदैव तैयार है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1592/78]

खनिजों, वन तथा समुद्री संसाधनों का निर्यात

635. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों, वन संसाधनों और समुद्री संसाधनों जैसे समाप्त होने वाले संसाधनों का निर्यात करने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में निम्नलिखित खनिज निर्यात किए गए, अभ्रक लौह-अयस्क कोयला और कोक, ग्रेनाइट तथा अन्य अयस्क और खनिज; और

(ग) इन खनिजों और अयस्कों के विश्व के सुस्थापित निक्षपों में भारत के खनिज कितने प्रतिशत हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) खनिजों के सम्बन्ध में जहां कहीं निर्यात अधिशेष उपलब्ध हैं, हमारी नीति यह है कि ऐसे निर्यातों का मूल्य वर्धन किया जाए ताकि हमारी निर्यात आय अधिक से अधिक हो ।

वन संसाधनों के सम्बन्ध में, प्रत्येक मामले में निर्यात के लिए उपलब्ध अधिशेष के आधार पर निर्यातों को विनियमित किया जाता है।

जहां तक समुद्री संसाधनों का सम्बन्ध है, कतिपय मदों को छोड़ कर, समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि वन तथा समुद्री संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन नहीं हैं और उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन माना जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चुने हुए खनिजों के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

मात्रा मे० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

खनिज/अयस्क	1974–75		1975–76		1976–77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	22,295	160.39	22,767	213.79	23,500	238.49
मैंगनीज अयस्क	1,108	18.69	876	19.80	827	21.43
कोयला (कोक सहित)	477	7.67	440	17.96	635	16.66
बेराइट्स	142	3.75	155	6.65	153	10.38
ग्रेनाइट	75	3.07	40	2.00	83	3.69
अभ्रक	46.7	24.23	21.8	19.54	25.2	25.04
क्रोमाइट	305	9.25	335	24.62	283	26.70

(ग) कतिपय महत्वपूर्ण खनिजों के विश्व रिजर्व में भारत का भाग नीचे दिया जाता है :—

मात्रा दस लाख टन में

खनिज	रिजर्व		भारत का भाग (प्रतिशत)
	विश्व	भारत	
लौह अयस्क .	259,000	11,800	4.6
मेंगनीज अयस्क .	5,400	98	1.8
कोयला	11,400,000†	94,000†††	0.8
बेराइट्स . .	182	204	11.0
बाक्साइट . .	24,400	1,200††	4.9
क्रोमाइट . .	1,700†††	17	1.0
अभ्रक . .	उपलब्ध नहीं		लगभग 80 प्रतिशत

†विश्व संसाधन

††प्रामाणित रिजर्व; 500 लाख मे० टन पर अनुमानित कुल रिजर्व

†††लगभग

रामन्ना समिति की सिफारिशें

636. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री भारतीय मौसम विज्ञान वर्कशाप यूनियन की पूना शाखा द्वारा रामन्ना समिति की सिफारिशों के विरोध में पारित संकल्प के बारे में दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामन्ना समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब दिया;

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है;

(घ) क्या सरकार ने मौसम विज्ञान वर्कशाप यूनियन की पूना शाखा द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 25 अप्रैल, 1977।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय को दे दी गई हैं। संक्षेप में, समिति ने प्रशासनिक ढांचे को बदलने की सिफारिश की है जिससे कि परम्परागत तरीकों के अपनाने से आई अकुशलता को कम किया जा सके तथा सभी स्तरों पर कार्य-क्रमों के कार्यान्वियन में तीव्रता लायी जा सके। अधिकारियों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण एवं पदोन्नति की नीतियों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिससे कि मानव शक्ति विनियोजन में सुधार किया जा सके तथा उसके द्वारा विभाग की तकनीकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। उपकरण संचार सुविधाओं आदि जैसे आधारभूत उपादानों में सुधार करने के भी सुझाव दिए हैं। उपेक्षित दृष्टिकोण में परिवर्तनों के बारे में भी सिफारिशें की गयी हैं ताकि मौसम विज्ञान आंकड़ों तथा पूर्वानुमानों का कृषि के क्षेत्र में और अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार जल विज्ञान, बाढ़ विज्ञान, पूर्वानुमान, जलवायु विज्ञान तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों के आयोजन में अपेक्षित सुधारों की भी सिफारिश की है। उनकी स्वायत्तता को कायम रखते हुए दो संस्थानों के कार्यों में सुधार करने की भी सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले यूनियन के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

LICENCES ISSUED FOR IMPORT OF EDIBLE OILS

637. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the value of licences issued as on 17th January, 1977 by the previous Government for the import of edible oils and the value of the oils imported against these licences;

(b) the names of those big companies to whom licences were issued but they did not import oil; and

(c) whether such companies will be blacklisted and criminal prosecutions will be launched against them for causing inconvenience to the people and not honouring their commitments ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a). The policy of licensing freely the import of various edible oils and oilseeds was announced only on the 17th January 1977. As such no licences had been issued as on that date.

(b) and (c). Do not arise.

ROAD BETWEEN PATNA AND GAYA

638. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether in spite of the distance between Patna-Gaya by Rail being only 58 miles, the tourists have to cover about 150 miles by road.

(b) whether there is pucca road upto 40 miles along with Railway line from Gaya to Mashodhi and there is Kachha road only upto 18 miles; and

(c) if the reply to the above parts be in the affirmative, whether Government will make arrangements to convert this 18 miles long stretch of road of national importance into a pucca road so that tourists may have to cover lesser distance, if so, when and if not. the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c). The road distance between Patna-Gaya is sixty-six (66) miles via Pabhera Masaurhi and Seventy (70) miles via Islampur. The metalled road along railway line Gaya to Masaurhi is forty (40) miles, and from Patna to Punpun is seven (7) miles. It is understood that due to paucity of funds it has not been possible to improve Punpun to Masaurhi—a distance of 14 miles—since improvement of this portion is costly as it involves bridging the water-way enroute. It is further understood that efforts are being made to include this project in the State or in the Central Plan of road development.

प्रबन्धकों द्वारा आपात काल के दौरान पीड़ित किए गए भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारियों की बहाली

640. **श्री रोबिन सेन** : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के उन 17 कर्मचारियों को जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रबन्धकों द्वारा पीड़ित किया गया था, वापस कार्य पर ले लिया गया है लेकिन निचले पद पर;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पूर्व उनके पदों पर बहाल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इन कर्मचारियों को इनके पूर्व पदों पर बहाल किया जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : गोयल) : (क) 1979 की कुछ घटनाओं के कारण की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप भारतीय मानक संस्थान के सत्रह कर्मचारियों को पदावनत किया गया था अथवा समयमान वेतन में नीचे लाया गया था। उनके अभिवेदन पर सावधानी पूर्वक विचार करके जनवरी, 1978 में उन्हें दण्डित करने की तारीख से आनुषंगिक वित्तीय लाभों के साथ फिर से मूल स्थिति में ले आने का निर्णय किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बकाया आयकर की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के उपाय

641. **श्री सी० के० चन्द्रप्पद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की इस समय बकाया राशि क्या है और गत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के आंकड़े क्या थे;

(ख) क्या सरकार बकाया आयकर वालों की सूची में से प्रथम 100 व्यक्तियों के नाम बता सकती है और प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है;

(ग) इन बकाया राशियों की प्रभावी वसूली के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलफिक्कार उल्लाह) : (क) 31 दिसम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार और पूर्ववर्ती पांच वर्षों की आय-कर की बकाया निम्नानुसार है :—

(रकम : करोड़ रुपयों में)

की स्थिति के अनुसार	सकल बकाया मांग	शुद्ध बकाया
31-12-72	730.24	525.37
31-12-73	714.10	527.43
31-12-74	802.06	576.42
31-12-75	926.50	654.52
31-12-76	998.27	698.90
31-12-77	1,008.76	725.70

(ख) इस सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—

(क) विलम्ब से अदा किए गए कर पर ब्याज लगाना;

(ख) कर की अदायगी नहीं किए जाने पर अर्थ-दण्ड लगाना;

(ग) बाकीदार को प्राप्य, रकमों का अधिग्रहण; और

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण और उनकी बिक्री।

प्रशासन की दृष्टि से, आय-कर अधिकारियों को कहा गया है कि आय-कर की बकाया की वसूली/घटौती के काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपेक्षाकृत बड़े मामलों में कर की वसूली/घटौती की प्रगति का निरीक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

REDUCTION IN IMPORT DUTY ON ESSENTIAL COMMODITIES

642. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to reduce the import duty on essential commodities; and

(b) if so the extent of such reduction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a). During 1977-78, import duties on several commodities, included in the Essential Commodities Act, were reduced, and some essential commodities were exempted from import dutis.

(b) Details are given at Annexure.

ANNEXURE

I. The Finance (No. 2) Bill, 1977, introduced in the Lok Sabha on 17th June, 1977, effected a number of changes in the rates of import duties. Important among these were :—

(a) Reduction in the import duty (basic plus auxiliary) on alloy steel and high carbon steel from 75% advalorem to 40% advalorem.

(b) Reduction of import duty (basic plus auxiliary) from 45% to 40% advalorem and abolition of additional duty of Rs. 5600 per tonne on electolytic copper used in the manufacture of certain specified types of electric motors, generators and transformers.

(c) Reduction of import duty (basic plus auxiliary) on stainless steel plates, sheets and strips from 120% and 320% advalorem to different rates ranging from 40% to 120% advalorem depending upon thickness.

(d) Reduction of the total incidence of import duty on newsprint from 5% advalorem to 2½% advalorem.

II. The following changes were effected in the budget proposals for 1977-78 on 15-7-77 at the time of the consideration of the Finance (No. 2) Bill, 1977 :—

(a) Exemption of newsprint from the whole of the Customs duty.

(b) Exemption of viscose filament yarn from the whole of the basic and auxiliary duty of Customs.

(c) Exemption of melting scrap of iron and steel for use in electric arc furnace from the whole of the basic and auxiliary duties of Customs.

(d) Reduction of basic duty on stainless steel plates sheets and strips to 40% when the goods are imported for specified purposes. These goods when imported for purposes other than those specified, attract a basic duty of 220%. Stainless steel strips of a thickness of 30 BG or thinner imported for specified purposes attract a duty of 120% advalorem.

(e) Reduction of additional duty on lacquered sheets and varnished sheets to Rs. 325 per metric tonne.

III. Other changes effected through notifications.

(i) Groundnut oil, Sunflower oil, Rapeseed oil, Pam oil and Soyabean oil were exempted from all duties with effect from 22-1-1977. The seeds of these oils i.e. Groundnut seed, sunflower seed, Rapeseed, Palm seed and Soyabean seed were also exempted from the same date.

(ii) Furnace oil imported for use in fertilizers was exempted from additional duty in excess of the duty of excise leviable on such products manufactured in India with effect from 7-2-1977.

(iii) Palm-olefine, an edible oil, was exempted from Customs duty with effect from 8-2-1977.

(iv) The whole of the additional duty on potassium sulphate was exempted with effect from 12-5-1977.

(v) Palm Kernal oil and Coconut oil were exempted from basic Customs duty in excess of 20% advalorem and 30% advalorem respectively and whole of auxiliary duty of Customs with effect from 20-5-1977. Having regards to the fall in international prices import duty on Palm Kernal oil was raised from 20% to 50% advalorem and exemption from Customs duty on coconut oil was withdraw w.e.f. 19-8-1977.

(vi) As in the case of viscose fibre, the basic, additional duty auxiliary duties on viscose tow were also exempted, with effect from 6-6-1977.

(vii) Certain items of Engineering Plastics viz. acrylonitrile butadiene styrene, styrene acrylonitriles polycarbonates, Polyacetals and Polytetra flouroethylene were exempted from basic Customs duty in excess of 60% advalorem w.e.f. 26-8-1977.

(viii) The basic and auxiliary duties on cuprammonium yarn were exempted with effect from 3-9-1977.

(ix) The basic and auxiliary duites on imported benezene were exempted and the additional duty was reduced to Rs. 450 per kilolitre at 15°C with effect from 5-9-1977.

(x) The assessable value of imported exposed cinematograph film was restricted to the cost, insurance and freight of the print of the cinematograph film with effect from 24-9-1977.

(xi) P. V. C. resin was exempted from Customs duty in excess of 30% advalorem with effect from 3-11-1977.

(xii) Phosalone, a pesticide chemical, was exempted from basic Customs duey in excess of 40% advalorem with effect from 15-11-1977.

(xiii) The portions of Indian Cinematograph films short in foreign locations were exempted from the import duty leviable thereon with effect from 19-11-1977.

(xiv) Components required for the manufacture of motor vehicles and tracotrs have been exempted from basic duty in excess of 40% advalorem and whole of additional and auxiliary duties and Customs.

EXPORT OF GUR

643(OIH). SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to export gur; and

(b) if so, the names of the countries along with the quantity to be exported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b). Yes, Sir. A quota of 5,000 tonnes of Gur was released for export in February, 1978 in addition to 1,000 tonnes released for export in August, 1977. It has recently been clarified that exports of gur will be freely allowed without any quota ceiling.

Out of 5,000 tonnes, a quota of 1,000 tonnes has been earmarked for export to Nepal. From the rest of the quota exports can be effected to any country with whom India has trade relations.

GOVERNMENT OFFICERS VISITING FOREIGN COUNTRIES

644. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number of Secretaries to the Government of India who visited foreign countries during 1977 after Janata Government came into power ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

LANDING OF BOMBAY-DELHI PLANE (FLIGHT NO. 429) AT JAIPUR

645. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a news item published in the Times of India dated 4th January, 1978 wherein it had been stated that in the month of December a plane-flight No. 429 from Bombay to Delhi via Udaipur, Jaipur was directed to land on runway 09 but the pilot, violating the above direction, landed the plane on runway 10 where repairs were being carried and landing prohibited;

(b) if so, the action taken against the pilot; and

(c) if no action has been taken the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir. Flight IC-492 from Bombay to Delhi *via* Udaipur, Jaipur on 20-12-1977, was cleared to land on runway 09, but it landed wrongly on runway 10 on which recarpetting work was in progress.

(b) The Pilot-in-Command has been taken off 'command' duties and a departmental inquiry is in progress.

(c) Does not arise.

WARNING TO AIR INDIA, LONDON OFFICE ABOUT EXPLOSION ON AIRCRAFTS

646. SHRI O. P. TYAGI
SHRI YADVENDRA DUTT } : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Air India Boeing 747 Jumbo Jet exploded in the air and plunged into the sea after take off from Bombay airport on 1st January, 1978;

(b) whether it is also a fact that 'Proutists', the political wing of Anand Marg had addressed a letter to the Air India Office in London threatening that they would explode aircrafts; and

(c) if so, whether this accident is the outcome of the above warning or there was some other cause ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Air India's Boeing 747 Jumbo Jet aircraft VT-EBD crashed into Sea after take off from Bombay Airport on 1st January, 1978.

(b) No, Sir.

(c) The accident is under investigation by a Court of Inquiry, and the cause will be known on receipt of the report of the Court of Inquiry.

IMPORT LICENCES ISSUED AGAINST FOREIGN EXCHANGE HELD BY GOVERNMENT

647. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchanged held by Government as on 31st December, 1977;

(b) the value of import licences issued by Government against the above amount;

(c) the value of goods already imported against the said import licences; and

(d) the balance amount of foreign exchange with the Government after issue of the said licences ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) India's foreign exchange reserves as on 31st December, 1977 amounted to Rs. 3998.3 crores.

(b), (c) & (d) : Import licences are issued in accordance with the import policy framed by the Government, taking into account the needs of the economy and the overall balance of payments situation. Actual import arrivals and payments for goods covered by import licences occur with a time lag from the date of issue of import licences. Imports during any given period are thus made up of utilisation of licences issued at different periods of time. It is, therefore not possible to identify import arrivals and payments in a given period against licences issued during any specific period. It is also not possible to indicate the balance amount of foreign exchange after issue of import licences, since changes in foreign exchange reserves represent the net outcome of the external transactions of the country, which include besides import payments and export receipts, invisibles and capital transactions.

DEMANDS OF JUNAGARH CHAMBER OF COMMERCE, JUNAGARH FOR AIR SERVICE

648. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Junagarh Chamber of Commerce, Junagarh, had made an application vide reference No. 61/195 dated the 3rd March, 1964 for an air service and if so, the nature of demands made therein;

(b) the demands among them accepted and since when; and

(c) the demands which have not been accepted so far and the reasons therefor and when they will be accepted ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Does not arise.

STRENGTHENING OF RUNWAY OF PORBANDAR AIRPORT

649. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Porbandar Chamber of Commerce and Industry, Porbandar in Junagarh District of Gujarat submitted a representation to Government on 12th December, 1977 regarding strengthening the runway of Porbandar airport, if so, the contents of this representation;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard so far; and

(c) the time by which the work will be completed to strengthen the runway of the said airport for landing of big aircraft like Jumbo jet ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir. The Porbandar Chamber of Commerce and Industry, Porbandar had stated that the area has industrially deveolped and requested that the airstrip at Porbandar airport should be lengthened and strengthened to facilitate landing of bigger aircraft like Jumbo Jet in emergency.

(b) and (c) The runway has been developed for HS-748 operation recently. There is no proposal to further develop the runway as Indian Airlines do not intend to operate bigger type of aircraft to Porbandar.

REPRESENTATION REGARDING CENTRAL EXCISE DUTY FROM JUNAGARH CHAMBER OF COMMERCE

650. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Junagarh Chamber of Commerce on behalf of the Accurate Engineering Company, Junagarh in Gujarat State as also on behalf of Junagarh Udyognagar Manufacturers' Association submitted representations to the Government in August, 1977 regarding 15 per cent general excise duty and central excise duty to the tune of one lakh rupees;

(b) if so, the nature of demands made in the said representations; and

(c) the demands that have been met or are likely to be met ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) The demands made are :—

(i) A favourable rate of excise duty for units in the small-scale sector manufacturing automobile rolling bearings;

(ii) introduction of concessional rates varying from zero to 15%, on slabs of Rs. 5 lakhs, related/turn over.

(c) These demands have not been accepted so far.

DEPUTATION OF OFFICERS IN THE OPIUM DEPARTMENT

651. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether both narcotics and excise subjects are dealt with in the Opium Department and if so, the reasons therefor;

(b) whether only Excise Officers are taken on deputation in Opium Department and not the Narcotics Officers and if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to change the present practice and take officers on deputation in the Opium Department from both Excise and Narcotics Departments ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) No, Sir. There is no Opium Department as such, but the Department is designated as Narcotics Department and it deals with all narcotics subjects, including opium.

(b) & (c) The executive posts in Group-A in the Narcotics Department (as also similar posts in the Customs & Central Excise Department) are manned by officers belonging to the Indian Customs and General Excise Service, Group-A. All the other posts in the Narcotics Department (except 50% of the Group-B posts of District Opium Officer, Superintendent (Executive) and Intelligence Officer) are manned by officers belonging to the Narcotics Department. 50% of the Group-B posts of District Opium Officer, Superintendent (Executive) and Intelligence Officer are filled by taking, on deputation, officers from the Central Excise Department.

The reason for deputation of Central Excise Officers to these posts is that there is shortage of persons in the feeder cadre of Deputy Superintendent (Executive) in the Narcotics Department with the required qualifying service for promotion to these posts. The intention is to reduce such deputations from the Central Excise Department progressively as and when officers belonging to the Narcotics Department become available. Group-B Executive officers of the Narcotics Department are eligible for promotion to Group-A posts in the Indian Customs & Central Excise Service just as their counterparts in the Customs & Central Excise Departments are.

RULES FOLLOWED FOR GIVING LICENCE TO OPIUM PRODUCERS

652. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the rules and procedure being followed for giving licence to opium producers—new and old and the circumstances under which the licence is cancelled ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : Licensing Principles laying down the conditions for the grant of a licence for opium poppy cultivation are framed by the Government every year in terms of which opium poppy growing licences are granted or cancelled in respect of both new and old poppy growers. A copy of the 'Licensing Principles' adopted for the 1977-78 poppy growing season is annnexed.

[Placed in Library. *See* No. LT 1593/78].

RULES FOLLOWED FOR APPOINTMENT OF COMMISSIONER IN THE CENTRAL OFFICE OF OPIUM DEPARTMENT AT GWALIOR

653. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the norms and rules being followed for appointment of Commissioner in the Central Office of Opium Department at Gwalior and the reasons to appoint there a person belonging to Narcotics Department only ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : The post of Narcotics Commissioner, Gwalior is a cadre post in the Indian Customs and Central Excise Service, Group A, and it is filled by posting an officer of the grade of Collector of Customs and Central Excise, Level I/Level II, who has the necessary aptitude and experience for the post. The Group 'A' cadre is common for the Customs, Central Excise and Narcotics Departments.

लद्दाख में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

654. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में, जो एक नया पर्यटन क्षेत्र है और जहां पर्यटन की सिद्धक्षमता है परन्तु जहां सुविधाओं का अभाव है, और क्या क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : ऐसे स्थानीय निवासियों के अलावा जो अपने आवास स्थानों का 'पेइंग गैस्ट" आवास के रूप में प्रयोग करते हैं, लेह में, जोकि लद्दाख में मुख्य पर्यटक गन्तव्य स्थल है, पर्यटकों के लिए बड़े पैमाने पर कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं।

लद्दाख में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई स्कीमें आरम्भ नहीं की गयी हैं क्योंकि सरकार का यह निश्चित विचार है कि इस क्षेत्र की परिवेशीय तथा सांस्कृतिक

विशेषताओं के परिरक्षण की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का विषय यही है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वे लद्दाख के लिए पर्यटन विकास की एक ऐसी मास्टर प्लान तैयार करें ताकि वहां पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करते समय इसकी परिवेशीय एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में कोई खराबी न आने पाए।

लेह के विमानक्षेत्र पर उपयुक्त दिक्चालन, संचार तथा पेसंजर हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था होते ही इंडियन एयरलाइंस का भी लेह के लिए एक विमान सेवा परिचालित करने का प्रस्ताव है।

EXPORT OF ENGINEERING GOODS

655(OIH) SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 249 on 2nd December, 1977 regarding export targets for Engineering goods and state :

(a) the terms and conditions of and the names of the countries to which exports of engineering goods of the value of Rs. 150 crores during 1977-78 and of Rs. 175 crores, during 1978-79 have been made or are proposed to be made; and

(b) whether there is any target for increasing in future the export of engineering goods proposed to be made to the countries now and the names of the goods to be imported from such countries in exchange of the exports to be made to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b). The names of the group of countries along with the targets of exports from the eastern for the year 1977-78 to 1980-81 are given below :

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
		(In Crore Rupees)		
Asia	80·00	90.00	100 00	120.00
Africa	20·00	26·00	30·00	40.00
Europe	30.00	35.00	40.00	50.00
America	15.00	17.00	20.00	30.00
Oceanic Islands	2·00	3.00	5.00	5.00
Australia	3·00	4.00	5.00	5.00
TOTAL	150.00	175.00	200.00	250.00

The terms and conditions of the contracts are not uniform and vary depending upon the nature of the contract. Only in case of certain countries, there is an arrangement under which goods are imported in exchange of the exports made to them as provided in the respective agreements. The principal commodities which are imported from these countries include fertilisers, kerosene, diesel oil, crude petroleum, sulphur, ships, non-ferrous metal and various items of machinery. The exports include a number of non-traditional items including engineering goods in addition to traditional items.

PAYMENT OF INCOME-TAX BY PARTNERS OF DISTILLERY IN UJJAIN

656. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of income tax paid by the partners of the distillery in Ujjain during the last three years and the amount of income-tax yet to be paid by them; and

(b) the action being taken by Government to realise the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULL): (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

WARRANTS ISSUED UNDER COFEPOSA

657. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Madras High Court Bench and the Calcutta High Court Bench have given their decisions recently against the COFEPOSA and if so, whether Government have seen these decisions and if so, Government's reaction thereto; and

(b) whether Government propose to file an appeal in the Supreme Court against the decisions of these two Benches of the above High Courts and if so, when such an appeal is proposed to be filed and if not, whether, in compliance with the above decision, it is proposed to withdraw the warrants issued under COFEPOSA against the people in the country by the previous Government and if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) No decisions have been given recently by the Madras and Calcutta High Courts against the vires or the constitutional validity of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974. However, these two Courts have set aside the detention orders in respect of 30 detenus after the revocation of Emergency.

(b) The 30 detenus referred to in the reply to part (a) above have been released. Since the orders of the two High Courts relate only to specific cases that were before these Courts and do not strike down any of the provisions of the COFEPOSA Act, the question of applicability of the Courts decisions in these cases to all other cases, generally, does not arise. Hence there is no question of withdrawal of the detention orders in other cases.

PAYMENT OF INCOME-TAX BY THE OWNERS AND PARTNERS OF PHOENIX TEXTILE NO. 1, BOMBAY

658. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax paid by the owners and partners of Phoenix Textile No. 1, Bombay during the last three years separately and the balance amount of income-tax which has to be realised and the action being taken by the Government to realise it;

(b) the number of partners and shareholders separately in the Phoenix No. 1 and the names of industries and trades being run by them and in which companies and factories they are partners, Directors and the value of the shares held by each of them; and

(c) the number of Directors in Phoenix No. 1, Bombay and the value of capital invested in it by them individually and since when it is invested by each of them and from where they procured this capital, the number of such factories and firms, where they are Directors, Managing Directors and partners and the details in respect thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULL) : (a) Phoenix Textile Unit No. 1 is owned by the public limited company Phoenix Mills Ltd., Bombay. The income-tax paid by the said company for the assessment years 1974-75, 75-76 and 76-77 is as under :—

Assessment year	*Income-tax paid (Rs.)*
1974-75	6,89,102
1975-76	32,952
1976-77	24,406

A demand of Rs. 107.87 lakhs was outstanding as on 15-2-78 against the said company. Action for collecting the amount is being taken. However, the demand is disputed in appeal.

(b) There were 5,433 shareholders of the said company in December, 1977. The other information required not readily available and the collection thereof would entail considerable time and labour. If, however, information is required about any specific person or persons, the same will be collected and furnished.

(c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

समुद्री-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के पदों पर भर्ती के नियम

659. **श्री एस० के० डोले** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के पदों पर भर्ती सम्बन्धी नियम इस बीच बना लिए गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में वर्ग-I तथा वर्ग-II के पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियम अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) प्राधिकरण के स्टाफ की सेवा-शर्तें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियमों पर आधारित होंगी जो कि सरकार द्वारा 27 अगस्त, 1977 को अनुमोदित किये जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे । प्राधिकरण ने भर्ती नियम बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू कर दी है ।

समुद्री-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में श्रेणी-I के खाली पद

660. **श्री एल० के० डोले** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री-उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में श्रेणी-I के कितने पद खाली पड़े हैं तथा कितनी अवधि से खाली पड़े हैं ; और

(ख) उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) समुद्री उत्पाद/निर्यात विकास प्राधिकरण में ग्रुप 'क' श्रेणी (वर्ग I) के दो पद खाली पड़े हैं। एक पद 26-11-1976 से तथा दूसरा पद 28-5-1977 से खाली है।

(ख) दूसरे पद के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं। पहले पद के सम्बन्ध में नियुक्ति के लिए आफर पहले ही भेजा जा चुका है और ऐसी आशा है कि दोनों पद शीघ्र ही भर लिए जाएंगे ।

DELEGATIONS SENT ABROAD BY GOVERNMENT

661. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of delegations sent abroad by Government during the last three years ending on the 31st December, 1977 and the names of the persons (officials and non-officials) included therein and the purpose of their visits and the amount of expenditure incurred thereon, in foreign exchange and Indian currency, separately; and

(b) the period for which the delegations (or persons included therein) stayed abroad and the outcome of their visits ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Similar information relating to three years ending on 31st March 1977 was called for in Unstarred Question No. 3615 answered in the Lok Sabha on 15th July, 1977. That information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly. The information asked for in this Question will be for the period of three years ending 31st December, 1977. Accordingly, bulk of the information called for in the present Question will be available in the information to be furnished in reply to Unstarred Question No. 3615. The information relating to the period from 1st April, 1977 to 31st December, 1977 is being collected separately and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

SHIFTING OF OFFICE OF INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

662. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the office of the International Airport Authority of India was shifted from 32, Ferozeshah Road to Yashwant Place, Chankyapuri during June/July, 1977 and at what level this decision was taken and the excess amount of rent being paid at present as compared to the rent paid for the old premises;

(b) whether the Engineering Planning Department of the said office is proposed to be shifted to Vasant Vihar just after 5 months of the said shifting; and

(c) if so. the reasons for shifting the said Department to Vasant Vihar from 12, Hailey Road and how much more money will have to be paid as rent because Vasant Vihar is a Residential area whereas Hailey Road is a commercial area and the reasons for shifting it there ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir. The decision to shift the office of the International Airports Authority of India from 32, Ferozeshah Road to Yashwant Place was taken at the level of the Chairman of the Authority. The main reason for shifting the office was the notices of prosecution served by the Delhi Development Authority for the use of the building in a residential area for office purposes.

The total area which was occupied by the Authority at 32, Ferozeshah Road and 12, Hailey Road and Ashoka Estate building on Barakhamba Road 14,731 sq. ft. for which a rent of Rs. 51,855/- p.m. was being paid. Now, the Authority is occupying an area of 30,000 sq. ft. at Yashwant Place, for which they are paying a rent of Rs. 1,49,416.95 per month.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बम्बई हाई की परियोजनाओं के लिए जापान से ऋण

663. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अगस्त मास में बम्बई हाई तटदूर परियोजना के लिए जापान द्वारा 66 करोड़ रुपए का ऋण दिए जाने की घोषणा की गई थी ;

(ख) क्या सरकार इसी प्रयोजन के लिए 5 करोड़ योरुपीय डालर का ऋण प्राप्त करने का प्रत्यन कर रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो समयबद्ध कार्यक्रम में उसके उपयोग के लिए ब्यौरेवार योजनाएं और लक्ष्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) अगस्त, 1977 में एक करार (आई० डी० सी० 3) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत, जापान भारत को 20 अरब येन मूल्य वर्तमान प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगभग 66.00 करोड़ रुपए की वस्तु सहायता देगा। इस सहायता से बम्बई हाई अपतट परियोजना के तीसरे चरण की आवश्यकताएं भी पूरी की जाएंगी। इस वस्तु सहायता (आई० डी० सी० 3) में से इस परियोजना के लिए, अब तक, लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की जा चुकी है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वार्डले लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हानोवर एशिया लिमिटेड तथा अन्यों के साथ किए गए दिनांक 7 नवम्बर, 1977 के एक ऋण करार के अन्तर्गत, 5 करोड़ डालर का एक ऋण लिया है। यह रकम बाम्बे हाई और बेसिन क्षेत्र विकास और संबद्ध तटवर्ती तथा तट से दूर की स्थापनाओं की लागत के एक भाग के वित्त प्रबन्ध के लिए है। अब तक आयोग ने 1.3 करोड़ डालर की रकम निकाली है और ऋण की शेष सारी रकम के वर्ष 1978 के अंत तक निकाल लिए जाने और परियोजना के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशा है।

AGREEMENT WITH U.S.A. FOR IMPORT OF SOYABEAN OIL

664. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government of India have recently entered into an agreement with the Government of U.S.A. for the import of Soyabean Oil under PL 480;

(b) if so, the terms of the agreement, the quantity and the time by which the oil would be imported; and

(c) the outstanding amount under the agreements entered into by the previous Government under PL 480 and terms for its repayment ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) The agreement provides for the import of about 60,000 Metric Tonnes of Soyabean Oil worth $ 27.8 million. The import is expected to be made during US Fiscal Year ending 30-9-78. Five per cent of the cost will be paid as down payment by India. The balance 95 per cent of the cost will constitute a long term dollar loan from U.S.A.

(c) The total amount of loans outstanding in respect of PL 480 agreements signed so far, as on 30-9-77, is $ 631.317 million. These loans are repayable in dollars in 31 annual instalments after a grace period of 10 years. The rate of interest on the loans is 2 per cent during the first ten years and 3 per cent thereafter.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एक दल का भारत का दौरा

665. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एक दल ने हाल ही में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो वे जिन कम्पनियों और उत्पादक संघों के प्रतिनिधि थे, उनका ब्यौरा क्या है, यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और वे कितने समय तक ठहरे थे ;

(ग) उपरोक्त दल के भारत के दौरे का प्रयोजन क्या था ;

(घ) क्या दल ने सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप में सरकारी मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ एक या कई बार बातचीत की थी ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या हैं ;

(च) क्या उपरोक्त दल में जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि थे उनमें सी० आई० ए० का किसी प्रकार का कोई हाथ था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं और इस प्रकार की कम्पनियों के साथ बातचीत करने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) बिजनेस इंटरनेशनल की सदस्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एक दल, 29 जनवरी, 1978 से 1 फरवरी, 1978 के बीच भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली आया था। इसमें भाग लेने वाले विदेशियों के नामों और जिन कम्पनियों/संगठनों के नामों की, जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, एक सूची संलग्न है। बिजनेस इंटरनेशनल एक अनुसंधान और सलाहकार संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का काम करता है और इसका मुख्य कार्यालय न्यूयार्क में हैं। इस गोलमेज कान्फ्रेंस का उद्देश्य बिजनेस इंटरनेशनल के सदस्यों को भारतीय नीति से परिचित करवाना और भारत में पूंजी लगाने की गुंजाइश की जानकारी देना था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1594/78]।

(घ) और (ङ) : इस गोलमेज कान्फ्रेंस के दौरान दल ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों और भारत सरकार के सचिवों से बातचीत की। बिजनेस इंटरनेशनल की सभी गोलमेज कांफ्रेंस अनौपचारिक होती हैं और उनका कोई औपचारिक रिकार्ड नहीं रखा जाता और इनका प्रयोजन केवल एक दूसरे के उद्देश्यों को स्पष्टीकरण देना होता है।

(च) समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार श्री ओर्विल फ्री मैन ने यह स्वीकार किया था कि 20 वर्ष पहले बिजनेस इंटरनेशनल का सी० आई० ए० के साथ संबंध था, जो बाद में तोड़ दिया गया था। गत वर्षों में बिजनेस इंटरनेशनल के शिष्टमंडल में सम्मिलिति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों के खिलाफ उनके सी० आई० ए० के साथ संबंध होने के बारे में आरोप लगाए गए थे। परन्तु सरकार द्वारा की गई जांच पड़ताल के अनुसार जहां तक भारत में उनकी गतिविधियों का संबंध है, ये आरोप सत्य सिद्ध नहीं हुए।

(छ) बिजनेस इंटरनेशनल व्यापार की दुनिया म एक महत्वपूर्ण संस्था है और इस बातचीत का उद्देश्य अपनी अपनी स्थितियों और अपने अपने दृष्टिकोणों को स्पष्ट करना था।

सरकारी उपक्रमों के बोर्ड में सरकारी विभाग के व्यक्ति

666. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि किसी भी सरकारी उपक्रम के 10 सदस्यीय बोर्ड में किसी भी सरकारी विभाग के दो से अधिक सदस्य न लिए जायेंगे ; और

(ख) क्या इस संदर्भ में सरकार का विचार वर्तमान निदेशक-बोर्डों को फिर से गठित करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) : सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों विषयक अपनी रिपोर्ट (1967) में की गई सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया था कि सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में सामान्यतः सरकार के दो प्रतिनिधि होने चाहिएं जिनमें से एक प्रशासनिक मंत्रालय तथा दूसरा वित्त मंत्रालय का हो, तथा केवल अपवाद स्वरूप मामलों में तथा अर्याप्त कारणों के आधार पर इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने यह निर्णय किया था कि सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में सामान्यतः 10 से 12 सदस्य होने चाहिएं तथा किन्ही अपवादस्वरूप मामलों में इनकी संख्या 15 तक बढ़ायी जा सकती है ।

TRADE WITH U.S.S.R.

667. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the trade with U.S.S.R. has increased by 15 per cent during the last year;

(b) the commodities the export of which will be increased in order to increase the trade; and

(c) the total amount of foreign exchange earned during the year 1976-77 through the trade ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) The Indo-Soviet trade turnover during 1977 is expected to have been substantially higher than the trade turnover during 1976. The exact extent of increase is, however, not known as the actual import and export figures for 1977 are not yet available.

(b) It is our effort to increase the export of non-traditional items like instant coffee, various chemical items, textiles, engineering goods, leather goods, etc.

(c) Indo-Soviet trade is conducted in non-convertible Indian rupees. The trade with the USSR does not, therefore, directly contribute to foreign exchange earnings. (We, however, save foreign exchange through the import from USSR of certain essential commodities like fertilisers, petroleum, chemicals, non-ferrous metals, cotton, newsprint etc. It is not feasible to give the extent upto which the foreign exchange is, thus, saved).

मजूरी, आय और मूल्यों के बारे में भूतलिंगम अध्ययन दल का प्रतिवेदन

668. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री धर्मवीर वशिष्ठ } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी, आय और और मूल्य सम्बन्धी नीति के बारे में श्री एस० एस० भतलिंगम की अध्यक्षता के अन्तर्गत अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ;

(ग) क्या इस अध्ययन दल ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो कब और उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त दल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अप्रैल, 1978 के अन्त तक।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप वापस दिए गए नोटों का मूल्य

669. **श्री रागावलू मोहनरंगम**
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
श्री वयालार रवि } : क्या **वित्त** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप कितने और कितने मूल्य के विमुद्रीकृत नोट वापस लौटायें गये और वापस करने वालों को अब तक कितने और कितने मूल्य के नोटों का भुगतान किया गया है ;

(ख) कितने मामलों में घोषणाएं गलत पाई गई है और उनमें क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) विमुद्रीकरण से उत्पन्न आरम्भिक प्रन्तत्रियाओं का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्हलाह) : (क) और (ख) अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नही हुई है। जैसे ही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी वैसे ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ऊंचे मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण का जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है उसका अध्ययन किया जा रहा है और जितना जल्दी हो सकेगा, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

न्यायालयों द्वारा निपटाये न गये आयकर मामलों की संख्या

670. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री आर० कोलनथाइवेलु } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों द्वारा निपटाये न गए आयकर मामलों की संख्या कितनी है और उनमें से छह महीने से अधिक, एक साल से अधिक आदि समय से अनिर्णीत पड़े मामलों का वर्गीकरण क्या हैं ;

(ख) ऐसे बकाया मामलों के क्या कारण हैं ;

(ग) बकाया मामलों का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या आयकर मामलों और अन्य सम्बद्ध विषयों का निपटान करने के लिए, जिनका निपटान इस समय उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता हैं, सरकार का एक केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) , (ख), (ग), और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ?

बैंकों में जमा किये गये अधिक मूल्य के नोटों का मूल्य

671. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुद्रीकरण के फलस्वरूप बैंकों में जमा किये गये एक हजार रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के नोटों की संख्या तथा मूल्य क्या हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने घोषणा-पत्र पेश किये;

(ग) सबसे अधिक संख्या में नोट जमा करने वाले पहले 10 व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(घ) कितने व्यक्तियों को उनकी राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ङ) नोट जमा करने वाले व्यक्ति कितनी अवधि तक बैंक से अपने नोटों की पूरी कीमत पाने की आशा कर सकते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) :

(क) से (घ) तक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जसे ही वह उपलब्ध हो जाएगी, उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) आवेदन-पत्रों की जांच का काम चल रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि अदायगियां यथासम्भव शीघ्र कर दी जाएं ।

वस्तुओं के मूल्य की प्रवृत्ति

672. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री डी० वी० चन्द्रगौडा
श्री एस० आर० दामाणी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 के प्रारम्भ से प्रत्येक तिमाही में वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्ति का विवरण क्या है;

(ख) मूल्यों को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए उठाये गये सभी कदमों के उपरान्त भी मूल्यों के निरन्तर रूप से बढ़ने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बढ़ते हुये मूल्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्री तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100) अप्रैल, 1977 में 184.1 था 1 जुलाई, में यह अंक बढ़कर 188.7 हो गया, परन्तु अक्तूबर, 1977 में कम होकर 185.2 हो गया और फिर जनवरी, 1978 में और कम हो कर 183.3 हो गया ।

(ख) और (ग) : जैसा उपर्युक्त से प्रकट होता है, थोक कीमतों का सामान्य स्तर अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 के बीच कम हुआ है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तेल का आयात

673. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति में इस्तेमाल करने के लिए ताड़ के तेल के आयात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या वनस्पति निर्माता एककों तथा राज्य व्यापार निगम के बीच इस आशय का कोई करार हुआ है कि आयातित ताड़ का तेल उन्हें निश्चित की गई कम दरों पर सप्लाई किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मूल आयात मूल्य क्या होगा और निर्माताओं के लिए सप्लाई मूल्य क्या होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) वनस्पति के विनिर्माण के लिये आयातित तेलों, जिनमें ताड़ का तेल भी शामिल है, की मांग हमेशा राज्य व्यापार निगम द्वारा पूरी की गई है ।

(ख) वनस्पति उद्योग की 75% मांग अब आयातित तेलों से पूरी की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों में प्रति व्यक्ति बैंक पूंजी निवेश

674. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में देश के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों में प्रति व्यक्ति बैंक पूंजी निवेश क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : दिसम्बर, 1973, 1974 और 1975 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 'उद्योगों' की समग्रतः और 'निर्माणांक' उद्योगों अलग से दिये गये प्रति इकाई बकाया ऋणों को उपलब्ध राज्यवार आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं ।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को प्रति इकाई दिये गये अग्रिम (दिसम्बर के अन्त की स्थिति के अनुसार) ।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	उद्योगों को कुल ऋण			जिसमें से निर्माणांक उद्योगों को दिए गए ऋण		
	1973	1974	1975	1973	1974	1975
हरयाणा	128	149	155	119	137	143
हिमाचल प्रदेश	12	16	12	10	13	6
जम्मू और काश्मीर	21	21	52	9	14	18

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	100	121	126	92	110	113
राजस्थान	24	31	380	20	26	29
चंण्डीगढ़	431	266	373	184	183	265
दिल्ली	318	439	695	250	375	623
आसाम	12	17	23	10	14	18
मणीपुर	3	3	6	1	1	1
मेघालय	8	10	12	1	3	3
नागालैंड	15	7	11	12	5	7
त्रिपुरा	2	3	5	1	1	2
बिहार	26	31	61	20	31	51
उड़ीसा	19	22	24	15	17	20
पश्चिम बंगाल	154	186	196	141	169	177
मध्य प्रदेश	22	30	27	19	25	23
उत्तर प्रदेश	28	36	48	23	30	41
आंध्र प्रदेश	49	57	57	45	52	51
कर्नाटक	90	114	145	75	97	123
केरल	52	65	76	45	57	65
तमिलनाडु	118	136	157	102	121	144
पाण्डिचेरी	115	216	218	105	202	206
गुजरात	138	173	176	129	147	164
महाराष्ट्र	233	282	321	211	256	288
गोआ, दमन और द्वीप	441	509	619	107	118	197
अन्य*	11	19	19	8	15	16
अखिल भारतीय	80	98	114	70	86	100

*अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा मिजोरम शामिल हैं ।

टिप्पणी : प्रति इकाई ऋण 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आंकलित हैं ।

एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच

675. **श्री एस० जो० मुरुगय्यन**
श्री मनोरंजन भक्त
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री डी० डी० देसाई
श्री दयाराम शाक्य
श्री राजकेशर सिंह : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का बोइंग विमान नव वर्ष के दिन 213 यात्रियों सहित बंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशक) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया का बोइंग-747 विमान वी० टी० ई० बी० डी० "एम्परर अशोक", जो बम्बई से डुबाई के लिये अनुसूचित उड़ान (सं० ए० आई०-855) का परिचालन कर रहा था, 1 जनवरी, 1978 की शाम को बांद्रा समुद्रतट के नजदीक समुद्र में क्रैश कर गया, जिसके परिणामस्वरूप विमान पर सवार 213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी (जिनमें 23 विमान कर्मी भी शामिल थे)।

(ग) और (घ) जी हां। दुर्घटना की जांच एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है जिसके अध्यक्ष बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जस्टिस एम० एन० चंदूरकर हैं ।

(ङ) जांच अदालत की रिपोर्ट मिलने पर उसमें बताये गये दुर्घटना के कारणों की विस्तार से समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिम एशिया में निर्माण ठेकों के लिये प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के बीच प्रतिस्पर्धा

676. **श्री सौगत राय** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि पश्चिम एशिया में निर्माण के ठेके प्राप्त करने के लिये प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) । जी हां। तथापि, रिपोर्ट तथ्यतः गलत हैं। दोनों संगठनों में पहले से ही एक अनोपचारिक प्रादेशिक समझौता है और आपस में प्रतियोगिता से बचने के लिए परियोजना तथा उपस्कर निगम तथा भारतीय इंजीनियरी प्रोजेक्टस बराबर परामर्श करते रहते हैं।

प्रत्यक्ष कर कानूनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

677. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने, जिसके अध्यक्ष पहले श्री नाना पालखीवाला थे और बाद में श्री चोक्षा थे, सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति के प्रतिवेदन को कब तक सरकार को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चोकशा समिति) ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1977 में सरकार को पेश की है।

(ख) अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) समिति की अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 1978 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

नई दिल्ली में हुआ "पाटा" सम्मेलन

878. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री मनोरंजन भक्त
श्री धर्मवीर वशिष्ठ } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैसिफिक एरिया ट्रेवल एसोसियेशन का सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के उद्देश्यों, चर्चाओं, निर्णयों तथा व्यय के बारे में मुख्य विवरण क्या हैं ,

(ग) उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं तथा वहां हुये विचार-विमर्श में उनका प्रभावी योगदान क्या है; और

(घ) क्या भारत सरकार की पर्यटन नीति उक्त सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी यदि हां, तो किसके द्वारा तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसियेशन (पाटा) का 27वां वार्षिक सम्मेलन 23 से 26 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में हुआ।

(ख) पाटा वार्षिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मेज़बान देश पर ध्यान केन्द्रित करना है। यह प्रतिनिधियों को उस देश के लिये पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये उपलब्ध पर्यटक सुविधाओं तथा सेवाओं से परिचित कराने के अवसर प्रदान करता है तथा सम्मेलन में कई लेख पढ़े गये थे। इनका संबंध विमान परिवहन की प्रवृत्तियों, पर्यटन में सरकार की भूमिका, प्रशान्त सागरीय क्षेत्र में पर्यटन के मार्केटिंग, इंट्रापैसिफिक मार्केटों के आविर्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रोत्साही मार्केटों, विश्व पर्यटन की भावी सम्भावनाओं, पर्यटन विकास की प्रवृत्तियों, पर्यटन विकास के प्रभाव एवं पर्यटन तथा संरक्षण आदि से था। क्योंकि विभिन्न लेखों के पढ़े जाने के उपरान्त कोई विचार-विमर्श एवं चर्चाएं नहीं हुईं अतः इन लेखों के विषय-वस्तु के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिये गये ।

जहां तक सरकार द्वारा किये गये व्यय का संबंध है पाटा सम्मेलन के आयोजन के लिये पर्यटन विभाग द्वारा 13 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। तथापि इस व्यय में कुछ बचत हो जाने की आशा है।

(ग) सम्मेलन के लिये पंजीकृत भारतीय प्रतिनिधियों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। क्योंकि लेख केवल पढ़े गये थे और उन पर विचार-विमर्श नहीं हुआ था इसलिये सम्मेलन में विचार-विमर्श के मामले में प्रतिनिधियों के प्रभावी योगदान का प्रश्न ही नहीं उठता।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1595/78]।

(घ) हालांकि पाटा सम्मेलन में पर्यटन विकास के लिये कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी थी, केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमान मंत्री ने अपने स्वागत भाषण में तथा प्रधान मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में मोटे तौर पर बताया था कि किस दिशा में पर्यटन का विकास किया जाना चाहिये तथा पर्यटन के विकास के माध्यम से कैसे राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जानी चाहिए ।

खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा कोचीन में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पेशकश

679. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों ने कोचीन में एक उपयुक्त हवाई अड्डे के निर्माण के लिए धन की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों ने कोचीन में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये ऋण-पत्रों (Debentures) लॉटरियों या गल्फ देशों से सॉफ्ट लोन्स (Soft loans) के द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए तक के फंड इकट्ठा करने की पेशकश की है ।

किसी हवाई अड्डे के विकास के प्रयोजन के लिए प्राइवेट पार्टियों से किसी प्रकार की ग्रांट लेना उचित नहीं समझा गया है ।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए 31-1-1978 से सीधी उड़ाने आरंभ कर दी गयी हैं ।

बड़ी राशि के मुद्रा नोटों के विमद्रीकरण से प्रकाश में आया काला धन

680. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री डी० डी० देसाई
श्री सुखेन्द्र सिंह
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी राशि के नोटों के विमुद्रीकरण से कितने काले धन का पता लगा है;

(ख) विभिन्न विमुद्रीकरण नोटों के द्वारा कितना धन परिचालन में था;

(ग) कितना धन बैंकों को वापस लौटाया गया है, उसमें से कितना लेखाबद्ध धन था और कितना अलेखाबद्ध था; और

(घ) क्या किसी राजनैतिक तत्व ने बड़ी संख्या में ऐसे नोट दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) 16 जनवरी, 1978 की स्थिति के अनुसार प्रचलन में रहे ऊंचे मूल्य के बैंक नोटों का मूल्य—रु० 146.55 करोड़ ।

[ये आंकड़े अनन्तिम हैं; इनकी जांच और मिलान चल रहा है ।]

जो ऊंचे मूल्य के बैंक नोट (क) बैंकों के पास थे और (ख) अन्य व्यक्तियों द्वारा जमा कराये गये हैं, उनके मूल्य के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

ऊंचे मूल्य के बैंक नोटों के भुनाने के जिन मामलों में, आवश्यक समझा गया है; उनमें आयकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। लेखा-बाह्य धन की मात्रा का पता पूछताछ पूरी होने पर तथा सम्बन्धित कर-निर्धारण की कार्यवाही हो चुकने पर चलेगा । इस समय उपलब्ध सूचना से यह पता नहीं चलता कि किसी राजनैतिक दल ने ऐसे ऊंचे मूल्य के नोट पांच लाख जैसी बड़ी रकम के जमा कराये हैं ।

ढाई रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण

581. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढाई रुपये के मूल्य के बहुत से करेंसी नोट प्रचलन में हैं तथा अभी उनकी वैधता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या उनके विमुद्रीकरण अथवा उनको बाहर लाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्डों के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बक की स्थापना से पहले $2\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{2}$ रुपये वाले मूल्य के 41,961 नोट जारी किए थे, जो अभी तक जनता के पास हैं । यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 34(2) के अन्तर्गत ये नोट "चलन में नहीं माने जाने चाहिये" लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग की देनदारियों की गणना करने के लिये, इस धारा के परन्तुक के अन्तर्गत, इन नोटों का धारक भारतीय रिजर्व बैंक से इसका विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकता है ।

(ग) इस विषय पर विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति

582. **श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) जी हां । एक राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति बनाई गई है, जिसमें तिलहनों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, तेल निष्कर्षण बढ़ाने के लिये नवीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियायें, बफर स्टाक बनाना व मूल्य समर्थन उपाय, आयात की किस्म मात्रा तथा उनकी समय सारिणी का नियमन और उपभोक्ताओं को उचित तथा अपेक्षाकृत स्थिर मूल्यों पर खाने के तेलों की सप्लाई करने के उपाय जैसी प्रमुख बातें शामिल हैं।

जापान द्वारा कम मात्रा में लौह अयस्क का उठाया जाना

583. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान अपने अधिक ठेकागत लक्ष्य की अपेक्षा कम मात्रा में लौह अयस्क उठा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस बारे में तथा हाल ही में लौह-अयस्क के मूल्य में वृद्धि के बारे में जापान में संबंधित अधिकारियों से कोई बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) विश्व इस्पात उद्योग में मंदी के बने रहने के फलस्वरूप जापानी इस्पात मिलों के पास माल का भारी स्टाक होने के कारण जापान संविदागत स्तर से कम मात्रा में आयात कर सकता है परन्तु चालू वर्ष के दौरान भारत द्वारा जापान को किए जाने वाले वास्तविक निर्यातों के 1976-77 के स्तर से कम होने की संभावना नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इन ब्यौरों को बताना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

एयर इण्डिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मरे व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा

584. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हाल ही में एयर इंडिया की एक उड़ान दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या एयर इंडिया ने मृतकों के सभी आश्रितों के लिये मुआवजा मंजूर कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो किस दर से और अब तक इसकी कितनी धनराशि बांट दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : 213 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) और (ग) **यात्री**: मृत यात्रियों के परिवार के सदस्यों को देय मुआवजा "इंडियन कैरिज बाई एयर एक्ट, 1972" द्वारा शासित होता है जोकि 1 अप्रैल, 1973 से लागू हुआ था। इस एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार ने वार्सा कन्वेंशन, 1929 तथा हेग प्राटोकोल, 1955 के उपबन्धों को अपनाया, जोकि यात्रियों के परिवार के सदस्यों को देय मुआवजे को परिभाषित करते हैं।

टिकट पर दिए गए उद्गम स्थान तथा गन्तव्य स्थान के आधार पर मुआवजे की अदायगी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, अर्थात वार्सा कन्वेंशन/हेग प्राटोकोल द्वारा शासित होती है। टिकटों की जांच करने के बाद यह पाया गया कि 3 यात्रियों से संबंधित मुआवजा वार्सा कनवेंशन द्वारा, 31 यात्रियों का हेग प्राटोकोल द्वारा शासित होता था तथा शेष 156 यात्रियों का किसी भी कन्वेंशन द्वारा शासित नहीं होता था क्योंकि यू० ए० ई० उपयुक्त दोनों में से किसी भी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है । वार्सा कन्वेंशन के अन्तर्गत अधिकतम देय मुआवजा 10,000 अमरीकी डालर (लगभग 82,500.00 रुपये) के बराबर है तथा हेग प्राटोकोल के अन्तर्गत 20,000 अमरीकी डालर (लगभग 1,65,000.00 रुपये) के बराबर है । परन्तु ये अधिकतम सीमाएं हैं तथा देय मुआवजे की राशि मृतक की आय तथा परिवार के सदस्यों की उस पर वित्तीय निर्भरता आदि पर निर्भर करेगी। ऐसे 156 यात्रियों के मामले पर, जिनकी यात्रा किसी भी कन्वेंशन द्वारा शासित नहीं होती है, एयर इंडिया द्वारा बीमाकर्ताओं के साथ पुनः बाचचीत की गयी है और एक विशेष मामले के रूप में यह सहमति हुई है, कि मुआवजे की राशि की संगणना उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार हेग प्राटोकोल के अन्तर्गत लागू होती है ।

मृत्यु-सम्बन्धी मुआवजे के अलावा पंजीकृत सामान तथा गैर-पंजीकृत सामान के दावों का भी निबटान किया जाएगा । पंजीकृत सामान के लिये, देय मुआवजा 20 अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम (लगभग 165.00 रुपये प्रति किलोग्राम) के बराबर है तथा यात्रियों द्वारा वाहित गैर-पंजीकृत सामान या चीजों के संबंध में देय अधिकतम मुआवजा 400 अमरीकी डालर (3,300.00 रुपये) के बराबर है। दावों का निबटान सामान के यथार्थ मूल्य से संबंधित छोटे-मोटे ब्यौरों की जांच किए बिना ही कर दिया जाएगा ।

कार्मिक : जहां तक दुर्घटना में मारे गए कर्मीदल के सदस्यों का संबंध है, एयर इंडिया के सेवा विनियमों के अनुसार, ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने पर परिचालन तथा केबिन कार्मिकों को देय मुआवजा निम्न प्रकार है :

वर्ष	बीमा	मुआवजा
	रुपये	रुपये
कमांडर .	80,000	मूल वेतन का 36 गुना
को-पायलट .	70,000	मूल वेतन का 36 गुना
फ्लाइट इंजीनियर .	60,000	मूल वेतन का 36 गुना
केबिन अटैंडैंट . .	42,000	मूल वेतन का 36 गुना

उपर्युक्त के अलावा, एयर इंडिया के प्रबन्धक मंडल ने, बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशायें में, सभी कार्मिकों के संबंध में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिससे प्रत्येक कार्मिक को कम से कम एक लाख रुपये के मुआवजे के भगतान को सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

17 फरवरी, 1978 तक, 190 मृत यात्रियों में से 163 मृत यात्रियों से संबंधित दावे प्राप्त हो चुके हैं, तथा एयर इंडिया अब तक 71 मामलों में मुआवजे के ऑफर भेज चुके हैं। 9 मामलों में आवश्यक डिस्चार्ज दस्तावेज वापस प्राप्त हो चुके हैं तथा इन मामलों के सम्बन्ध में कुल 12,28,460.00 रूपये का अन्तिम भुगतान किया जा चुका है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

मृत यात्री का नाम	परिवार के सदस्यों को भुगतान किये गये मुआवजों की राशि
	रु०
1. श्री एस० रतनसिंह .	1,70,490
2. श्रीमती नूरजहां ए० आर०	1,71,600
3. मास्टर अटीप खान (12 वर्ष से कम आयु का बच्चा) .	56,600
4. श्री रेगो ओसमंड एस० ई० .	1,05,445
5. श्रीमती कुरुविल्ला ए० . .	1,71,600
6. श्रीमती आर० पी० कामाली .	1,06,270
7. श्री मोहम्मद हुसैन एस०	1,69,785
8. श्री मोहम्मद यूसुफ के० एम० .	1,06,600
9. श्री जोगिन्दर सिंह .	1,69,620
कुल .	12,28,460

जहां तक कर्मीदल के सदस्यों का सम्बन्ध है, 23 मामलों में से 17 फरवरी, 1978 तक 17 मामलों का निबटान किया जा चुका है जिनमें 19,57,000.00 रुपये का भुगतान शामिल है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	मृतक कार्मिक का नाम	परिवार के सदस्यों को भुगतान किये गये मुआवजे की राशि
(1)	(2)	(3)
		रुपये
1.	श्री ए० फारिया फलाइट इंजीनियर .	1,73,200
2.	श्री एम० अवालूरइन-फ्लाइट सुपरवाइजर .	1,37,920
3.	श्री के० एच० कोटचाल, फ्लाइट पर्सर	61,860*
4.	श्री ए० एम० डबास, फ्लाइट पर्सर .	1,15,600
5.	श्री के० आर० मैनोन, असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर	1,08,760
6.	कुमारी के० मानेक, एयर होस्टेस	1,11,460

(1)	(2)	(3)
7.	कुमारी बीना डाभी, एयर होस्टेस	1,11,460
8.	कुमारी रंजना लाल, एयर होस्टेस	1,11,460
9.	कुमारी सी० कठोक, एयर होस्टेस	1,13,260
10.	कुमारी एम० नन्दा, एयर होस्टेस	1,15,600
11.	कुमारी ए० मजीठिया, एयर होस्टेस	1,18,480
12.	कुमारी ए० मादार, एयर होस्टेस	1,15,600
13.	कुमारी जे० दिनशा, एयर होस्टेस	1,13,260
14.	कुमारी जे० एन० कोटवाल, एयर होस्टेस	1,14,160
15.	कुमारी के० पेमास्टर, एयर होस्टेस	1,15,600
16.	कुमारी डी० आर० मेहता, एयर होस्टेस	1,11,460
17.	श्री एन० सभापति, असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर	1,07,860
	कुल	19,57,000

*1,21,720.00 रुपये की कुल राशि में से, 61,860 रुपये उनकी धर्मपत्नी को दे दिये गए तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उनके भाई, श्री ई० डी० कोतवाल तथा उनकी बहन कुमारी जी० एच० कोतवाल को दिया जाना है।

एयर इंडिया शेष छः मामलों के सम्बन्ध में दस्तावेजों के पूरा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

HIGH DENOMINATION CURRENCY NOTES FOUND ABANDONED AT PUBLIC PLACES IN DELHI

†685. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that after the demonetisation of high denomination currency notes, a large number of such currency notes were found abandoned at public places in Delhi; and

(b) if so, the number of such currency notes recovered by Government out of those abandoned by the people out of fear ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) and (b) No such information has come to Government's Notice.

HIGH DENOMINATION CURRENCY NOTES DEPOSITED BY GOVERNMENT EMPLOYEES AFTER DEMONETISATION

†686. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether the persons depositing the currency notes of high denomination after demonetisation also include Government employees; and if so, their particulars ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : Too much time and labour will be involved in compiling the tenderers into different categories.

ATTEMPT BY A WOMAN TO FLY ABROAD WITH HIGH DENOMINATION NOTES FOLLOWING DEMONETISATION

687. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a woman was apprehended by the officials at Palam airport while she attempting to fly abroad with high denomination notes worth Rs. 50,000 following the demonetisation of such notes;

(b) if so, the country to which this woman was taking those notes; and

(c) the factual details of the case ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a), (b) and (c) Yes Sir. On 19-1-78 the police, during the course of security check at Palam airport, found that an Indian woman was carrying Rs. 50,000 in notes of Rs 1.000 denomination concealed on her body. The woman was booked to fly to Nepal by Flight No. IC.413. The said currency has since been seized by the Custom Officers for action under the law.

INCOME-TAX OUTSANDING AGAINST SHRI SANJAY GANDHI

688. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Shri Sanjay Gandhi has not paid any income tax for the last seven years though he has amassed huge amount of money; and

(b) the amount of income-tax oustanding against him and the efforts being made in this regard and the reasons for not taking any action by the Income Tax Department in this regard so far ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUA-RULLA) : (a) & (b) Income-tax as stated below has been paid by Shri Sanjay Gandhi in respect of the assessment years 1971-72 to 1976-77 :—

Assessment year	*Income-tax paid (in Rs.)*
1971-72	3,067
1972-73	3,547
1973-74	55,703
1974-75	16,723
1975-76	36,625
1976-77	17,635

For the assessment year 1970-71, a refund of Rs. 157.35 was given.

No. income-tax demand was outstanding from Shri Sanjay Gandhi as on 31st January, 1978.

हल्दी के उत्पादकों के हितों का संरक्षण

689. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि आंध्र प्रदेश में व्यापारी हल्दी के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध का लाभ उठा रहे हैं और किसानों को अपने उत्पादन का लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने से रोक रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हल्दी के उत्पादकों के हितों को संरक्षण देने हेतु कार्यवाही करने का विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार स्थिति का लाभ उठाने के लिये व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) हमें कुछ उपजकर्ताओं तथा अन्य लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें निर्यात पाबन्दी को हटाने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में निर्यातों पर पाबन्दी तथा नई फसल की आवक के कारण स्वदेशी बाजार में हल्दी की कीमतें गिरने लगी हैं अभी भी स्वदेशी कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची हैं और उन्हें उपजकर्ताओं के लिये अलाभकारी नहीं माना जा सकता है ।

वेतन, आय और मूल्यों के सम्बन्ध में भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा परामर्श किये गये मजदूर संघ

690. **श्री सोमानाथ चटर्जी**
श्री समर मुखर्जी : } : क्या **वित्त मंत्री** ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन, आय तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भूतलिंगम अध्ययन दल के समक्ष उपस्थित हुए मजदूर संघो के नाम क्या हैं ;

(ख) उन मजदूर सघों के नाम क्या है जिन्हें आमंत्रित किया गया था परन्तु जो अध्ययन दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ;

(ग) क्या अधिकांश मजदूर संघों ने अध्ययन दल के समक्ष उपस्थित होने से इंकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो मजदूर संघों से परामर्श करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : वेतन, आय और मूल्य विषयक अध्ययन दल ने अभी तक अपने सामने उपस्थित होने के लिये मजदूर संघों अथवा कर्मचारियों के संगठनों के किसी पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया है।

अध्ययन दल ने नवम्बर, के अन्त/दिसम्बर, 1977 के शुरू में बहुत से संगठनों, अर्थात विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के संगठनों और मजदूर संघों, वाणिज्य मण्डलों, आदि को पत्र लिखकर अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों के बारे में 15 जनवरी, 1978 तक उनके विचार आमंत्रित किए थे। 16-2-1978 तक कर्मचारियों के ऐसे एक संगठन से विचार प्राप्त हुए थे। कर्मचारियों के दो संगठनों ने औपचारिक रूप से सूचित किया है कि ये इस अध्ययन दल का बहिष्कार करते हैं । सरकार वेतन, आय और मूल्य विषयक अपनी नीति निर्धारित करने से पहले मजदूर संघों के साथ बातचीत करना चाहती है ।

WHOLESALE PRICES AND CONSUMER PRICES INDEX

691. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the wholesale prices and consumer prices index during the period from the 1st January, 1977 to September, 1977 separately, month-wise;

(b) the position thereof in January, 1978;

(c) the names of main consumer articles the prices of which came down and of those the prices of which went up; and

(d) the measures taken by Government to check frequent fluctation in prices ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). A statement is attached.

(c) Important consumer articles the prices of which have tended to rise over the year are pulses, fruits and vegetables, eggs, fish and meat, condiments and spices, dairy products, salt and cotton textiles. Cases of price decline include sugar, khandsari and gur, vanaspati, edible oils (other than mustard oil), tea and coffee, footwear and soap.

(d) The measures taken to stabilise prices have been described in the Economic Survey, 1977-78, recently presented to Parliament.

STATEMENT

WHOLESALE AND CONSUMER PRICE INDICES

	Wholesale Inde Base: 1970-71 = 100	All India Industrial Workers Consumer Price Index. Base 1960=100
January 1977	178·8	307
February 1977	182·7	310
March 19	182.9	312
April 1977	184·1	313
May 1977	187·4	318
June 1977	188·3	320
July 1977	188·7	325
August 1977	188·4	327
September 1977	188·2	331
October 1977	185.2	330
November 1977	184·4	330
December 1977	184·4(P)	330
January 1978	183·3(P)	N. A.

N. A.=Not available.
P=Provisional

CONSUMER COOPERATIVE STORES

692. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of consumer cooperative stores in the country;

(b) the number of such stores, out of them, which were earning profit or running in loss by the end of 1976-77;

(c) the steps taken by Government to set up a net work of consumer stores and to make them profitable;

(d) whether it is a fact that due to mismanagement of the stores, improper selection of articles and not opening them at suitable places, they could not be utilised properly and they suffered losses; and

(e) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) and (b). According to provisional figures available for the cooperative year ending 30th June, 1977, there were 16,404 consumer cooperative stores. Out of the total number, 15, 918 cooperative societies comprised of primary consumer cooperative societies of which, 6,371 were in profit, 3,923 in loss and 5,624 defunct. As regards Central/Wholesale consumer cooperative stores and State and National Consumer Cooperative Federations, out of 486 such societies, 338 were in profit, 117 in loss and information in respect of 31 societies for 1976-77 was not available.

(c) The Central Government has suggested to the State Governments that measures may be taken for re-organisation and rationalisation of the structure of consumer cooperatives, more particularly the need for weeding out of dormant primary consumer cooperatives, amalgamation of weak primaries with central consumer cooperative societies, wherever possible, rationalisation of business and operational procedures and bringing about improvement in the business and managerial efficiency so as to enable consumer cooperative institutions to provide effective services and also function as economically viable institutions. Besides guide-lines are also issued for rehabilitation of weak/sick consumer cooperative stores on the basis of successful experience, available in some of the States. Apart from the financial assistance provided by the State Governments under the State Plans for development of consumer cooperatives, the Central Government provides additional financial assistance to the State Governments under the Centrally Sponsored Scheme for expansion of the retailing net work and strengthening of State Level Federations. The Central Government also assists the States, in procuring supplies from manufacturers for cooperatives and in providing working capital loans under the Central Government Guarantee Scheme, besides, helping them in the training of key-personnel.

(d) The reasons for losses of consumer cooperatives vary from institution to institution. However, it is observed that in many cases the losses are generally due to mismanagement, wrong purchase procedures and practices and in some cases improper location, heavy leakages in stock, high overheads expenditure on establishment and other expenditure in relation to sales.

(e) The required corrective measures in improving the working of consumer cooperatives will have to be taken by the State Governments, as these cooperatives, like other cooperative institutions, are within the jurisdiction of States. The progress of consumer cooperatives and remedial measures required are, generally, discussed in the Annual Conferences of State Registrars of Cooperative Societies and State Ministers of Cooperation and these recommendations are sent to the States for appropriate action. Guidelines on important aspects of functioning of consumer cooperatives are also issued from time to time to State Governments by the Central Government for assisting the States to develop consumer cooperatives.

LOSS TO SUPER BAZAR IN DELHI

693. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state :

(a) whether a loss to the tune of lakhs of rupees was suffered by the Super Bazar in Delhi including of its various branches; if so, the reason therefor;

(b) the steps taken to reduce the loss suffered by the Super Bazar;

(c) the number of Connaught Place Super Bazar counters given on contract at present and the names of the persons or organisations to whom these have been given;

(d) the expenditure incurred under the head 'modernisation' or maintenance of Super Bazar at Connaught Place during the last three months;

(e) the expenditure incurred on the shifting and new constructions of the Furnishing departments of the Bazar; and

(f) the number of employees working there at present and the number of employees recruited and dismissed during 1977 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) The accomulated losses of the Cooperative Store Ltd., (Super Bazar) New Delhi upto the year 1976-77 were about Rs. 78 lakhs. The institution incurred losses during the first six years, and has been making marginal net profits from 1972-73 onwards upto 1976-77. The losses were due to heavy pilferages and shortages of stock in the initial period, high overhead expenses on establishment and other miscellaneous expenditure, large development expenditure incurred in the first two years, low sales turnover, etc.

(b) Important steps taken to reduce the losses are reduction in the staff strength from 1100 to 850, opening of new branches without recruiting additional staff. reduction in borrowings, better inventory management, reduction in pilferages and shortages, increase in sales turnover and rise in non-trading income.

(c) Thirty one. A list of the counters/space given to Public Sector Corporations, Cooperatives and private parties for special types of sales/services is attached at Statement I.

(d) & (e) In order to provide convenient shopping facility to large number of consumers visiting the Store, the Super Bazar has recently taken a decision to shift its departments from the third floor to first floor. A sum of Rs. 45,000/- has been incurred for shifting some departments from the third floor to first floor. As no repairs had been done over the last many years to the sanitary fittings resulting in rain and water from toilets seeping into the basement, causing damage to the goods, a contract for repair of the sanitary works has been given to a contractor and a sum of Rs. 29,000/- has been paid as part payment of the job done.

(f) The total staff strength as on 31-1-1978 was 847. The services of 21 employees were terminated or the names struck off the rolls during the year 1977. During 1977, 29 persons were appointed for filling up vacant posts in various departments.

STATEMENT

Statement referred to in (part (C) of Lok Sabha Unstrarred Question no. 693 for answer on 24-2-1978.

Name of the persons/Institutions	*Goods/Services*
M/s. Kohinoor Auto Stores	Motor Parts Unit.
M/s. Kanhaya Lall Sham ji & Co.	Banaras Sarees.
M/s. Vikram Enterprises.	Toys.
M/s. Batik & Shades	Batiks and Shades.
M/s. Shawl Emporium.	Shawls and Silk Sarees.
M/s. Kashmir Art Novelties.	Sarees and Shawls.
M/s. International Trade Link.	Motor Parts and Hardware.
M/s. India Fibro.	Nagrik Helmets
M/s. Arts Crafts Sales	Toys
M/s. National Textiles Corporation	Textiles.
M/s. Hindustan Handicrafts	Marble Counter-Novelties
M/s. Shankar Brothers	Musical Instruments
M/s. Maharaja Lal & Sons.	HMV Records
M/s. J & K Handloom Cooperative	Show Room
M/s. U. P. Handlooms Corporation	Show Room.
Government Publication Division (Min. of Information & Broadcasting)	Sales of Government publications.
M/s. Kashmir Products.	Beauty Corner.
Dr. Som Dev.	Homeopathic Clinic.
Dr. Mrs. Situ Juneja	Dental Clinic

M/s. Ajit Jain & Sons.	Electronics Products.
M/s. Sham Lal Jain & Sons.	Paints & Sanitary Hardwares.
M/s. Singh Electronics.	Sound & Musics.
M/s. Roy & James	Hair Dressing Saloon.
M/s. Coffee House	Coffee Snacks etc.
M/s. K. L. Oswal & Sons.	Pop Corn/Ice Cream Counters.
M/s. Dhodha Sweets.	Sweets.
M/s. Savitri Kalra.	Lottery Tickets.
M/s. Elite Opticians.	Opticals
M/s. Gupta & Goel.	Gany Watch Counter.
Dr. Sushil Chaudhury.	Eye Clinic
M/s. Lunna Scale Co.	Weighting Machines.

SCRUTINY OF INCOME TAX RETURNS FILED BY SHRI SANJAY GANDHI

694. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the income tax returns filed by Shri Sanjay Gandhi during the past years are being scrutinised because the returns were wrong;

(b) whether it is a fact that large amount of income was concealed while filing the above returns; and

(c) if so, the present stage of investigations in this regard ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a), (b) & (c) The income-tax returns filed by Shri Sanjay Gandhi are being scrutinised in the course of assessment proceedings under the Income-tax Act. Assessments for the assessment years 1970-71 and 1974-75 have been reopened as the Income-tax Officer had reason to believe that income chargeable to tax had escaped assessment. Assessment for the assessment year 1973-74 has been set aside by the Commissioner of Income-tax for being made afresh.

Assessment proceedings have also been initiated in respect of assessment year 1969-70.

2. The amount of income which has escaped assessment will be known after completion of enquiries and finalisation of the relevant assessment proceedings which are in progress.

अगरतला हवाई अड्डे का नवीकरण और उसका विस्तार

695. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि बढ़े हुए यातायात को देखते हुए अगरतला हवाई अड्डे का नवीकरण करने और उसका विस्तार करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की है,

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अगरतला का विमान क्षेत्र इस समय एफ-27 तथा एच० एस०-748 विमानों के नियमित

परिचालनों तथा बोइंग 737 (लो प्रेशर टायरों वाले उन्नत प्रकार) के सीमित परिचालनों के लिये उपयुक्त है। इस विमान क्षेत्र का बोइंग 737 विमानों के नियमित परिचालनों के लिए विकास करने के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। स्वीकृत किए गए निर्माण कार्य नीचे दिए गए हैं :

1. रन-वे (18/36) को मज़बूत एवं चौड़ा करना।
2. रन-वे 18/36 का छोर 18 पर 1050 फुट × 150 फुट तक विस्तार करना।
3. लिंक टैक्सी ट्रेक तथा एप्रन को चौड़ा एवं मज़बूत करना।
4. प्रत्येक छोर पर 200 फुट × 150 फुट के "ओवर रनों" की व्यवस्था करना।
5. अन्य विविध कार्य।

रबड़ बोर्ड

696. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** याक **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और** सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ बोर्ड बना दिया है;

(ख) ऐसे बोर्ड बनाये जाने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) क्या मजदूर संघों के प्रतिनिधि बोर्ड में मनोनीत किये जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड का गठन किया गया है ताकि वह जिन उपायों को ठीक समझता है, उनके द्वारा वह रबड़ उद्योग का विकास कर सके।

(ग) तथा (घ) : रबड़ अधिनियम में यह व्यवस्था है कि रबड़ बोर्ड के लिये मजदूरों के चार प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जा सकता है। तथापि, जिन ट्रेड यनियनों संगठनों, को जनवरी, 1978 में पुनर्गठित बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, उनके बारे में अभी निर्णय लिया जाना है ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन

697. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद } : **क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछला बजट सत्र आरम्भ होने से पूर्व हुई उद्योग, व्यापार, राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों की बैठक में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर नजर रखने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये शीघ्र ही राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद् गठित की जायेगी ;

(ख) क्या ऐसी समिति गठित कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) इस राष्ट्र स्तरीय संस्था को पहले सरकार द्वारा प्रायोजित शीर्ष संस्था के रूप में बनाने का विचार था । तथापि, बाद में इसे स्वैच्छिक आधार पर स्वयंउपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रायोजित संस्था के रूप में बनाने का निर्णय किया गया है । इनमें से कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने 27 जनवरी, 1978 को एक बैठक की जिसमें, इस शीर्ष संस्था को बनाने के बारे में ब्यौरा तैयार करने के लिये एक संचालन समिति गठित की गई ।

त्रिपुरा में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

698. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री समर मुखर्जी } : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितने पर्यटकों ने त्रिपुरा की यात्रा की;

(ख) क्या सरकार ने उस राज्य में पर्यटन में और वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राज्य में पर्यटन में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोतम कौशिक) : (क) क्योंकि पर्यटन विभाग पर्यटकों के आकड़ों का संधारण राज्य वार आधार पर नहीं करता है, अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा की यात्रा करने वाले यात्रियों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस राज्य की यात्रा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर लगे वर्तमान प्रवेश सबंधी प्रतिबंधों के कारण, केन्द्रीय क्षेत्र में त्रिपुरा में कोई पर्यटन स्कीमें आरम्भ नहीं की गयी हैं । तथापि, राज्य की 1978-79 की वार्षिक योजना में त्रिपुरा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये 6 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

एलैक्जेंडर समिति की सिफारिश

699. श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री डी० वी० चन्द्रगौड़ा
श्री डी० डी० देसाई
श्री कंवर लाल गुप्ता
श्री वसंत साठे
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री विजय कुमार मल्होत्रा
: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले वाणिज्य सचिव, ए० पी० सी० एलैक्जेण्डर की अध्यक्षता वाली सरकारी समिति ने तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति का सुझाव दिया है ;

(ख) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं, इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है;

(ग) इसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों की जांच कर ली है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस प्रतिवेदन के बारे में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1596/78]** ।

(घ) समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ङ) इस रिपोर्ट के संबंध में सरकार को अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

POLITICAL, RELIGIOUS AND CULTURAL ORGANISATIONS FROM WHOM DEMONETISED NOTES WERE RECEIVED

†1700. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the value of high denomination notes deposited in Banks consequent on recent demonetisation and the amount of income tax accrued thereby;

(b) the amount of black money still in the market or with the people and whether Government have given up the idea to unearth the same if so, the reasons therefor and if not when and how the action is proposed to be taken in this regard;

(c) the names of political, religious and cultural organisations in the country from whom such notes were received together with the value thereof as a result of demonetisation; and

(d) whether Government propose to realise only the income tax from those who have declared such high denomination notes or propose to launch prosecutions as well against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

(b) It is not possible to give an estimate of the amount of black money. Government keeps on reviewing the situation and whatever measures appear feasible are taken from time to time.

(c) Too much time and labour will be needed to make a category-wise list of tenderers of high denomination notes.

(d) Each case will be dealt within accordance with the laws in force.

एयर इंडिया के बोइंग विमान "एम्परर अशोक" का "फ्लाईट डाटा" और "वायस रिकार्डर" पाया जाना

701. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के बोइंग विमान "एम्परर अशोक" जो 1978 के नए वर्ष के दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, "फ्लाइट डाटा" और "वायस रिकार्डर" (ब्लैक बाक्स) इस बीच मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें रिकार्डर की गई बातों का सही विश्लेषण करने हेतु उन्हें विदेश भेजा गया है;

(ग) क्या एयर इंडिया के पास ऐसी बातों का विश्लेषण करने के लिये अभी भी उचित उपकरण नहीं हैं; और

(घ) ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने तथा दुर्घटना में कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस समय भारत में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(घ) जांच अदालत की रिपोर्ट मिलने पर उसमें बताए गये दुर्घटना के कारणों की विस्तार से जांच की जाएगी और आवश्यक उपचारी उपाय किये जायेंगे। विमान दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को दिये जाने वाले मुआवजे के भुगतान के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

17 फरवरी, 1978 तक 190 मृत यात्रियों में से 163 मृत यात्रियों से संबंधित दावे प्राप्त हो चुके हैं तथा एयर इंडिया अब तक 71 मामलों में मुआवजे के आफर भेज चुके हैं । 9 मामलों में आवश्यक डिस्चार्ज दस्तावेज वापस प्राप्त हो चुके हैं तथा इन 9 मामलों के सम्बन्ध में कुल 12,28,460.00 रुपये का अन्तिम भुगतान किया जा चुका है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

मृत यात्री का नाम	परिवार के सदस्यों को भुगतान किये गये मुआवजे की राशि
	रुपये
1. श्री एस० रतनसिंह . .	1,70,490
2. श्रीमती नूरजहां ए० आर० . . .	1,71,600
3. मास्टर अटीप खान (12 वर्ष से कम आयु का बच्चा) . .	56,600
4. श्री रेगो ओसमंड एस० ई० . .	1,05,445
5. श्रीमती कुरुविल्ला ए०	1,71,600
6. श्रीमती आर० पी० कामाली	1,06,270
7. श्री मोहम्मद हुसैन एस० .	1,69,785
8. श्री मोहम्मद यूसुफ के० एम० .	1,06,600
9. श्री जोगिन्दर सिंह . .	1,69,620
कुल . .	12,28,460

जहां तक कर्मीदल के सदस्यों का सम्बन्ध है, 23 मामलों में से 17 फरवरी, 1978 तक 17 मामलों का निबटान किया जा चुका है जिनमें 19,57,000.00 रुपये का भुगतान शामिल है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	मृतक कार्मिक का नाम	परिवार के सदस्यों को भुगतान किए गए मुआवजे की राशि
1	2	3
		रुपये
1.	श्री ए० फारिया, फ्लाइट इंजीनियर .	1,73,200
2.	श्री एम० अवालूर, इन-फ्लाइट सुपरवाइज़र . . .	1,37,920

1	2	3
		रुपए
3.	श्री के० एच० कोटवाल, फ्लाइट पर्सर	61,860*
4.	श्री ए० एम० डबास, फ्लाइट पर्सर	1,15,600
5.	श्री के० आर० मैनोन, असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर	1,08,760
6.	कुमारी के० मानेक, एयर होस्टेस	1,11,460
7.	कुमारी बीना डामी, एयर होस्टेस	1,11,460
8.	कुमारी रंजना लाल, एयर होस्टेस	1,11,460
9.	कुमारी सी० कठोक, एयर होस्टेस	1,13,260
10.	कुमारी एम० नन्दा, एयर होस्टेस	1,15,600
11.	कुमारी ए० मजीठिया, एयर होस्टेस	1,18,480
12.	कुमारी ए० मादार, एयर होस्टेस	1,15,600
13.	कुमारी जे० दिनशा, एयर होस्टेस	1,13,260
14.	कुमारी जे० एन० कोटवाल, एयर होस्टेस	1,14,160
15.	कुमारी के० पेमास्टर, एयर होस्टेस	1,15,600
16.	कुमारी डी० आर० मेहता, एयर होस्टेस	1,11,460
17.	श्री एन० सभापति, असिस्टेंट, फ्लाइट पर्सर	1,07,860
	कुल	19,57,000

*1,21,720.00 रुपये की कुल राशि में से 61,860 रुपये उनकी धर्मपत्नी को दे दिये गए तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उनके भाई, श्री ई० डी० कोतवाल तथा उनकी बहन कुमारी जी० एच० कोतवाल, को दिया जाना है।

एयर इंडिया शेष छः मामलों के सम्बन्ध में दस्तावेजों के पूरा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

धर्मशालाओं को पर्यटकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण में लिया जाना

702. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को सुझाव दिया है कि बेहतर प्रबन्ध और पर्यटकों की सुविधाओं के लिये स्थानीय धर्मशालाओं को अपने नियन्त्रण में ले लिया जाये ;

(ख) तत्सम्बन्धी लक्ष्य तथा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों से इस सम्बन्ध में मिले उत्तर बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं और क्या सरकार ने इस बीच विभिन्न भागों में कुछ धर्मशालाओं को स्वयं अपने नियन्त्रण में लेने के लिये चुना है; और

(घ) यदि हां, तो वे किन स्थानों पर हैं तथा कहां-कहाँ स्थित हैं और वर्तमान प्रबन्धकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि वे अपने-अपने राज्यों में स्थित धर्मशालाओं का व्यापक रूप से सर्वेक्षण करें जिस से कि उनकी वर्तमान स्थिति तथा उनके सुधार के लिये अपेक्षित कार्यवाही का पता लग सके । उपर्युक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि धर्मशालाओं के सुधार के लिये सुनियोजित प्रयत्न किये जायें। यह सुझाव भी दिया गया कि जो धर्मशालाएं संतोषजनक रूप से नहीं चल रही हैं, तथा उनका प्रबन्धक वर्ग उन्हें राज्य सरकार को सौंपने को तैयार है, तो उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाए तथा उनका प्रबन्ध पर्यटन राज्य विभाग द्वारा उ किया जाना चाहिये ।

(ग) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त उत्तर आशाप्रद हैं । भारत सरकार का किसी भी धर्मशाला को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में काजू बागान का विकास

703. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय काजू निगम ने काजू बागान लगाने के कार्य में लगे हुए विभिन्न राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल के कुछ पिछड़े राज्यों में काजू बागान के विकास की भारी क्षमता पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में बागान लगाने के कार्य के विकास में सहायता देने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और स्थानीय निवासियों से सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां । भारतीय काजू निगम की काजू की खेती की राज्य प्रायोजित निर्यात अभिमुख अर्थक्षेम स्कीमों के लिये आसान शर्तों पर ऋण देकर अथवा इक्विटी भागीदारी द्वारा 4 करोड़ रुपये तक धन उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो गया है । सभी संबंधित राज्यों से (जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है) पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे काजू, के गहन उत्पादन क्षेत्र विस्तार के लिये विस्तृत ब्यौरे भेज दें ताकि काजू निगम सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय ले सके ।

(ग) इस प्रकार का कोई परियोजना-अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(घ) काजू निगम से सहायता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जैसे ही वह रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी वैसे ही काजू निगम उस पर विचार करेगा ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि वह कितनी व किस प्रकार की सहायता दे सकता है ।

नई दिल्ली में हुए "पाटा" सम्मेलन पर हुआ व्यय

704. **श्री लखन लाल कपूर**
डा० बापू कालदाते } : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) हाल ही में नई दिल्ली में हुए "पाटा" सम्मेलन पर सरकार का कितना व्यय हुआ ;

(ख) सम्मेलन में कितने विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया ; और

(ग) इन प्रतिनिधियों से भारतीय होटलों (सरकारी) ने अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा कमायी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) "पाटा" सम्मेलन के आयोजन के लिये पर्यटन विभाग द्वारा 13 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है । परन्तु, इस व्यय में से कुछ बचत होने की आशा है ।

(ख) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार लगभग 1300 विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने पति/पत्नी सहित सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) अब तक प्राप्त सूचना से 6.12 लाख रुपये की आय होने का अनुमान लगाया जाता है ।

कोहिनूर मिल्स को दिये गये ओवर ड्राफ्ट

705. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या कापड़िया बन्धुओं, के कोहिनूर मिल्स और अन्य कंपनियों को विशेष रूप से सुधीर कापड़िया को, सुस्थापित बैंकिंग नियमों की अवहेलना करके भारी मात्रा में ओवर ड्राफ्ट् राशि देने की लिये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य-वाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लि० को ऋण की स्वीकृति और अन्य सुविधाओं के संबंध में एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा शीघ्र ही विचारपूरा कर लिये जाने की आशा है और इस रिपोर्ट पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से सदन को शीघ्र ही अवगत कर दिया जायेगा ।

श्रीमती गांधी तथा अन्यों द्वारा कालाधन जमा करने के बारे में शिकायतें

706. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैशनल हैराल्ड (एलाइड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्बद्ध श्रीमती गांधी, सर्वश्री मोहम्मद युनुस, एम० आर० शेरवानी, एस० डी० पिल्ले और धन सिंह द्वारा काला धन जमा किये जाने के बारे में लिखित शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में पूर्ण जांच करवाई है कि, बड़े पैमाने पर प्राप्त सार्वजनिक चंदे को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भिक पूंजी किस प्रकार अस्तित्व में आई तथा यह किस प्रकार बढ़ी और यह वर्तमान स्तर तक कैसे पहुंची;

(ग) क्या उन्होंने उन कर्मचारियों के बयान रिकार्ड करने के लिए कार्यवाही की है जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है तथा लिखित में दिया है कि श्रीमती गांधी ने हर महीने लेखाबाह्य धन में से डेढ़ लाख रुपया सर्वश्री एस० डी० पिल्ले, धन सिंह और मोहम्मद युनुस के द्वारा नेशनल हैराल्ड को दिया;

(घ) क्या धन कर, आय कर, सम्पदा शुल्क, उपहार कर और पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति के बारे में पूर्ण जांच करवाई गई है, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) नेशनल हैराल्ड के मुद्रक और प्रकाशक मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लि० (न कि एलाइड पब्लिकेशन्स (प्रा०, लि०) के प्रबन्ध-मण्डल के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखे गये एक पत्र में, जिसकी एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड को प्रेषित की गई है, श्री भूषण रैना ने जिसे नेशनल हैराल्ड कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बताया गया है, यह आरोप लगाया है कि "नेशनल हैराल्ड प्रति माह औसतन 1.5 लाख रु० की रकम प्राप्त कर रहा था, जिसे कभी भी बही-खाते में नही दिखाया गया था।" उसने श्री मोहम्मद युनुस, श्री एस० डी० पिल्लै और श्री एम० आर० शेरवानी के विरुद्ध भी कुछ आरोप लगाये हैं।

(ख) तथा (ग) एसोसियेटेड जर्नल्स लि० की अभिदत्त पूंजी जो 1966–67 में 25,51,620 रुपये थी बढ़कर 52,89,550 रुपये हो गई । प्रतिभूत ऋण के लिए इसकी देनदारी 31–3–1967 को 20,30,923 रुपये की थी और 31–3–1977 को 65,84,910 रुपय की थी, जबकि अ-प्रतिभूत ऋणों के लिए इसकी देनदारी 31–3–1967 को 7,78,313 रु० से बढ़कर 31–3–1977 को 24,16, 828 रुपयें की हो गई। पूंजी में हुई इस वृद्धि के बारे में और गत कुछ वर्षों में इसे प्राप्त हुए बताए गये दान तथा अंशदान के बारे में भी छानबीन की जा रही है;

(घ) तथा (ङ) श्री राजीव गांधी, श्री संजय गांधी तथा उनके परिवारों के सदस्यों के मामलों पर क्षेत्राधिकार आय कर आयुक्त, दिल्ली (सेण्ट्रल) के अधिकार-क्षेत्र में एक आय-कर अधिकारी को सौंप गया है। इन मामलों में छानबीन जारी है। स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की सम्पदा के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है जिसके सम्बन्ध में छानबीन की जानी हो। जहां तक श्रीमती इंदिरा गांधी का सम्बन्ध है, विचाराधीन कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान यथावश्यक पूछताछ की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की गुंतूर शाखा के पास विदेशी मुद्रा

707. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, की गुंतूर शाखा के पास कम से कम एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा पड़ी है जो विदेशों को नहीं भेजी गयी है और यह राशि तम्बाकू की बिक्री से होने वाली आय का एक भाग है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय स्टट बैंक की गुंतूर शाखा द्वारा तम्बाकू आदि की बिक्री के रूप में विदेशों में आयात कर्ताओं से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा उसकी प्राप्ति होने के तत्काल बाद भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों की शाखाओं अथवा तदनुरूपी बैंकों में जमा करा दी जाती है। गुंतूर शाखा को विदेशों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को अपने पास रखने के लिए अपना अलग खाता रखने की अनुमति नहीं है।

कलकत्ता स्थित भारतीय स्टेट बैंक का विदेश विभाग समग्र रूप म बैंक के विदेशी मुद्रा शेष पर केन्द्रीय नियंत्रण रखता है । भारतीय स्टेट बैंक की मार्फत भेजे गए निर्यातों की अदायगियों के लिए रोजमर्राकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यक रकम विदेशों में रखने के बाद शेष रकम समय समय पर भारत को भेज दी जाती है और इस की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है । दूसरी ओर यदि विदेशों में की जाने वाली अदायगियों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी रकम से अधिक हो तब उस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से भारत से विदेशी मुद्रा भेजी जाती है ।

नोटों का विमुद्रीकरण करने के पश्चात् विभिन्न प्राधिकृत केन्द्रों में प्राप्त हुए अधिक मूल्य के नोट

708. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) अधिक मल्य के नोटों का विमुद्रीकरण करने के सरकार के निर्णय के पश्चात् विभिन्न प्राधिकृत केन्द्रों में प्राप्त अधिक मूल्य के नोटों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सभी मामलों में यह राशि व्यक्तियों के खातों में जमा कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 10,000 रुपये और इससे अधिक मूल्य के नोट प्रस्तुत किये हैं ?

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला): (क) से (ग) पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है । जैसे ही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) इस जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय और परिश्रम लगेगा ।

बैंक कर्मचारियों की मांगें

709. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों ने दो दिन--29 दिसम्बर को चार घंटे और 30 दिसम्बर, 1977 को पूरे दिन की हड़ताल की थी,

(ख) यदि हां, तो उसकी मांगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनकी मांगों पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) इंडियन बैंक एसोशिएशन ने यह सूचित किया है कि आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन और इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लाइस कांग्रेस से सम्बद्ध संघों से सम्बन्धित बैंक कर्मचारियों ने 29 व 30 दिसम्बर, 1977 को हड़ताल की थी । बैंक कर्मचारियों की मांगें वेतन में संशोधन, बोनस की अदायगी तथा ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को कार्यालय समय में ही ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित कार्य करने के लिए छोड़े जाने (जिसे ट्रेड यनियन के अधिकारों की बहाली कहा गया है) के सम्बन्ध में है ।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्र) ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समझौता कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । समझौते की कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दी जा रही प्राथमिकताओं को समाप्त करना

710. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दी जा रही सभी प्राथमिकतायें समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को इस समय कौन-कौन सी प्राथमिकतायें दी गई हैं और उन्हें समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों को मूल्य एवं खरीद में दी गयी अधिमान्यता से है । सरकारी उद्यमों की क्षमता के अधिकतम उपयोग के विचार से सरकार ने यह निर्णय किया था कि सरकार के मंत्रालयों और विभागों को अपनी जरूरत का यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सामान सरकारी उद्यमों से ही खरीदना चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों को मूल्य में 10 प्रतिशत तक की अधिमान्यता दी गई थी । यह योजना सरकारी क्षेत्र से मुख्यत: इंजीनियरी उद्यमों पर ही लागू की गई थी । अब चूंकि सरकारी उद्यमों के कार्यचालन में काफी सुधार हो चुका है तथा प्रतियोगी कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल्य अधिमान्यता समाप्त कर दी गई है ।

कराधान के बारे में झा आयोग की सिफारिशों पर निर्णय

711. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराधान के बारे में झा आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) झा समिति की रिपोर्ट में केन्द्र और राज्यों, दोनों द्वारा लगाये जाने वाले अप्रत्यक्ष करों की समग्र व्यवस्था पर विचार किया गया है, और इसमें निहित सिफारिशो का क्षेत्र काफी व्यापक है । सरकार ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय तो अब तक ले भी लिये हैं :—

(i) मूल और उपसंगी उत्पादन शुल्क का एकीकरण ।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन की कर-व्यवस्था की निश्चित शुल्क-दरों को, यथासंभव मूल्यानुसार दरों में बदलना ।

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत शुल्क में वृद्धि करना ।

(iv) उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत अदा किय गये शुल्क को मुजरे देने की व्यवस्था ।

(v) जल प्रशीतकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर घटाना ।

(vi) पानी पम्प करने के यंत्रों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की दर घटाना ।

(vii) फाइन और सुपर फाइन को छोड़कर बाकी सूती वस्त्रों पर, वस्त्र की बुनाई के विवरण के आधार की बजाय वस्त्र के मूल्य के आधार पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क व्यवस्था का संशोधन ।

(viii) स्टेनलैस स्टील की जो चद्दरें, पत्तियां और प्लेटें निर्दिष्ट मशीनों जैसे पूंजी किस्म के माल और संघटक के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हों, उन पर आयात शुल्क की दर घटाना ।

पर्यटकों के लिये होटलों में कमरों की आवश्यकता का सर्वेक्षण

712. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आवश्यकता से कोई सर्वेक्षण किया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक इस देश में आने वाले पर्यटकों के लिये होटलों में कितने कमरों की आवश्यकता होगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) 1972–73 के विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण तथा आने वाले पर्यटकों की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर, पांचवीं योजना बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए होटल कमरों की आवश्यकताओं की एक प्रायोजना बनाई गई थी। तदनुसार, इस योजनावधि के अंत तक भारत की यात्रा करने वाले अनुमानतः 800,000 पर्यटकों के लिए पांचवीं योजना (1974–79) के अंत तक 15,000 अतिरिक्त होटल कमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था ।

मध्यम आय वाले पर्यटकों के लिये अधिक होटल बनाने हेतु प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संघ (पाटा) का अनुरोध

713. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } **: क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 17 जनवरी, 1978 क्या इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशित इस समाचार को देखा है जिसमें प्रशांत क्षेत्र यात्रा संघ (पाटा) के उच्च विशेषज्ञों द्वारा मध्यम आय वाले पर्यटकों के के लिए भारत में और अधिक होटलों का निर्माण करने पर जोर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे होटलों के निर्माण हेतु कोई योजना तैयार करने का है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): महानगरेज (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास) और अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर जनता होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण किए जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या, स्थान तथा आकार अगली पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर करेंगे ।

एल्युमिनियम का निर्यात

714. **श्री मखितयार सिंह मलिक :**
श्री सुभाष आहूजा :
श्री जी० एम० बनतवाला :
} **क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा गत दो वर्षों में एल्यूमीनियम का निर्यात किया जाता रहा है और यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार कितनी मात्रा में एल्यूमीनियम का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय एल्यूमीनियम का अभाव है और सरकार ने वर्ष 1977–1978 के दौरान इस धातु का आयात करने की योजना बनाई है ; और

(ग) इस अभाव के क्या कारण हैं और भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी हां । 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान क्रमशः लगभग 10 हजार मे० टन तथा 25 हजार मे० टन एल्यूमीनियम का निर्यात किया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) कमी का कारण एल्यूमीनियम की मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि न होना है । अनुमान है कि आयात करने से लगभग 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर चली जायेगी ।

भारत से आयात किये गये बन्दरों का रेडियेशन परीक्षणों के लिए उपयोग

715. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला**
श्री यशवन्त बोरोले
} **: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि भारत से आयात किये गये बन्दरों को अमरीका में न्यूट्रान बम, जोकि स्पष्ट आणविक उपकरण है, में सिद्धि प्राप्त करने के लिए रेडियेशन परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जबकि कानून के अनुसार बन्दरों को केवल चिकित्सीय एवं अनुसंधान कार्यों के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि कानूनों का उल्लंघन न हो और बन्दरों को इस नृशंस हत्या के लिए उपयोग में न लाया जाये ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) तथा (ख) हमने समाचार पत्रों में छपी ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें बंदरों के दुरुपयोग की बात कही गई है । बंदरों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है ।

716. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष कराधान संबंधी झा समिति ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदन और सिफारिशों का अध्ययन कर लिया है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार के निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के संक्षिप्त मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें उसकी अन्तिम रिपोर्ट के जिस भाग में दिये गये हैं, वह भाग-1 16 दिसम्बर, 1977 को सदन-पटल पर रखा जा चुका है ।

(ग) फिलहाल, सारी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है । जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा लगाये जाने वाले अप्रत्यक्ष करों की समग्र व्यवस्था पर विचार किया गया है ।

(घ) सरकार ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित निर्णय तो अब तक ले भी लिये हैं :—

(i) मूल और उपसंगी उत्पादन शुल्क का एकीकरण ।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन की कर-व्यवस्था की निश्चित शुल्क-दरों को, यथासंभव, मूल्यानुसार दरों में बदलना ।

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत शुल्क में वृद्धि करना ।

(iv) उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त वतुओं पर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत अदा किये गये शुल्क की मुजरे देने की व्यवस्था ।

(v) जल प्रशीतकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरें घटाना ।

(vi) पानी पंप करने के यंत्रों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की दर घटाना ।

(vii) फाइन और सुपर फाइन को छोड़कर बाकी सूती वस्त्रों पर, वस्त्र की बुनाई के विवरण के आधार की बजाय वस्त्र के मूल्य के आधार पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व्यवस्था का संशोधन ।

(viii) स्टनलैस स्टील की जो चद्दरें, पत्तियां और प्लेटें निर्दिष्ट मशीनों जैसी पूंजी किस्म के माल और संघटक के निर्माण में कच्चे माल के रूप में युक्त होते हों उन पर आयात शुल्क की दर घटाना ।

अन्य विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय यथासमय जाहिर किये जायेंगे ।

भारत के पश्चिमी तट पर तस्करी की गतिविधियां

717. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत के पश्चिमी तट पर तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी की गतिविधियों की रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है ।

(ख) हालांकि पश्चिम समुद्र तट पर तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है, फिर भी निवारक कर्मचारियों की तादाद में वृद्धि करके, समुद्र तट पर गश्त लगाने के लिए और अधिक जलयानों की व्यवस्था करके और पश्चिमी समुद्र तट के साथ-साथ तस्करी के लिए सुगम स्थलों पर प्रेक्षण चौकियां स्थापित करके तस्करी विरोधी उपायों को और सुदृढ़ बनाया गया है । पश्चिम समुद्र तट के साथ-साथ बेतार-संचार का जाल बिछा दिया गया है । हाल ही में, समुद्र तट पर सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है, जो तस्करी विरोधी कार्यवाहियों में सीमा शुल्क विभाग के प्रयासों को आगे बढ़ायेगा ।

कुक्कुटादि, सब्जियों तथा ताजा फलों के निर्यात पर तिबन्ध

718. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **वाणिज्य** तथा **नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुक्कुटादि, सब्जियों तथा ताजा फलों के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगाये हैं;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं का वर्ष 1976–77 में कुल कितना निर्यात हुआ और वर्ष 1977–78 के लिये वचनबद्धताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जनवरी 1978 में नई दिल्ली में संसाधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद् के 14वें वार्षिक सम्मेलन में सरकार से प्याज, आलू के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने का अनुरोध किया है यदि हां, तो विगत 18 महीनों में प्रतिमास प्याज एवं आलुओं का मूल्य क्या था ; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कुक्कुटादि सब्जियों तथा ताजा फलों के बारे में निर्यात नीति नीचे बताई गई है :

(1)	(2)
अंडों के अलावा कुक्कुटादि	निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है ।
अंडे :	निर्यात की अनुमति है बशर्ते 40 रु० प्रति 100 अदद एफ०ओ०वी० की न्यनतम निर्यात कीमत प्राप्त हो ।

(1)	(2)
सब्जियां :	आलू, प्याज तथा अन्य ताजी सब्जियों के निर्यात क्रमशः मार्च, 1977 के पहले सप्ताह, 13 मई, 1977 तथा 19 जुलाई, 1977 से बन्द कर दिए गए हैं। परन्तु प्याज तथा ताजी सब्जियों के निर्यात थोड़ी मात्राओं में प्रतिबंध लगने से पूर्व की वचन-बद्धताओं के आधार पर अथवा पड़ोसी मित्र देशों से किए गए अनुरोध को पूरा करने के लिए किए जाते हैं ।

(ख)

लाख रु० में

	1976-77	अप्रैल-जून, 77
आलू तथा प्याज सहित ताजी सब्जियां	2746.32	697.67
ताज़े फल	351.25	287.48
जीवित तथा मारे गये कुक्कुटादि	7.78	1.02
अंडे	865.32	24.24

निर्यात के लिए क्रियादेश निर्यातकों द्वारा बुक किए जाते हैं और उनके द्वारा की गई वचनबद्धताओं से संबंधित आंकड़े सरकार नहीं रखती है ।

(ग) 28 दिसम्बर, 1977 को हुए प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल के चौदहवें वार्षिक सम्मेलन में परिषद् के अध्यक्ष ने, अन्य बातों के साथ-साथ ताजी सब्जियों तथा प्याज के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया ।

पिछले 18 महीनों के दौरान प्याज तथा आलू की थोक कीमतें संलग्न विवरण में दी गई हैं । [मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1597/78]

(घ) सरकार की नीति प्याज, आलू जैसी आवश्यक उपभोक्ता मदों के मामले में घरेलू बाजार को प्रथम प्राथमिकता देना है और निर्यात की अनुमति केवल उसी समय दी जाएगी जब निर्यात योग्य अधिशेष बन जायेगा तथा घरेलू कीमत का स्थिर होना सुनिश्चित हो जायेगा ।

बम्बई के निकट हुई एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावों को निपटाने के लिये अपनाये जाने वाले सिद्धान्त

719. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 को बम्बई के निकट हुई एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के सम्बन्धियों द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति संबंधी दावों को किन सिद्धान्तों के आधार पर निपटाया जा रहा है ;

(ख) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के सम्बन्धियों की क्षतिपूर्ति की राशि वितरित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उन अभागे व्यक्तियों के सम्बन्धियों को बिना किसी परेशानी अथवा कठोर और पेचीदा प्रक्रियाओं के क्षतिपूर्ति मिल जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1598/78]

(ग) जी, हां ।

एयर इंडिया के विमान "एम्परर अशोक" के मलबे का मिलना और प्रारंभिक जांच

720. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रारम्भिक जांच तथा "फ्लाइट रिकार्डर" में रिकार्ड किए गए तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात् "एम्परर अशोक" के बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्र से विमान के मलबे के मिलने में सरकार को कितनी सफलता मिली है तथा कितने व्यक्तियों की लाशें मिली हैं और कितनों की शिनाखत हुई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समय जांच किस चरण पर है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । दुर्घटना की एक जांच अदालत द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अब तक मिले ध्वंसावशेषों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) राइट हैंड बाडी गेयर ।

(ii) नं० 3 इंजन ।

(iii) नं० 2 इंजन—केवल ह्वीलकेस और एग्जास्ट केस ।

(iv) काउलिंग का एक भाग ।

(v) विंग, आउट बोर्ड एलसान का एक छोटा सा भाग ।

(vi) अपने एक्चुएटर सहित स्पायलर ।

(vii) ब्रांड जैक स्क्रयू नं० 2 स्थिति में लैफ्ट हैंड आउट बोर्ड फ्लैप ।

(viii) फ्लोर बोर्ड के कुछ टुकड़े ।

(ix) एक लाइफ रैफ्ट ।

(x) छः स्केपस्लाइड ।

(xi) एक आक्सीजन बोतल ।

(xii) एक अग्निशामक ।

(xiii) डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकार्डर ।
(ब्लैक बाक्स)

(xiv) काकपिट वायस रिकार्डर
(सी० वी० आर०)

विमान दुर्घटना में मारे गये 213 व्यक्तियों में से केवल 93 के शव मिले हैं । इन 93 शवों में से केवल 20 शवों की ही शिनाख्त की जा सकी है ।

(घ) जांच अभी चल रही है । मेंडेटरी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकार्डर" को जांच अदालत ने विभिन्न "पेरामीटरों" के "रीड आउट" के लिये वाशिंगटन में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भेज दिया था । नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने "रीड आउट" प्राप्त हो चुका है । जाँच अदालत ने काकपिट वायस रिकार्डर भी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भेज दिया है ।

विमुद्रीकृत करेंसी नोटों का कम मूल्य पर बेचा जाना

721. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर विमुद्रीकृत करेंसी नोटों को बहुत कम मूल्य पर बेचा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की निश्चित रूप से शिनाख्त हो जाएगी और तथ्य प्रकट हो जायेंगे, कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मुनासिब कार्यवाही की जाएगी ।

EXPORT OF BEEF, MONKEYS, BIRDS AND LEGS OF FROGS

722. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have forbidden the export of beef, monkeys, birds and legs of frogs;

(b) if so, the names of the countries to which they were exported and the amount of export of these items separately during the last three years; and

(c) the areas in which these frogs are found and whether any efforts have been made to increase the progency of the frogs also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Export of Beef (meat of cow family) is already banned totally. Monkeys have been banned for export. There is no ban on the export of birds and legs of Frogs.

(b) A statement showing country-wise exports of Monkeys, Birds and Frog Legs during last three years is attached.

[Placed in Library. *See* No. LT/1599/78].

(c) Exportable varieties of Frogs are found largely in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, karnataka, Maharashtra and West Bengal. Research work to evolve suitable Culture technique and Frog farming is in progress at Central Inland Fisheries Institute, Barrackpore and by the Government of Kerala separately.

EXPORT OF DRINKING WATER

723. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drinking water is being exported to Government of Iran from Bombay;

(b) if so, the quantity, rate and the terms thereof; and

(c) the place from where this water will be made available and whether there is any likelihood of any adverse effect on the drinking water scheme of Bombay as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

EMPLOYEES HAVING KNOWLEDGE OF HINDI IN MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

724. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total number of sections in his Ministry/Department at present and how many sections out of them are such where more than 80 per cent employees have the knowledge of Hindi;

(b) the total number of sections where noting and drafting is done in Hindi at present and the reasons for not doing so in other sections; and

(c) whether clear orders have been given to all the sections for doing noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Sixteen. Out of these there are 12 Sections in which 80% or more staff have a working knowledge of Hindi.

(b) In all the 16 Sections, Hindi is being used in varying degrees for the purposes of noting and drafting.

(c) As per Official Languages Rules, the employees of the Central Government are free to record their notes on files in Hindi or in English. All the Sections and employees of this Ministry have been apprised of this position and Hindi knowing senior officers and employees have both been urged to do more and more work in Hindi. In order to promote the progressive use of Hindi, facilities like Hindi typewriters and help literature in Hindi, etc., have been made amply available. Scheme of giving cash awards to the employees working in Hindi has also been introduced. As a result of these efforts the use of Hindi in the Ministry has made considerable progress and the trend is progressively gaining momentum.

NOTING AND DRAFTING IN HINDI IN MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

725. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleosed to state :

(a) the number of employees of each category in his Ministry and the number of those having working knowledge of Hindi or who have attained efficiency in Hindi;

(b) the number of employees who having working knowledge or having attained efficiency in Hindi write notes and drafts in Hindi;

(c) the reasons in respect of those who do not write notes and drafts in Hindi; and

(d) whether such employees have been asked to write notes and drafts in Hindi and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) The category-wise details of the total number of employees of the Ministry of Tourism and Civil Aviation and the number of those who have working knowledge of Hindi and are making use of Hindi for the purposes of noting and drafting, are as follows :

Category	Total Strength	No. of those who have working knowledge/ proficiency in Hindi	No. of those who are making use of Hindi in varying degrees for the purposes of noting and drafting.
1. Group A	19	17	15
2. Group B (Gazetted) . .	25	21	15
3. Group B (Non-gazetted) . .	77	70	39
4. Group C . . .	64	61	44
	185	169	113

The Group 'B' (Non-gazetted) and Group 'C' in the above table include employees holding posts of stenographers and Lower Division Clerks who are normally not engaged in noting and drafting work.

(c) and (d) As per Official Language Rules, the employees of the Central Government are free to record their notes on files in Hindi or in English. All the Sections and employees of this Ministry have been apprised of this position and Hindi knowing Senior officers and employees have both been urged to do more and more work in Hindi. In order to promote the progressive use of Hindi, facilities like Hindi typewriters and help literature in Hindi, etc., have been made emply available. Scheme of giving cash awards to the employees working in Hindi has also been introduced. As a result of these efforts the use of Hindi in the Ministry has made considerable progress and the trend is progressively gaining momentum.

लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लिमिटेड के कार्यों की जांच

726. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को शिकायत सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लिमिटेड के कार्यों की जांच करने की मांग की गई है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10 की उल्लंघन करते हुए लक्ष्मी कर्मशियल बैंक लिमिटेड के बोर्ड में मारुति मोटर्स लिमिटेड के भूतपूर्व निदेशक श्री एस० के० तुलशन की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई है और यदि हां, तो किन आधारों पर ;

(ग) उन कम्पनियों की और से, जिसमें इसके दो निदेशक अर्थात् श्री एस० के० तुलशन और श्री एस० आर० कपूर और उनके मित्र तथा संबंधी रुचि रखते हैं, लक्ष्मी कर्मशियल बैंक द्वारा आपात काल की अवधि के दौरान और उसके बाद बट्टे पर भुगतान हुंडी बिलों की कुल राशि क्या है और कुल कितनी राशि के ऋण तथा अग्रिम ऋण दिये गये; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1969 के बाद लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड और इस बैंक की विभिन्न शाखाओं में धोखाधड़ी की शिकायतों के बारे में जांच की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राज्य सभा के संसद् सदस्य श्री जगजीत सिंह आनन्द ने सरकार को लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के कार्यकरण में कुछ अनियमिताओं के आरोप के विषय में एक ज्ञापन भेजा था । इस ज्ञापन को अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया गया था ।

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 बैंकिंग कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित नहीं हैं परन्तु इस अधिनियम की धारा 10 क में यह अपेक्षित है कि रिजर्व बैंक इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी बैंक के निदेशकों में कम से कम 51 प्रतिशत व्यक्ति इस धारा में निर्दिष्ट विषयों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हों । रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि श्री एस० के० तुलशन धारा 10 क में उल्लिखित बहुमत वर्ग के निदेशक नहीं हैं और इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं के अनुसार बैंकों के अलग अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती । परन्तु रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बताया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 20 उन प्रतिष्ठानों को ऋण की स्वीकृति पर पाबन्दी नहीं लगाती है जिनमें बैंक के निदेशकों के मित्रों अथवा सम्बन्धियों के हित हों और उसके (रिजर्व बैंक के) पास लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों को कोई ऋण स्वीकृत किये गये हों तो उन के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित ज्ञापन के अलावा उसे लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड में जालसाज़ी की कोई और शिकायतें नहीं मिली हैं ।

पंजाब और सिंध नेशनल बैंक का चेयरमैन

727. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयु सीमा, नियुक्ति की अवधि तथा अर्हताओं के बारे में गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की क्या नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिन्ध नेशनल बैंक के वर्तमान चेयरमैन की नियुक्ति की अवधि अनेक बार बढ़ाते हुए इन मापदण्डों को नजर अन्दाज किया है ;

(ग) क्या यह सच कि रिजर्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के चेयरमैन को अपने बैंक की 20 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी लेने की अनुमति दी है जब कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इसकी एक प्रतिशत की सीमा है; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक इस बात को जानता है कि अन्य बैंकों ने पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के चेयरमैन और उसके निकट सम्बन्धियों को पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के उपरोक्त शेयरों को खरीदने के लिए धन की सहायता देने हेतु ऋण दिये हैं और यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक ने ऐसी वित्तीय अवस्था की अनुमति दी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा न तो की जाती है और न ही इसके द्वारा प्रवर्तित की जाती है। कानूनी अपेक्षा केवल यह है कि रिजर्व बैंक से इन नियुक्तियों को पूर्वानुमति ली जाती है। इस विषय का कानून भी यह आदेश देता है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष एक बार में निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्धारित वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए पदासीन रहेगा। अध्यक्ष को एक व्यावसायिक बैंकर होना चाहिये जिसे बैंकिंग का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। वह उद्योगपति नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति का गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति अथवा पुर्ननियुक्ति के लिए अपनी अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति उपर्युक्त कसौटी पर पूरा उतरे। यद्यपि कानून में कोई आयुसीमा की शर्त नहीं है फिर भी रिजर्व बैंक प्रायः इस सिद्धान्त का पालन करता है कि किसी बैंक के किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु से आगे तक न जाये रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि अध्यक्ष की पुर्ननियुक्ति के लिये और जिन बातों पर विचार किया जाता है वे ये हैं कि उसके कार्यकाल में बैंक का कार्य निष्पादन कैसा रहा और उसका उपयुक्त उत्तराधिकारी सुलभ है अथवा नहीं।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि० के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को जून, 1976 में उनकी 64 वर्ष की आयु में 2 वर्ष के लिये इस आधार पर अनुमोदित किया था कि उनके नेतृत्व के दौरान बैंक का अपूर्व विकास हुआ था।

(ग) किसी व्यक्ति (किसी बैंक के अध्यक्ष समेत) के लिये किसी बैंकिंग कम्पनी के शेयर प्राप्त करने के वास्ते रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, बैंककारी विनियमन अधिनियम में यह विहित है कि किसी बैंकिंग कम्पनी में शेयर रखने वाला कोई व्यक्ति उस बैंकिंग कम्पनी के कुल शेयर होल्डरों के मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

(घ) यद्यपि बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंध इस बात का निर्णय करते हैं कि कोई बैंक स्वयं अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करें, किसी बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के शेयरों की जमानत पर ऋण या अग्रिम मंजूर किये जाने के बारे में कोई निषेध नहीं है। फिर भी, रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि जब शेयरों की जमानत पर 5 लाख से अधिक रुपया उधार दिया जाना हो और वापसी का कार्यक्रम 5 वर्ष से अधिक का हो अथवा वापस अदायगी के कार्यक्रम से छूट देने का प्रस्ताव हो तो उस मामले में रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसे किसी बैंक से इस आशय का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के शेयरों की जमानत पर इंद्रजीत सिंह और उनके रिश्तेदारों को मंजूर किये गये अग्रिमों के बारे में वापस अदायगी के कार्यक्रम के निर्धारण या उससे छूट के लिये अनुमोदन मांगा गया हो।

आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यापक वितरण व्यवस्था सम्बन्धी योजना

728. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री मूल्यों में वृद्धि के बारे में 24 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए एक व्यापक वितरण व्यवस्था बनाने के तरीके को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या उसे क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां, तो जन साधारण को उचित मूल्यों पर सुगमता से वस्तुएं उपलब्ध कराने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने की एक योजना, जिसमें वर्तमान वितरण प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है, ताकि सरकार द्वारा उस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी सुविचारित राय तथा सिफारिशें जानी जा सकें

(ख) साथ ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस बात के लिए कई उपाय किये हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुएं आम आदमी को उचित मूल्यों पर आसानी से मिलें ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि के निवेश के लिये रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नीति

729. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की राक्षत निधि के निवेश के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाती है ;

(ख) उक्त नीति के अनुसार किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1977 तक कितना ब्याज हुआ और प्राप्त किये गये ब्याज की औसत दर क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेशी मुद्रा के निवेश के बारे में रिजर्व बैंक रकमों की सुरक्षा, उनकी तरलता और उनसे होने वाली आय का ध्यान रखता है।

(ख) केन्द्रीय बैंकों में प्रचलित रीति और प्रथा के अनुसार मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती और ऐसा बताना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) 6.10 प्रतिशत की औसत दर पर 31 दिसम्बर, 1977 तक समाप्त छमाही में ब्याज से 141.04 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त हुई थी ।

रुपये में भुगतान वाले देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में फेरबदल करने का प्रस्ताव

730. **श्री दुर्गा चन्द्र :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में इस आशय का एक वक्तव्य दिया है कि सरकार का विचार रुपये में भुगतान करने वाले देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में फेरबदल करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) रुपये में भुगतान करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1978 में प्रत्येक देश के साथ किये गये व्यापार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) रुपया भुगतान वाले देशों में, सरकार ने यूगोस्लाविया तथा हंगरी के मामले में, द्विपक्षीय अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान की द्विपक्षीय व्यापार प्रणाली को बदलकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कर दिया है जिसमें मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है। कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य तथा पोलैंड के मामले में भी यह परिवर्तन क्रमश: 1-3-78 तथा 1-1-1981 से करने का प्रस्ताव है ।

(ग) वर्तमान समय में सोवियत संघ, बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, पोलैंड, रुमानिया तथा कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार द्विपक्षीय आधार पर किया जाता है, जिसमें भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाता है।

(घ) वर्ष 1978 के दौरान उपरोक्त में से प्रत्येक देश के साथ किये गये व्यापार के ब्यौरे वर्ष की समाप्ति पर ही मालूम हो सकेंगे ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये कार्यवाही

731. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान राजधानी में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्य किस सीमा तक रोके गये हैं ;

(ग) इस बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) गत छः महीनों के दौरान, महीनेवार, और वस्तुवार, राजधानी में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने चालू वर्ष में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय किए है। इनमें जो महत्वपूर्ण हैं वे नीचे दिये गये हैं :—

(i) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली (अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं का मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन) आदेश, 1977 को प्रख्यापित किया है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य प्रदर्शित करने हैं ।

(ii) दिल्ली आवश्यक वस्तु (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियत कर दिए गए हैं ।

(iii) व्यापारियों द्वारा जमा किए जाने वाले तिलहनों, खाद्य तेलों, जिनमें वनस्पति भी शामिल है, तथा दालों के स्टाक पर रोक लगाने के लिए स्टाक सीमा नियंत्रण आदेश प्रख्यापित किया गया है।

(iv) आयुक्त, खाद्य तथा सिविल पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन के कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए छापे मारे गए कि व्यापारी विभिन्न कानूनी आदेशों के उपबन्धों का पालन करें और बेईमानी न करें।

(v) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिये एक बाजार आसूचना सेल की स्थापना की गई है।

(vi) चुने सहकारी भण्डारों के माध्यम से दालों, गैर लेवी चीनी, प्याज, आलू, चाय, परिष्कृत रेपसीड तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था की गई।

(vii) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली अनाज की मात्रा 6 कि० ग्रा० से बढ़ाकर 10 कि० ग्रा० प्रति यूनिट प्रतिमाह की गयी है।

(ख) इन उपायों के फलस्वरूप कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर न केवल रोक ही लगी है, अपितु उनमें से कुछों के मूल्य पिछले छः महीनों में वस्तुतः घटे भी है। ब्यौरा अनुबन्ध -I में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 1600/78]।

(ग) इस संबंध में लगातार सतर्कता बरती जा रही है और जब भी आवश्यक होगा और सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे ।

(घ) महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं के बारे में ब्यौरा अनुबध-I में दिया गया है।

देश में काम कर रही ट्रेवल एजेंसियां

732. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक "ट्रेबल एजेंसियाँ" काम कर रही हैं,

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि ये ट्रैवल एजेंसियां ऐसे काम कर रही है जो यात्रियों के हित में नहीं हैं

(घ) क्या यह सच है कि ये ट्रैवल एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके हेराफेरी करने के कारण बहुत धन अर्जित कर रही हैं ; और

(ङ) यदि हां तो क्या सरकार का इन एजेंसियो पर कोई नियंत्रण है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन एजेंसियों को सरकारी नियंत्रण में लाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग के अनुमोदित सूची पर ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 119 है इन एजेंसियों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : पर्यटन विभाग को अपनी अनुमोदित सूची वाली ट्रैवल एजेंसियों द्वारा किए गए किसी सम्पत्ति संबंधी घोटालों या हेरा-फेरियों के बारे म कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) अनुमोदित ट्रैवल एजेंसियों को अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करनी पड़ती हैं जिनम लेखा-परीक्षा किए गए लाभ/हानि के विवरण, विदेशी मुद्रा सहित अपनी आय संबंधी सूचना, आय-कर, क्लीयरेंस सर्टीफिकेट, हैंडल किए गए पर्यटकों की संख्या आदि सम्मिलित होते हैं। यदि किसी ट्रैवल एजेंसी द्वारा घोटाले करने का पता चल जाता है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाती है। इससे वे सरकारी अनुमोदन के कारण मिलने वाले ऐसे लाभों से वंचित हो जाएंगे, जैसे विदेशों में यात्रा एवं पर्यटन प्रोत्साहन के लिए विदेशी मुद्रा, टिकटों की बिक्री पर कमीशन लेने के लिए रेलवे की मान्यता, टेलीफोन तथा टेलेक्स कनैक्शन लेने के लिए प्राथमिकता, व्यापार का प्रचार करने के लिए विदेशी टूर आपरेटरों/ट्रैवल एजेंसियों के साथ सम्पर्क तथा इस प्रयोजन के लिए विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों की सहायता, आदि आदि।

विवरण

केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में अनुमोदित ट्रेवल एजेंसियों की संख्या

राज्य	अनुमोदित ट्रैवल एजेंसियों की संख्या
(1) आसाम	1
(2) आंध्र प्रदेश	4
(3) गोआ	1
(4) गुजरात	7
(5) जम्मू व काश्मीर	3
(6) कर्नाटक	6
(7) केरला	7
(8) मध्य प्रदेश	1
(9) महाराष्ट्र	29
(10) नई दिल्ली	25
(11) राजस्थान	1
(12) तमिलनाडु	14
(13) उत्तर प्रदेश	2
(14) पश्चिमी बंगाल	18
योग	119

उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात न करने संबंधी एक योजना का बनाया जाना

733. श्री दुर्गा चन्द : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन उपभोक्ता वस्तुओं का, जो घरेलू खपत के लिये अत्यन्त जरूरी हैं निर्यात न करने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं कौन-कौन सी है जिन्हें वर्ष 1978 के दौरान निर्यात की प्रतिबंधित सूची में रखने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, निर्यात नीति तैयार करते समय घरेलू खपत विशेषकर आम खपत की मदों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना सरकार की नीति है। ऐसे निर्यातों को विनियमित करते समय प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को आयकर से छूट

734. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने से छूट देने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक राजनीतिक दल, कार्मिक संघ और युवा संघ के नाम आयकर, धन कर आदि की कितनी राशि बकाया पड़ी है ; और

(घ) उसको वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जुलफिल्कार उल्लाह) : (क) और (ख) जो राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन भारतीय चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं अथवा पंजीकृत समझे जाते हैं। उन्हें (चल और अचल दोनों सम्पत्तियों में) अपने निवेशों से प्राप्त होने वाली आय और गैर-सदस्यों से मिलने वाली दान की रकमों के जरिए होने वाली आय के सम्बन्ध में आय-कर से छूट देने के लिए सरकार का कानून बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित छूट केवल उसी राजनीतिक दल को मिलेगी जो उचित लेखा-पुस्तकें रखता है और अपने वार्षिक लेखों की किसी चार्टर्ड लेखाकार से अथवा अन्य योग्य लेखाकार से लेखा-परीक्षा करवाता है।

(ग) और (घ) यह सूचना आयकर आयुक्तों से एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

रुपये पर आधारित व्यापार के स्थान पर पूरी तरह से परिवर्तनीय चलार्थों पर आधारित व्यापार करने का प्रस्ताव

735. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक समाजवादी देशों में रुपये पर आधारित व्यापार के स्थान पर पूरी तरह से परिवर्तनीय चलाथों पर आधारित व्यापार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रत्येक समाजवादी देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) समाजवादी देशों में युगोस्लाविया और हंगरी के मामले में सरकार ने अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान की द्विपक्षीय व्यापार की प्रणाली को बदलकर मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में कर दिया है। कोरिया के लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य तथा पोलैंड के मामले में यह परिवर्तन क्रमश: 1-3-78 और 1-1-1981 से करने का प्रस्ताव है।

(ख) उपरोक्त परिवर्तन पर संबंधित विदेशों की स्वीकृति ले ली गई है।

चाय बागान मालिकों से अभ्यावेदन

736. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय बागान मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में विदेशों को चाय के निर्यात की मात्रा चाय का निर्यात करने वाले अन्य देशों की तुलना में आनुपातिक रूप में कम हो रही है ;

(घ) देश में चाय के अधिक निर्यात तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार घरेलू खपत हेतु चाय के मूल्य में कमी करने का है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों और साथ ही चाय एस्टेटों के अलग-अलग मालिकों से विभिन्न विषयों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। अभ्यावेदन के विशेष रूप से उल्लेख किये जाने पर इन ब्यौरों को देना कठिन होगा।

(ग) जी नहीं। कुल विश्व निर्यातों में भारत का भाग 1973 में जो 27.1 प्रतिशत था वह बढ़कर 1976 में 29.8 प्रतिशत हो गया है।

(घ) सरकार की वर्तमान नीति घरेलू मांग को पूरा करने के बाद ही निर्यात को प्रोत्साहन देने का है। चाय बोर्ड इस नीति के अन्तर्गत ही विभिन्न देश में भारतीय चाय के लिये संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) स्थानीय पैकरों के सहयोग से विदेशी बाजारों में प्रमुख रूप से भारतीय पैकों का प्रचलन ;

(2) विदेशों में व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(3) विदेशों से भारत को चाय आयातकों की यात्राएं साथ ही भारतीय चाय के लिये विज्ञापनों द्वारा प्रचार ;

(4) अन्य निर्यातक देश और सम्बन्धित देशों के चाय व्यापारियों के सहयोग से विभिन्न देशों में स्थापित चाय परिषदों के जरिए पेय पदार्थ के रूप में चाय की कुल खपत बढ़ाने के लिये चाय का सामान्य संवर्धन।

(5) विभिन्न रूपों में भारतीय चाय के निर्यात बढ़ाने के लिये सरकारी क्षेत्र में भारतीय चाय व्यापार निगम नामक एक संगठन स्थापित किया गया है।

जहां तक चाय उद्योग के विकास का संबंध है, चाय बोर्ड चाय क्षेत्रों के विस्तार, पौध बदलने और पुनरोपण के लिये रोपण वित्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देकर, मशीनरी, सिंचाई उपकरण और गाड़ियों की खरीद के लिये किराया खरीद सुविधाएं देकर, साथ ही पुराने चाय क्षेत्रों के पुनरोपण अथवा जीर्णोद्धार के लिये उपदान देकर चाय उद्योग के विकास और वृद्धि में सहायता देता रहा है।

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये सचेत है कि घरेलू खपत के लिए चाय की कीमतें उचित स्तरों पर बनी रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये घरेलू खपत के लिये चाय की कीमतें कम करने की दृष्टि से सरकार ने कई उपाय किये हैं। जिनमें ये सम्मिलित हैं, चाय के उत्पादन में वृद्धि, चाय पर निर्यात शुल्क का लगाया जाना तथा निर्यात प्रोत्साहनों का समाप्त किया जाना, सार्वजनिक नीलामियों द्वारा अधिक मात्रा में चाय की बिक्री, पैकेट चाय की खुदरा कीमतों का अनौपचारिक विनियमन आदि। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लि० (नाफेड) की दुकानों के जरिए चाय के वितरण की व्यवस्था के लिये भी उपाय किये गये हैं।

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा बोनस संबधी मांग

737. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयरलाइंस कारपोरेशन इम्पलाइज़ यूनियन और इंडियन एयर-क्राफ्ट टेकनीशियनज एसोसियेशन ने 12 अक्तूबर, को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी और 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी।

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के विशध में नियमानुसार काम करना शुरु कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुशोत्तम कौशिक) : (क) जो, नहीं (ख) और (ग) एयर कारपोरेशन (इम्पलाइज़ यूनियन और इंडियन एयर क्राफ्ट टैकनीशियन्स एसोसियेशन) के नेतृत्व में कर्मचारियों के कुछ वर्ग 20 प्रतिशत की दर से अनुग्रह अनुदान (एक्सग्रेशिया पेमैंट) की मांग को लेकर 22 सितम्बर, 1977 से 3 नवम्बर, 1977 तक नियमानुसार-कार्य आंदोलन पर रहे थे। कई दौरों में यूनियनों के साथ की गई बातचीत के बाद उक्त आंदोलन 3 नवम्बर, 1977 को बन्द कर दिया गया। यह तय किया गया कि उत्पादता से संबद्ध फार्मूले के लिये किसी निश्चित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिये यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधक-वर्ग के बीच संयुक्त बैठकें की जायें। बातचीत जारी है। तथापि यूनियनें इस बीच 8.33 प्रतिशत की दर से अनुग्रह अनुदान लेने पर सहमत हो गयी हैं।

खाद्य तेल निगम की स्थापना

738. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या सरकार ने अखाद्य तेलों के व्यापार को इस ढंग से सरणीबद्ध करने की संभावना पर भी विचार किया है कि उनके मूल्य तथा उनसे बनने वाले सामान्य उपयोग के उत्पाद नियंत्रित रहे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) व (ख) खाद्य तेलों और तिलहनों के लिये एक राष्ट्र भारतीय निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) इस समय अरण्डी के तेल का निर्यात और मटन टैलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

बंबई के बैंकों और डाकखानों में राष्ट्रीय विकास बांडों का उपलब्ध न होना

739. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई के बैंकों और डाकखानों में राष्ट्रीय विकास बांड उपलब्ध नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन बांडों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं; राष्ट्रीय विकास बांड अब बंबई के सभी डाकघर और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध हैं।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय विकास बांड का प्रचार करने के लिए सभी उपलब्ध प्रचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय जो अब तक अपनाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) **समाचार पत्रों में प्रचार** : सितम्बर, 1977 से विभिन्न भाषाओं के कुछ चुने हुए समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये गये हैं। विज्ञापन समय समय पर दिये जाते रहेंगे।

(2) **प्रकाशित सामग्री** : बांड के नियमों को अंग्रेजी और हिंदी में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है और इसकी प्रतियां डाकघरों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मुहैया कर दी गयी ।

(3) **रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार** : अक्तूबर, 1977 से हिंदी और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में 30 सैकेण्ड का रेडियों प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ ही 30 सैकेण्ड का एक संगीत प्रसारण भी जल्दी ही प्रसारित (रेडियों और दूरदर्शन दोनों में किये जाने की संभावना है।

बाहरी प्रचार साधन : बांड के संबंध में खेल प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, मेलों आदि में प्रचार पट्ट लगाये गये डाकघरों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख रूप से प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी और हिंदी में पी० बी० सी० स्टिकरों की 50,000 प्रतियां तैयार की गयी हैं। बांडों पर प्रचार सिनेमा स्लाइडों और डाक सामग्री (अंतर्देशीय पत्र) पर विज्ञापन देकर भी किया जायगा।

प्रचार उपायों की निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि इन्हें तेज किया जा सके और इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

पालिस्टर घोटाला

740. डा० बापू कालदाते : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 20-1-1978 के "बिजनेस 'स्टैन्डर्ड" कलकत्ता में प्रकाशित "पालिस्टर स्कैन्डल" सम्पादकीय देखा है ;

(ख) यदि हां, तो पालिस्टर आयात में ढील देने के क्या कारण है ;

(ग) आदेश बदल जाने के क्या विविध प्रभाव होंगे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस वस्तु की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस की सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से उदार आयात नीति अपनाई गई थी। नीति संबंधी इन उपायों से इस वस्तु की बाजार कीमत कम करने में तथा उसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को और अधिक आसानी से उपलब्ध कराने में सहायता मिली हैं।

विदेशों से प्राप्त बड़े मूल्य के विमुद्रीकृत नोट

741. श्री पी० के० कांडियान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सरकारों को अधिक मूल्य के विमुद्रीकृत नोट सौंपने के प्रयोजन के लिये भारत में भेजने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई समय सीमा रखी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक देश से सरकार को अब तक कुल कितने मूल्य के नोट प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख) और (ग) सरकार, विशेष स्थिति में, ऊंचे मूल्य वाले 40,000.00 रुपए मूल्य के नोट नैपाल से तथा 2,79,000.00 रुपए मूल्य के नोट भूटान से बदलने के लिए सहमत हो गई है।

स्वतंत्र दुर्घटना जांच आयोग

742. श्री पी० के० कोडियान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र दुर्घटना जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल में सहायता देने और विमान यात्रा सुरक्षा के बारे में सलाह देने के लिये एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में गठित की गयी नागर विमानन पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने के कार्यों का उत्तरदायित्व अब नागर विमानन के महानिदेशक का नहीं होना चाहिए बल्कि इसे पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत गठित एक दुर्घटना जांच आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। परन्तु, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी तो उसके पास करने के लिए बहुत ही थोड़ा काम होगा और क्योंकि बड़ी बड़ी घातक दुर्घटनाओं के मामले में सामान्यतया किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत नियुक्त की जाती है, अतः नागर विमानन मंत्रालय में एक पृथक आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) मामला विचाराधीन है।

चीनी मिलों के ऋण इक्विटी पूंजी अनुपात के नियमों में छूट

743. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण और पुनःस्थापन करने वाली चीनी मिलों के लिए ऋण-इक्विटी पूंजी अनुपात के बारे में नियमों में छूट देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख) सामान्यतः चीनी मिलों के विस्तार के लिए दिये गए औद्योगिक लाइसेंस म यह शर्त लगा दी जाती है कि योजना की समाप्ति पर ऋण साम्या का अनुपात 1:1 तक रखा जाए ताकि संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाली ऋण सहायता को सीमित रखा जा सके। तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने वाली संस्था योजना में पूंजी लगाने के लिए अपने साधनों में से पर्याप्त योगदान करे। यह अनभव किया गया है कि देसी चीनी मिलों का ,जो आधुनिकीकरण पुनर्वासन की योजना रखती है ऋण स्वीकृत करने के लिए एकउदार नीति अपनाई जाए, अन्यथा वे रुग्ण हो जायगी इसलिए, भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन चीनी मिलों के आधुनिकीकरण / पुनर्वासन के मामलों में ऋण और साम्या में 1:1 का अनुपात रखने के लिए आग्रह न किया जाए जिनका विस्तार अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित आसान शर्तों पर ऋण की योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण/ पुनर्वासन के लिये दियें गयें ऋणों की शर्तों के अनुसार किया जाये।

साधारण विस्तार के मामलों में ऋण साम्या में 1:1 के अनुपात की उच्चतम सीमा लागू है तथा ऐसे मामलों में ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि ऋणों की स्वीकृति से पहले, कम्पनी के साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

फैडरेल बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम में अनियमित लेन-देन

744. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में की गई रिजर्व बैंक की एक जांच के दौरान ऐसे अनियमित लेन-देन प्रकाश में आए जिनमें फेडेरल बैंक लिमिटेड , त्रिवेन्द्रम के कुछ अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) दिनांक 21 जनवरी, 1978 के ब्लिट्ज में छपे "फैडरल बैंक में गड़बड़ी की जांच" शीर्षक एक लेख में फैडरल बैंक लि०, त्रिवेन्द्रम के कर्मचारियों पर अनियमित कारोबार के कुछ आरोप लगाये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस लेख में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

एयर इंडिया के जम्बो जेट "एम्परर अशोक" की दुर्घटना में मृतकों की संख्या तथा मृतक के प्रत्येक परिवार को दिया गया मुआवजा

745. **श्री के० मालन्ना-**
श्री अहमद एम० पटेल
श्री शिव सम्पत्ति राम } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया जम्बो "एम्परर अशोक" नये वर्ष 1978 की पूर्व संध्या को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा मृतकों में से प्रत्येक के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) एयर इंडिया का बोइंग-747 विमान एम्परर अशोक वीटी-ईबीडी बम्बई-दुबई उड़ान संख्या ए० आई०-855 का परिचालन करता हुआ 1 जनवरी, 1978 को बम्बई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 213 व्यक्ति मारे गये, (जिनमें 23 विमान कर्मी भी शामिल थे)। 17 फरवरी, 1978 तक दिये गये मुआवज़े तथा दुर्घटना के कारण उठायी गयी कुल हानि के ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1601/78।]

DEVELOPMENT OF PLACES IN RAJASTHAN AS TOURIST CENTRES

746. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Central Government or State Government have conducted any survey in order to develop places at Samor and Deeg situated in Jaipur and Bharatpur Districts respectively: and

(b) other places in Rajasthan which Central or the State Government propose to develop as Tourist Centres ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) & (b) The Central Department of Tourism, at the request of the Government of Rajasthan, had appointed a Central Survey Team in 1976 to survey the tourism potential of Rajasthan. The team consisted of the representatives of Central and State Departments of Tourism; Air India, India Tourism Development Corporation; Indian Airlines and the Travel Agents Association of India. Its report of the Development and Promotion

of Tourism in Rajasthan was submitted to the State Government in November, 1976. Places of interest recommended for tourism development in the Report are : (i) Udaipur, (ii) Jodhpur, (iii) Jaisalmer, (iv) Bharatpur and Deeg, (v) Bikaner, (vi) Ajmer, (vii) Jaipur, (viii) Dholpur, (ix) Samor and (x) Excursion spots near these centres.

The State Government has already initiated action on some of the recommendations contained in the Report.

The Development of tourist facilities at the centres mentioned above and at other places will depend upon the resources that will be made available for the tourism sector in the next Five Year Plan (1978–83) in the Central and State sectors.

राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गयी 'अन्तोदय' योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों का सहयोग

747. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा गांव के सबसे अधिक गरीब पांच परिवारों के उत्थान हेतु बनाई गई 'अन्तोदय' योजना को क्रियान्वित करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना पूरा सहयोग नहीं दिया है हालांकि इस बारे में जिलाधीशों ने बारबार मौखिक और लिखित अनुरोध किया था ; और

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले में किस-किस बैंक ने कितनी-कितनी राशि कितने व्यक्तियों को ऋण स्वरूप दी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सरकार ने सूचित किया है कि बैंक, राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अन्तोदय योजना को पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ बकों द्वारा (जिनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है) अभी तक सहायता किये गये व्यक्तियों की संख्या और स्वीकृत की गई राशि के बारे में आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1602/78।]

1978 में हुई विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच

748. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये वर्ष अर्थात् 1978 में कई विमान दुर्घटनायें हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं ;

(ग) कुल कितनी क्षति हुई ;

(घ) क्या कुछ मामलों में तोड़फोड़ का संदेह किया गया; और

(ङ) क्या सभी मामलों में जांच कार्यवाही की गयी है और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वर्ष 1978 के दौरान (15 फरवरी, 1978 तक) दो विमान दुर्घटनाएं हुईं ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) इन दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है ।

विवरण

1 जनवरी, 1978 को बम्बई के निकट एयर इंडिया इंडिया के बोइंग-747 विमान वी० टी० ई० बी० डी० की दुर्घटना के कारण हुई कुल हानि :—

	रुपए
1. विमान की हानि (विमान मार्च, 1971 में खरीदा गया था तथा 1 जनवरी, 1978 को इसका ह्रासित मूल्य 12.36 करोड़ रुपए था;	12,36,00,000
2. आश्रितों—परिवारों के सदस्यों को देय मुआवजा (अनुमानतः);	2,75,00.000
3. कार्गो की हानि के लिए देय मुआवजा (अनुमानतः) ;	35,00,000
4. एयरमेल बैगों की हानि के लिए देय मुआवजा (अनुमानत :) ।	5, 00,000
कुल हानि	15,51,00, 000

उपर्युक्त समस्त हानि की प्रतिपूर्ति बीमाकर्ताओं से की जानी है ।

2. 12 जनवरी, 1978 को हैदराबाद विमान क्षेत्र पर इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान वी० टी० ई० एस० एल० की दुर्घटना के कारण हुई कुल हानि :

विमान को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

अमरीका के व्यापार दल के साथ बातचीत

749. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों सहित कुछ वस्तुओं पर अमरीका द्वारा शुल्क बराबर किये जाने पर भारत की चिंता अमरीकी प्रतिनिधिमंडल को उस समय बता दी गई थी थी जब 30 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच व्यापार के बारे में विचार विमर्श हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पक्ष की ओर से इस्पात तार की लड़ों से संबंधित एन्टी-डम्पिंग केस, औद्योगिक फासनरों से सम्बन्धित आयात-राहत का मामला और इस्पात उत्पादों के लिये "ट्रगर प्राइस मेकेनिज्म" का मामला उठाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ;

(घ) अमरीका के व्यापार दल के साथ किन अन्य बातों पर चर्चा हुई थी ; और

(ङ) क्या कोई समझौता किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) : अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 30-31 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परामर्श किया। इन परामर्शों का प्रयोजन, जनेवा में हुई बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से सम्बन्धित विभिन्न मसलों पर विचारों का आदान प्रदान करना था। भारतीय पक्ष ने इस अवसर का फायदा उठा कर संरक्षण सम्बन्धी उन उपायों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की जिन पर अमरीकी प्राधिकारी इस समय विचार कर रहे हैं। इनका उल्लेख किया गया औद्योगिक फासनरों पर टैरिफ बढ़ाने के सम्बन्ध में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की सिफारिश, तार की लड़ों, वस्त्र मिलों के उत्पादों तथा पुरुषों व लड़कों के परिधानों पर डम्पिंग रोधी और प्रतिकारी शुल्क लगाने पर विचार करने के लिए अमरीका के ट्रेजर विभाग द्वारा की गई जांच, और अमरीका में चुनिन्दा इस्पाती उत्पादों के आयात के लिये मोचक कीमत व्यवस्था आरम्भ करने के बारे में अमरीका के ट्रेजरी विभाग का निर्णय ताकि डम्पिंग रोधी जांच की प्रक्रिया छोटी बनाई जा सके।

अमरीकी अधिकारियों ने अमरीका के उपर्युक्त प्राधिकारियों को भारत सरकार की इस चिन्ता से अवगत कराना स्वीकार किया। उसके बाद हमें पता चला है कि औद्योगिक फासनरों के सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति ने टैरिफ बढ़ाने के सम्बन्ध में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। तार की लड़ों तथा वस्त्र मिलों के उत्पादों पर डम्पिंग रोधी तथा प्रतिकारी शुल्कों के सम्बन्ध में जांच चल रही है।

बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से सम्बन्धित सामान्य विषयों पर विचार विमर्श करते समय दोनों पक्षों ने विश्व व्यापी व्यापार को उदार बनाए रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में विकासशील देश पूरी तरह भाग ले सकें। अमरीकी पक्ष ने इन वार्ताओं को शीघ्र तथा सफलतापूर्वक पूरा करने के अपने प्रस्ताव पर भारत का समर्थन मांगा। इस सम्बन्ध में उनकी पहल का समर्थन करते समय भारतीय पक्ष ने अमरीकी सरकार से आग्रह किया कि वह उष्णकटिबंधीय उत्पादों पर टैरिफ रियायतों के सम्बन्ध में अपने आफरों पर अमल करें। विचार विमर्श के अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

विदेशों में अवैध जमा राशियों के बारे में जांच

750. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो द्वारा दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में अवैध जमा राशियों का पता लगाने के संबंध में किये गये जांच और प्रयत्नों से कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों तथा ऐसे अवैध सौदों की कितनी राशि का पता लगा है तथा कितनी पार्टियों से ; और

(ग) सरकार का विचार उक्त मामलों में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) प्रवर्तन निदेशालय तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये जांच कार्य और प्रयत्नों के कारण, विदेशों में जमा अवैध रकमों का पता चला है।

(ख) तथा (ग) इस प्रकार के मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होती है अन्य अन्तर्ग्रस्त आर्थिक अपराधों के मामले में भी कार्यवाही की जाती है। इस तरह के मामलों के बारे में सांख्यिकीय ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधी नगर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं आपका ध्यान कल के वाद-विवाद के पृष्ठ 1371 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने इस सभा में यह निर्णय दिया है कि जहां तक प्रश्नकाल का सम्बन्ध है, यह व्यावहारिक नहीं है; 18 भाषाओं में रूपान्तर करना सम्भव नहीं है।"

यहां तक तो ठीक है। परन्तु आपने यह भी कहा है :

"वाद-विवाद के दौरान हमने सभी भाषाओं में रूपान्तर की व्यवस्था की है।"

मेरे विचार में आपकी बात गलत रूप से प्रकाशित की गई है। यदि यह वाद-विवाद में जाता है तो कठिनाई होगी। आप इसमें शुद्धि कर सकते हैं। अन्यथा गलत धारणा पैदा हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल कुछ भाषाओं में कहा है। फिर भी इसमें शुद्धि कर ली जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1978 और तम्बाकू बोर्ड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) श्री आरिफ बेग की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 139 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1569/78]

(2) तम्बाकू बोर्ड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1570/78]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 जो दिनांक 21 नवम्बर, 1977 (अंग्रेजी संस्करण) और 10 दिसम्बर, 1977 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 780 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) परिष्कृत मूंगफली तेल (परिष्करण और मूल्य विनियमन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1978 जो दिनांक 19 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 25(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) सां० आ० 59 (ङ) जो दिनांक 2 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सरसों तेल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977 रद्द किया गया है।

(4) दालें, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 जो दिनांक 4 फरवरी, 1978 (अंग्रेजी संस्करण) और 11 फरवरी, 1978 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 64(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1571-78]

राष्ट्रीय विकास बोण्ड (संशोधन) नियम, 1977

जीवन बीमा निगम का 11वां मूल्यांकन प्रतिवेदन (31 मार्च, 1977 को) और अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० आ० 4062 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1572/78]

(2) भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय सिक्का नियम, 1975 (विकासोन्मुख सिक्के, 1975) जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4063 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय सिक्का नियम, 1976 (विकासोन्मुख सिक्के, 1976) जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1721 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सिक्का (विकास के लिए बचाइये अभियान के अन्तर्गत ढाले गए 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के भार और इनके गुणों की सीमा) नियम, 1977 जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1999 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1573/78]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (28वां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1695 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (29वां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 772 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 10 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 27 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 25 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1574/78]

(4) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास बोण्ड (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 725 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1575-78]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 785 (ङ) से 789(ङ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 4(ङ) जो दिनांक 4 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 33 (ङ) जो दिनांक 13 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 51 (ङ) और 55(ङ) जो दिनांक 30 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 59 (ङ) जो दिनांक 31 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 60 (ङ) और 61(ङ) जो दिनांक 31 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 72 (ङ) जो दिनांक 9 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 74 (ङ) जो दिनांक 16 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1576/78]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1739 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 30 (ङ) जो दिनांक 13 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 76 जो दिनांक 14 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 34(ङ) और 35(ङ) जो दिनांक 17 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 52 (ङ) जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 179 जो दिनांक 28 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 63 (ङ) जो दिनांक 3 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 65 (ङ) से 67(ङ) जो दिनांक 4 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 240 जो दिनांक 11 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1577/78]

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम का ग्यारहवां मूल्यांकन प्रतिवेदन (31 मार्च, 1977 को हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1578/78]

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3973 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3974 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पण्डयान ग्राम बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3975 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3976 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3977 में प्रकशित हुए थे।

(छ) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3978 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) संथाल परगना ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3979 में प्रकाशित हुये थे।

(आठ) हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1977 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3980 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 1578/78]

सिडनी में हुई राष्ट्रमंडलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

STATEMENT BY PRIME MINISTER RE. HIS PARTICIPATION IN THE COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENTS REGIONAL MEETING HELD AT SYDNEY.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों की बैठक से मैं 17 फरवरी को लौटा हूं, जो सिडनी में पहली बार हुई।

इस सम्मेलन की बुलाने की महल पिछले साल जून में लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री श्री फ्रेज़र ने दी थी। उस वक्त भी मैंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था, क्योंकि छोटी-छोटी क्षेत्रीय बैठकें कई क्षेत्रों में और खासकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की योजनाओं को प्रारम्भ करने और उन्हें गति प्रदान करने में ज्यादा फायदेमन्द तथा कारगर साबित हो सकेंगी ऐसा मेरा विश्वास था। हमें यह देखकर खुशी हुई कि इस क्षेत्र के सभी बारह देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सिडनी सम्मेलन में हिस्सा लिया। मेरे साथ एक प्रतिनिधिमण्डल गया था जिसमें विदेश मन्त्री भी शामिल थे।

भारत की दृष्टि में इस सम्मेलन से एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के नेताओं को, जिनमें से कुछ नौरु, पश्चिम समोआ और टोंगा जैसे छोटे-छोटे देशों से आए थे और जिनके साथ हमारे नजदीकी सम्बन्ध नहीं थे उनकी भी एक दूसरे के करीब लाने में बहुत मदद मिली। इस सम्मेलन में मुझे बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउररहमान, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्दन, फिजी के प्रधान मंत्री राटू सर कामसीसे मारा सिंगापुर के प्रधान मन्त्री ली कुआं यू, मलयेशिया के प्रधान मन्त्री हुसेन ओन, न्यूजीलैण्ड के प्रधान मन्त्री मुलदून, तथा प्रधान मन्त्री फ्रेज़र के साथ भी जो मेज़बान के रूप में अध्यक्षपद पर मौजूद थे, अपने सम्बन्धों को नया रूप देने का एक सुन्दर अवसर मिला।

हालांकि जहां सम्मेलन हुआ उस जगह पर आतंक फैला कर सम्मेलन को भंग करने का दुःखद प्रयास किया गया था, परन्तु सर्वसम्मति से सम्मेलन का कार्यक्रम चलता रहा। प्रतिनिधिमण्डलों को तोड़-फोड़ के खतरों से बचाने के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने हर संभव प्रयास किए। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने उनकी व्यवस्था तथा आतिथ्य-सत्कार की सराहना की। इस वक्तव्य के ज़रिये में भी आस्ट्रेलिया के मेज़बानों को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

नियमित और अनौपचारिक विचार-विमर्शों के दौरान हमने कई मसलों पर बातचीत की, जिसका उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है और जो हमारे मौलिक विचारों तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। इसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आतंक, निरस्त्रीकरण, हिन्द महासागर, दक्षिण अफ्रीका तथा मध्य-पूर्वी देशों से सम्बन्धित प्रश्न शामिल थे। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों, संरक्षणवाद का खतरा तथा स्वतन्त्र व्यापार, वस्तुओं तथा सामान्य निधि, औद्योगिक विकास में वृद्धि के उपायों की आवश्यकता, ऋण भारों, ऊर्जा, मानव साधनों, अनाज उत्पादन तथा ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय आर्थिक तथा व्यावहारिक सहयोग के लिए, दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने तथा छोटे द्वीप राज्यों की विशेष समस्याओं को तय करने के लिए योजनाओं और सम्भावनाओं पर खास ज़ोर दिया गया।

इस सम्मेलन में व्यापार तथा ऊर्जा पर दो परामर्शदात्र ग्रुप और आतंक तथा अवैध औषधों पर दो कार्यकारी ग्रुप स्थापित करने का फैसला किया गया। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ पत्र और इस बारे में मेरे द्वारा बहस शुरु करने से अन्य देशों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली जिसके फलस्वरूप ऊर्जा पर स्थापित ग्रुप का समन्वय

करने का काम भारत को सौंपा गया। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि छोटे राज्यों की मदद के लिए विशेष राष्ट्रमण्डलीय कार्यक्रम आगे विचार के लिए प्रस्तुत किए जायें।

जैसा कि प्रैस में घोषणा की गई है भारत से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि हमने 1980 में अगली क्षेत्रीय बैठक दिल्ली में बुलाना स्वीकार कर लिया है। यह अनुरोध विभिन्न सदस्य देशों के सुझाव पर दिया गया। इस क्षेत्र के देशों में भारत के प्रति जो आदर है तथा उनके साथ कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मज़बूत बनाने की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए संतोष मिला। भारत की विविधता तथा इसके विकासात्मक अनुभव की सीमा को अब विभिन्न विकासशील देशों के लिए विकास की संगत पद्धतियों के रूप में माना जाने लगा है। इस बैठक से मैं इन देशों में अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिला सका हूं कि आर्थिक विविधता और विकास के मुश्किल काम में हमने जो ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें बांटने में भारत को खुशी होगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि सिडनी में हुई बैठक बहुत लाभदायक रही क्योंकि यह क्षेत्रीय तथा व्यावहारिक दोनों थी। यह मंच क्षेत्री सहयोग की अन्य एजेन्सियों जैसे एसकैप तथा एशियन में शामिल नहीं है अथवा नहीं उनका विकल्प है। ग्रुप की नमनशीलता तथा अनौपचारिकता से एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्धों का विकास करने का एक उपयुक्त ढांचा मिलेगा ऐसी आशा है। हम उन अनुवर्ती उपायों में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देंगे, जिनकी योजना कार्यकारी दलों द्वारा तैयार की गई है, ताकि 1980 में दिल्ली में होने वाली बैठक सिडनी से अधिक सफल हो।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्दिष्ट–आंग्ल भारतीय) : आपने मिडिल ईस्ट कहा है। क्या आपका अर्थ वेस्ट एशिया से है?

श्री मोरारजी देसाई : मेरा अर्थ दोनों से है।

आकाशवाणी द्वारा सदन की कार्यवाही के समाचार के प्रसारण के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : AIR's REPORTING OF HOUSE PROCEEDINGS

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को स्मरण होगा कि 21 फरवरी, 1978 को रेल मन्त्री के बजट भाषण शुरू करते समय श्री मनीराम बागड़ी समेत कुछ सदस्यों ने मन्त्री महोदय से हिन्दी में बोलने का अनुरोध किया था। दूसरी ओर के सदस्यों ने इसका विरोध किया और तब मैंने कहा था कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोलने की अनुमति है। इस अवसर पर प्रधान मन्त्री ने हस्तक्षेप किया और सत्ताधारी दल के सदस्यों से अपना स्थान लेने और सदन में ऐसी बात न उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से भी सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा न करने को कहा।

22 फरवरी, 1978 को श्री मनीराम बागड़ी ने 21 फरवरी की रात 8.45 के हिन्दी समाचार प्रसारण की ओर मेरा ध्यान खींचा जिसमें कहा गया था कि प्रधान मन्त्री ने श्री बागड़ी को डांटा। श्री बागड़ी ने अनुरोध किया है कि सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी की ओर से यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण दें।

सूचना और प्रसारण मन्त्री ने जिन्हें इसकी सूचना दे दी गई थी, 23 फरवरी के अपने उत्तर में बताया है "आकाशवाणी के समाचार सेवा निदेशक ने मुझे (मन्त्री को) बताया है कि आकाशवाणी के संवाददाता को अधिक सतर्क होना चाहिए था, परन्तु 'समाचार' ने भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है इससे पता चलता है कि वह सदन का सही चित्र पेश करना चाहता था। क्योंकि संवाददाता या सम्पादक को किसी भी सदस्य का अपमान करने की इच्छा नहीं थी इसलिए आशा है सदस्य संवाददाता के इस कार्य के प्रति उदार रुख अपनायेंगे। आकाशवाणी श्री बागड़ी समेत सभी सदस्यों का मान करती है। उन्हें या किसी अन्य सदस्य के प्रति कोई अपमान की भावना नहीं है परन्तु यदि उनकी भावना को चोट पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।"

खेद प्रकट किया गया है इसे देखते हुए अब यह मामला समाप्त समझा जाए। इसके साथ ही मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि लोक सभा की कार्यवाही का समाचार देते समय अधिक सावधानी बरती जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में गुड़, गन्ने, कपास और सरसों के मूल्यों में कथित गिरावट और चीनी मिल मालिकों द्वारा समझौते का उल्लंघन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर कृषि और सिंचाई मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पंजाब में गुड़, गन्ना, रुई और सरसों के मूल्यों में गिरावट तथा मिल-मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को कम मूल्य देकर करार का उल्लंघन किए जाने के समाचार"।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : हाल ही के महीनों में गन्ने से बनने वाली सभी स्वीटनिंग पदार्थों-चीनी, खंडसारी और गुड़-के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है। पिछले दो महीनों में प्रमुख मंडियों में खुली बिक्री की चीनी के थोक मूल्यों में लगभग 70 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आयी है। कुछ स्थानों पर इससे भी ज्यादा गिरावट आयी है। इसी प्रकार देश के लगभग सभी भागों में गुड के मूल्यों 25—40 रुपये प्रति क्विंटल गिर गए हैं। खंडसारी के मूल्यों में भी लगभग 40—60 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आयी है। स्वीटनिंग-एजेंटों के मूल्यों में गिरावट आने से निस्सन्देह उपभोक्ता को कुछ राहत मिली है क्योंकि ये उपभोक्ता के भोजन की आवश्यक वस्तुएं हैं। इसके साथ-साथ सरकार सदन की चिन्ता को अच्छी तरह महसूस करती है कि मूल्यों में गिरावट इतनी अधिक और द्रुतगति से नहीं होनी चाहिए जिससे किसानों को अलाभकारी मूल्य मिलें।

2. मूलतः पूर्ति और मांग के बीच में असंतुलन चालू चीनी वर्ष 1977—78 के दौरान गन्ने के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हो जाने के कारण पैदा हुआ है। अब तक उपलब्ध सूचना से विदित होता है कि गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र 1976—77 के 29 लाख हैक्टर से बढ़कर 31—32

लाख हैक्टर हो गया है। गन्ने की पैदावार का अनुमान 1650 लाख मीटरी टन लगाया गया था जोकि लगभग 100–110 लाख मीटरी टन ज्यादा होने की सम्भावना है। चीनी उद्योग को चालू मौसम के दौरान कम से कम 52 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है। लगभग 4 लाख मीटरी टन चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होने से 40 लाख मीटरी टन गन्ने की खपत हो जाएगी। लेकिन गन्ने के बीज और चूसने की जरूरतों के लिए व्यवस्था करने के बाद फिर भी लगभग 50 लाख मीटरी टन अतिरिक्त गन्ने की खपत की समस्या बनी रहती है। सरकार इस बात की सम्भावना का पता लगा रही है कि इस वर्ष चीनी उद्योग 520 लाख मीटरी टन से भी अधिक स्तर पर गन्ने की खपत करें।

3. गुड़ के मूल्यों को स्थिर करने के लिए किए गए अनेक उपायों के अंग के रूप में सरकार ने देश से बाहर गुड़ का निर्यात करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) को पर्याप्त मात्रा में गुड़ खरीदने के लिए कहा गया है। प्राइवेट माध्यमों से भी गुड़ के निर्यात की अनुमति दी गई है और गुड़ के निर्यात पर कोटा सीमा और मूल्य प्रतिबन्ध पूरी तरह उठा लिए गए हैं।

4. सरकार ने सल्फर और देसी खंडसारी पर उत्पादन शुल्क में भी भारी कमी कर दी है। उत्पादन शुल्क के औसतन भार में इस कटौती का प्रभाव सल्फर और देसी खंडसारी पर क्रमशः लगभग 10 रुपये और 5 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

5. माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि सरकार ने गन्ना उत्पादकों के जायज हितों की सुरक्षा करने के लिए पग उठाए हैं। भारत सरकार गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य अधिसूचित करने के अलावा, गन्ना उत्पादक खुली बिक्री की चीनी से प्राप्त अधिक राशि को बांटने के हकदार भी हैं। व्यवहार में, चीनी उद्योग द्वारा दिए गए मूल्य का स्तर गन्ना उत्पादक की सांविधिक हकदारी से भी अधिक है। चालू चीनी मौसम के प्रारम्भ में भी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि विभिन्न राज्यों में चीनी उद्योग द्वारा गन्ने के देय मूल्य का स्तर कम से कम पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा जाता है। कुछेक राज्यों में, उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के लिए चालू वर्ष के लिए राज्य द्वारा बताए गए मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 25/ 50 पैसे प्रति क्विंटल अधिक हैं। तथापि, सरकार को मालूम है कि कुछ मामलों में दिया गया गन्ने का मूल्य यद्यपि सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है, पिछले वर्ष में दिए गए मूल्य के स्तर पर नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में मिलों ने यह रवैया अपनाया है कि वे 21–2–1978 से केवल शेयरिंग फार्मूला प्राइस का पालन करेंगे। यह उल्लेख किया जाता है कि खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में तेजी से गिरावट आने के कारण पिछले कुछ समय से कुछ चीनी फैक्ट्रियां अपने उत्पादन की लागत को पूरा नहीं कर सकी हैं। सरकार को इस स्थिति की जानकारी है और स्वयं पहल कर उपचारी उपाय किए हैं ताकि यह कठिनाई दूर की जा सके। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को इस हद तक जाने के लिए गलत सलाह दी गई है जिससे मिलें बन्द हो गयी हैं। क्योंकि सरकार जल्द ही चीनी मिलों की वास्तविक शिकायतों को दूर करेगी इसलिए मैंने उन्हें अपना निर्णय बदलने की सलाह दी है। तथापि, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनके दबाव के आगे नहीं झुकेगी और गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने

के लिए सभी संभव उपाय करेगी। मैं गन्ना उत्पादकों से भी अपील करता हूं कि वे उग्र तत्वों के बहकावे में न आएं जोकि मौजूदा स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

6. जहां तक सरसों के बीज का सम्बन्ध है, दिल्ली और हापुड़ की प्रमुख मंडियों में दिसम्बर, 1977 में इसके थोक मूल्य 370 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में चल रहे थे। फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये मूल्य गिर कर 325 रुपये से 360 रुपये रह गए, लेकिन बाद में ये मूल्य बढ़कर 345 रुपये से 360 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। हालांकि निस्सन्देह मूल्यों में गिरावट की प्रवृति आयी है लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि मूल्यों में इतनी गिरावट आयी है जिससे कोई चिन्ता पैदा हो।

7. जहां तक कपास का सम्बन्ध है, इस बात को मानना होगा कि कच्ची कपास के मूल्यों के बारे में अलग से विचार नहीं किया जा सकता। कच्ची कपास के मूल्यों की प्रवृत्ति के बारे में विचार करते समय हथकरघा सैक्टर सहित कपड़ा उद्योग पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना ही होगा।

8. कपास की विभिन्न किस्मों के बाजार भाव कृषि आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्यों के आधार पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सहाय मूल्यों से काफी ऊंचे चल रहे हैं। वास्तव में, न्यूनतम साहाय्य मूल्य, कृषि मूल्य, आयोग द्वारा 1976-77 के लिए अभिस्तावित मूल्यों से 16 प्रतिशत ऊंचे थे।

9. कपास मौसम 1976-77 (सितम्बर-अगस्त) के दौरान, कपास की घरेलू पैदावार में कमी होने के कारण उसके मूल्यों में अभूतपूर्व ऊंचे स्तर तक वृद्धि हुई। उक्त वर्ष अर्थात 1976-77 के दौरान 59.50 लाख कपास की गाठों के उत्पादन की तुलना में अनुमान है कि चालू वर्ष में कपास का उत्पादन 66 लाख गांठें होगा। उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद, मूल्य पिछले वर्ष अर्थात 1976–77 के दौरान चल रहे मूल्यों के समतुल्य चलते रहे।

10. जब चालू कपास मौसम शुरु हुआ, विभिन्न केन्द्रों में मूल्य न केवल साहाय्य मूल्यों से अधिक चलते रहे बल्कि वे पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि के दौरान चल रहे मूल्यों के भी समतुल्य थे। केवल जनवरी, 1978 के दूसरे पखवाड़े से मूल्यों में गिरावट आनी शुरु हुई। इसका श्रेय इस बात को जाता है कि पंजाब और हरियाणा की 80 से 85 प्रतिशत अनुमानित फसल तब तक बेच दी गई थी और शेष बचा स्टाक जोकि कुल फसल का 10 से 15 प्रतिशत बैठता है को अभी भी बेचना है। बिना बिके स्टाक का अधिकांश भाग बचा-खुचा था और इसके परिणामस्वरूप इस शेष स्टाक के वर्तमान मूल्य का अन्दाजा उसकी किस्म के सन्दर्भ में लगाना होगा।

11. मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मूल्य काफी हद तक मांग और पूर्ति की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। इस समय मांग, कुछ हद तक मुख्यतया इस समय उपलब्ध कपास की किस्म के कारण और क्योंकि उसका पर्याप्त भाग पहले ही बेचा जा चुका है, कुछ हद तक कम है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The problem about cotton is not so serious. But the problem about mustard will become serious on the arrival of new crop. So I demand that Government should declare support price for mustard.

The problem of cane-growers is a national one because there are about 25 million cane-growers in the country. About 80 sugar factories are lying closed in U.P. All the crushers manufacturing khandsari and Gur are lying closed and the farmers are not getting remunerative prices. If this situation continues for some more days the farmers will have to burn their cane which will be very unfortunate for the country. Such a situation did not arise during the last 15 years. The reason is had planning by the previous government. They did not give the required guidance to farmers as a result of which sugarcane was grown in excess land to the cane of 3 lakh hectares. Had they been given timely guidance, the situation would not have been so had. I also want to know what action has been taken by the present government to check steep fall in prices during the last 2 months.

This matter relates to Finance, Commerce and Agriculture Ministries. There should have been co-ordination between these three Ministries. They should have seen that cane growers are not put to trouble. The hon. Minister has stated that they will make some purposes of khandsari and sugar. They have given orders also. May I know the total purchases made so far ? The situation will not improve until purchases on mass scale are not made. When Government can invest Rs. 2200 crore to procure wheat, why cannot they invest Rs. 75 crore to solve the problem of 25 million farmers ? May I know whether any target of purchase of gur and khandsari on man scale has been fixed ? So far as gur is concerned, I admit that Government have got no storing capacity but they can store khandsari very well. All the closed mills in U.P. be reopened. They should purchase sugarcane at reasonable price. I want to know whether Government propose to give them subsidy ? May I know whether U.P. Government or other State Governments have agreed to reduce sales tax or purchase tax as have been directed by Government ?

So far as sugar is concerned, Government have entered into contract with other countries to export sugar to the tune of 8½ lakh tonnes but so far no export of sugar has been made at all.

The Government should fulfill its commitment on exports. In case sugar is decontralled the poor urban population should be subsidised. If the sugar is de-controlled it would be good for the rural people.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : The acute position of sugarcane and sugar prevalent today is due to bad planning of the previous Government. The commodity is not in demand either in India on already. (*Interruptions*)

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : आप सभी एक साथ क्यों बोलते हैं ?

SHRI OM PRAKASH TYAGI : On a point of order. You led premised discussion on this matter. This is an important issue and the farmers of U.P. are affected by it. (*interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रकार शोर करने से समस्या का हल नहीं होता।

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I only want to say that we are aware. In the situation. The issue would be discussed in tomorrow; cabinet meeting (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि कई सदस्य एक साथ उठ जाते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होता।

SHRI UGRASEN (Deoria) : I have received a telegram from sugarcane development Committee Rampura. Deoria. All the mills of Gorakhpur, Deoria and Basti have been closed. The U.P. Government had entered into agreement with the mills to fix the price of sugarcane at Rs. 12.50 from eastern districts and Rs. 13.50 from western districts. Why has that agreement been broken ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

Ten point formula should be adhered to at least for this year. The statutory price of sugarcane fixed @ Rs. 8/50 be raised to Rs. 11.50. The Government should assure the house that sugar would not be sold @ over Rs. 3/- per kilogram. If the excise duty is raised from Rs. 41/- to Rs. 50/- it would yield to the Government 25 crores of rupees.

The Government has exempted the mills from excise duty to the extent of Rs. 85 crores. Similar exemption should be given to khandsari.

श्री मोरारजी देसाई : क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ऐसे भाषण दिये जा सकते हैं ? ऐसा करना नियमों के अनुसार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों का नाम सूची में नहीं है उन्हें समय नहीं दिया जायेगा । संक्षेप में बात करके आप अपना प्रश्न पूछें ।

SHRI UGRASEN : Please withdraw purchase tax on khandsari and direct F.C.I. to purchase gur.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : We would look into the suggestions of the Hon. Member.

SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA (Rampur) : The Central Government has not understood the problem as yet. Had it understand the problem it would have found a solution.

The Hon. Minister of State is himself a farmer. When there is surplus sugar in the country it should be de-controlled.

The Janta Government has promised to do every thing for the rural people.

Today when a farmer of U.P. goes to Mills or Khandsari Mills @ Rs. 5/- per quintal to sell sugarcane he is asked to throw it away.

The Government reduced excise duty from Rs. 60/- to Rs. 40/- per bag. As a result thereof the gap between prices of sugar and Khandsari have been removed. During Congress rule sugar was saled @ Rs. 5/- or Rs. 5/50 per kilogram.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

SHRI RAJINDER KUMAR SHARMA : In this season only 35 per cent sugarcane has been crushed so far and 65 per cent is still left to be crushed. The matter requires immediate decision.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : We are equally concerned in this matter. We want to decide the matter as early as forcible. I have carefully heard the suggestions of the hon. Member.

SHRIMATI CHANDRAVATI (Bhiwani) : We are not fully satisfied with the reply given.

Now Mustard is being sold @ Rs. 300/- per quintal whereas this was being sold @ 450/- to Rs. 600/- per quintal about 2 months back. Big farmers have the power to retain the stocks whereas small famers can not retain their produce and have to suffer.

Similarly the C.C. I has not come up to purchase cotton. Now that ample cotton is being produced in our country its import should be stopped.

The Government should settle the price of cotton two months in advance of the receipt of new crop. If the market prices are below, the Governmnt should go in for its purchas in the market.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : It is not proper to lack at the price of a commodity taking in view the price of the commodity prevalent few months back. It would be proper to examine the price in relation to general price index of course, the cotton prices have fallen. But the fall in price is only from Rs. 180/- to Rs. 177/-.

BUSINESS OF THE HOUSE

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सोमवार 27 फरवरी, 1978 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा

(2) वर्ष 1978–79 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा ।

(3) पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1977 पर सोमवार, 27 फरवरी, 1978 को सायं 6 बजे आगे चर्चा तथा उसे पास करना ।

जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है, वर्ष 1978–79 के लिए सामान्य बजट मंगलवार, 28 फरवरी, 1978 को सायं 5 बजे प्रस्तुत किया जायेगा ।

तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी गई मछलियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 255 के 2 दिसम्बर, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT *RE.* CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 255 DATED 2ND DECEMBER, 1977 *RE.* FISH CATCH FROM COASTAL AREAS OF TAMIL NADU AND KERALA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): Sir, I, on behalf of Shri Arif Beg, would like to correct the reply given with regard to starred question No. 255(a) on 2nd December, 1977. In reply to S.Q. No. 255 (a) dated 2-12-77 a statement was also placed on the table of the House in which information with regard to foreign exchange likely to be available by export of prawns from the ports of Tamil Nadu and Kerala was given. It has been noticed there was a little mistake in providing the figures of foreign exchange likely to be available from export of prawns. The correct information is as under :

year	Foreign exchange earnings from export of prawn through ports of Tamil Nadu (Rs. in crores)
1975	11·42
1976 (interim)	20·43

The above figures may please be substituted in the statement given in reply to part (a).

चीनी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 533 के 23 दिसम्बर, 1977 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

STATEMENT *RE.* CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 533 DATED 23RD DECEMBER, 1977 *RE.* VISIT OF CHINESE DELEGATION TO INDIA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : I, on behalf of Shri Arif Beg would like to correct the reply given with regard to supplementaries to starred question No. 533 replied on 23-12-77. In reply to the supplementaries with regard to starred Question No. 533 given on 23rd December, 1977, it was stated that State Trading Corporation, Indian Engineering Industry Association, Council for promotion of exports of basic drugs and toilet goods participated in 42nd Canton Fair. These organisations

participated in the 41st Canton Fair. The State Trading Corporation, Minerals and Metals Trading Corporation, Hindustan Machine Tools (International and Sale International were the four organisations of Indian public sector who participated in the 42nd Canton Fair. In the same context it also stated the following chinese Corporations were also inserted to India for participation :

(1) China National Light Industrial Products Import and Export Corporation;

(2) China National Metals and Minerals Import and Export Corporation;

(3) China National Machinery Import Export Corporation;

(4) China National Chemicals Import and Export Corporation;

(5) China Technical Import Corporation; and

(6) China National Cereals, Oils and Foodstuffs Export Corporation.

As a matter of fact only the first five Corporation have been invited.

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : श्रीमान जी, मैं श्री आरिफ बेग की ओर से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) मुरैना जिले के बनमौर सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को सेवा से निकालने के समाचार

SHRI CHHABIRAM ARGAL (Morena) : Sir, the management of A.C.C. Cement Factory, Banmore in Morena district of Madhya Pradesh has retrenched 100 workers at the instance of the I.N.T.U.C. union and new workers have been taken in their place. As a result the families of the 100 retrenched workers are facing starvation.

The retrenched workers have submitted a memorandum to the Government and the management. Since their demands are not being considered by the management. the workers have gone on strike. The striking workers have been arrested. This has lead to lot of discontentment among the workers. It should be ensured by the Government that just demands of the workers are accepted otherwise the situation is becoming explosive day by day.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न् भोजन के पश्चात् दो बज कर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at five minutes past two of the clock after lunch.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये ।
MA SPEAKER in the Chair]

(दो) सैंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स लिमिटेड को कथित भारी अग्रिम राशि देने का मामला

डा० बसंत कुमार पंडित : (राजगढ़) मैं सदन का ध्यान सैंट्रल बैंक के माध्यम से कपाड़िया बन्धुओं के अकेले परिवार द्वारा की गई भारी धोखाधड़ी की ओर दिलाना चाहता हूं ।

1975 से 1977 तक की अवधि में कोहीनूर मिल्स की उसको 5.70 करोड़ रुपये की आस्तियों के एवज में 24.18 करोड़ रुपया दिया गया है। सैंट्रल बैंक के चेयरमैन, श्री गुप्ता, जो तत्कालीन रिजर्व बैंक के गवर्नर, और कुछ अन्य अधिकारियों की एक पक्ष के साथ सांठ गांठ हो गई और रिजर्व बैंक के प्राधिकार दिए बिना ही इतनी अधिक धनराशि दे दी। जब यह मामला सदन में उठाया गया तो इसकी जांच करने के लिए घोष समिति नियुक्त की गई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि घोष समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ।

सैंट्रल बैंक की अपनी पूंजी 4.75 करोड़ रुपये प्रदत्त पूंजी के रूप में और 12.86 करोड़ रुपये रक्षित निधि के रूप में है। यह राष्ट्रीयकृत बैंक से भारी निकासी है कि एक ही पक्ष ने इतनी अधिक राशि इस बैंक से निकाली। बैंक को चाहिए कि वह लघु उद्योगों को धन दे ।

हम पिछली सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए आयोग पर आयोग नियुक्त कर रहे हैं, सरकार को गत दो वर्षों के दौरान की गई वित्तीय ज्यादतियों या वित्तीय घोटालों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करना चाहिए। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ इस तरह धोखाधड़ी की गई है और यह तो सबसे बड़ी धोखाधड़ी है सरकार को घोष समिति का प्रतिवेदन सभा में पेश करना चाहिए और ऐसे ऋण देने के लिए जिम्मेदार लोगों को दंड दिया जाना चाहिए ।

(तीन) अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबन्ध

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Firozabad) : An ordinance banning forward trading in Castor Seeds, Alsi and Silver was passed during the emergency. This ordinance came into effect from 5th February. As a result a large number of people engaged in this trade have lost their job.

Before this ordinance came into force legal trade in these commodities was carried on in the centres of Forward Market Commission, namely Bombay, Ahmedabad, Gwalior and Kanpur. But now illegal trade in these commodities is being carried on at hundreds of places whereby Government is losing a lot of revenue. The Government of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have written to the Centre in this regard but it is regrettable that the centre has so far not taken any effective steps in this regard. The black law passed during the emergency should be withdrawn and legal trade in these commodities should be restored so that those who have lost their jobs are taken back.

(चार) सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करके एक एयरबस विमान के बम्बई हवाई अड्डे से रवाना होने का कथित समाचार

श्री सी० एम० स्टीफन : समाचार पत्रों में ये समाचार आये हैं कि एक एयर बस विमान सुरक्षा विनियमों का घोर उल्लंघन करके बम्बई हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। सुरक्षा विनियमों के अनुसार ऐसा सामान जिसके साथ कोई यात्री न हो, हवाई जहाज में नहीं ले जाया जायेगा। लेकिन हुआ यह है कि चार यात्रियों का सामान हवाई जहाज में रखा गया लेकिन उन चारों 'यात्रियों' के बिना ही वह जहाज वहां से रवाना हो गया। पाइलट को यह पता था कि विमान में वे चारों यात्री नहीं हैं फिर भी जहाज वहां से रवाना हो गया।

विमान अपहरणकर्ताओं को रोकने वाले तथा सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी आपत्ति की। पता चला है कि उन्होंने एयर लाईन्स को सूचना दे दी और नियंत्रण स्तम्भ (कंट्रोल टावर) से सम्पर्क स्थापित किया। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि पायलट विमान को कैसे उड़ाकर ले गया। क्या पायलट ने कंट्रोल टावर और एयर लाईन्स को सूचना दी थी? यदि ऐसा अनुदेश दिया गया था तो पाइलट ने अनुदेशों की अवज्ञा क्यों की और विमान को क्यों उड़ाता रहा। ये अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनकी जांच करने और इसके बारे में सदन को सूचना देना अत्यावश्यक है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखनी होती है। अभिभाषण का कुछ भाग अंग्रेजी में पढ़ने से पहले मैंने राष्ट्रपति को दो या तीन मिनट हिन्दी में कुछ पढ़ते सुना है। मुझे हिन्दी नहीं आती। इसलिए मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा जो कुछ उन्होंने हिन्दी में बोला है, वह अंश अभिभाषण में नहीं है। इसलिए सभा के समक्ष पेश किया गया अभिभाषण पूरा नहीं है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि समूचा अभिभाषण सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यह एक संवैधानिक उपबन्ध है। क्या राष्ट्रपति ने अभिभाषण का वह अंश मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना पढ़ा है? यदि हां, तो इसमें सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति नहीं झलकती?

SHRI GAURI SHANKAR RAI (GAZIPUR) : I beg to move :

"That an Address to the President in the following terms :—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 20th February, 1978.'"

It is regrettable that neither the leader of the opposition nor the Deputy leader is present in the House on this important occasion. Parliamentary tradition demands attendance of the leader of opposition and other leaders on some important occasions. If they are unable to come they should inform the Speaker. This disrespect of Parliamentary tradition show that there has been no change in the thinking of the erstwhile ruling Party now sitting in the opposition.

It is my good fortune that I am moving this motion at a time when the present Government has completed one year of their functioning. This has provided me an opportunity to review their activities. The elections of 1977 and the mandate given by the people to this Parliament is an event of great historical significance.

The most important mandate is about amendment of the Constitution. In this respect the Prime Minister has stated that we want to do it by consensus. But the opposition seems to be somewhat hesitant in this regard. Have they not understood the mandate ? If they do not understand words, let them understand the mood of the people and not try to reverse the course of history.

Ours is a federal Constitution in which relations between the Centre and States, between the States and the citizen and between the judiciary, the legislature and the executive have been very well defined. The amendment of the Constitution during the emergency had upset these relations. I am glad that the independence of judiciary has now been restored. But what is even more important is the independence of the Comptroller and Auditor General which had been diluted by the previous rulers and it is that independence which should be restored by the Janata Government.

The Shah Commission has been criticized by some persons which is indicative of the dictatorial tendencies still working outside. It is very wrong and improper to say anything against the Commission even as it is functioning.

C.P.I. has given notice of amendments asking for release of naxalites from jails and for removal of M I.S.A. But their activities during the emergency has shown that they have been completely depoliticalised. They are also opposing prohibition, which is wrong.

The C.P.I. today talks of the rights of the labourers, but it were they who were first supporting the emergency and were a party to abolishing all the rights of labourers. Such depoliticalisation of the Communist Party as has been seen, can never be conceived. They had been blindly supporting the ex-Prime Minister and her son during the emergency and today they have expressed their desire through an amendment the MISA should be removed immediately. It will appeal to my Communist friends to extend their Cooperation in removing the harmful provisions incorporated in the Constitution by the previous Government.

Janata Party believes that Corruption at lower levels can be rooted out only if Corruption at higher levels is removed first. It is for the first time in the history of the world that a legislation has been brought by the Janata Party in our country which provides that even an ordinary citizen can institute a case of Corruption against the Prime Minister. We will have to fight against corruption at every level.

The entire mass media was misused by the previous Government during the emergency. Steps have now been taken to improve the situation. Rather than setting up a Committee. the Government should provide full autonomy to the mass media agencies. The proposed division of 'Samachar' into four agencies is a welcome step, but Government should expedite full implementation of this scheme so that all the four units could start functioning.

The previous Government had been subsidizing industrial houses and the agriculturists were neglected by them. Government should bring a change in this policy and should subsidize the farmers also who form 80 per cent of the population of the country. Only then their purchasing power will increase which will create more market in the country itself and which will prove beneficial for industrial development also.

Land reforms should be implemented in States. Like Andhra Pradesh and Maharashtra also where these have not been carried out so far.

Industries should be set up for the manufacture of small tractors which can be utilised by small farmers. All out efforts should be made to bring about an all round development of villages which have been neglected so far.

A monopoly Commission was set up and a legislation on this subject was also enacted by the previous Government, but nothing is done to improve the distribution system and it is noticed that concentration of economic power in the hands of a few big industrial houses is increasing The M.R.T.P. Act has become somewhat ineffective, as under the definition of Monopoly Houses as given in the Act, fifty percent of the concerns of Tatas and Birlas etc. are not covered. Between 1972-73 and 1975-76 the assets of industrial houses have increased by 41 percent, while no improvement has been seen in the per capita income of the country. This Act should, therefore, be amended suitably to make it effective to check economic concentration in a few hands.

The Sarkar Commission was set up in February, 1970 to inquire into the growth of industrial houses and it is expected that it will give its report within nine months, but the report has not been received so far even after the expiry of 8-9 years.

It is unfortunate that nothing concrete has been done in the field of family planning. Family planning has earned a very bad name during the previous regime. But for the progress of a country, check on its increasing population is a must. Serious attempts should, therefore, be made in this direction.

Improvement of our relations with the countries of Asia and South East Asia is a good sign. It is hoped that with the cooperation of these countries, India will be able to maintain peace in the world.

Defection has been an unhealthy growth in the political field in India. Legislation to prevent defection should be brought expeditiously.

A review of activities of last one year revealed that we have gone a little ahead in changing the history, but still much distance has to be covered.

We should come forward to fight the dictatorial tendencies in the country for the protection of democracy and uplift of the nation. This fight should be conducted at our own level, not on Government level, and through democratic means only.

डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गौरी शंकर राय के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। ग्यारह मास पूर्व हमने इसी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा सभा में की थी। स्थिति में अब परिवर्तन आया है और नागरिक अधिकार बहाल हो गये हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILL AND RESOLUTIONS

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 11वें प्रतिवेदन से, जो 22 फरवरी, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 11वें प्रतिवेदन से, जो 22 फरवरी, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बंदियों का अमानवीय यातनाओं से संरक्षण विधेयक (श्री सौगत राय का)

PROTECTION OF PRISONERS FROM THIRD DEGREE METHODS BILLS

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बन्दियों का अमानवीय यातनाओं से संरक्षण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बन्दियों का अमानवीय यातनाओं से संरक्षण विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सौगतराय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL

(धारा 13 का संशोधन) (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)

SHRI O. P. TYAGI (Bahraich) : I beg to move for leave to introduce a Bill to further amend the Hindu Marriage Act, 1955.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI O. P. TYAGI : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

SHRI O. P. TYAGI (Bahraich) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI O. P. TYAGI : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री उग्रसेन का)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

SHRI UGRASEN (Deoria) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI UGRASEN : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 23क, 23ख, आदि का अन्तःस्थापन) (श्री शरद यादव का)

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpore) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI SHARAD YADAV : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)

SHRI O. P. TYAGI (Bahraich) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI O. P. TYAGI : I introduce the Bill.

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

HOMEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL

(धारा 2 का संशोधन) (डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय का)

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : I beg to move for leave to a Bill to amend the Homeopathy Central Council Act, 1973.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि हौम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : I introduce the Bill.

खान (संशोधन) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

(धारा 3 का संशोधन) (डा० वसन्त कुमार पंडित का)

(AMENDMENT OF SECTION 3)

डा० वसंत कुमार पण्डित : (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान अधिनयम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

डा० वसंत कुमार पण्डित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं :

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक

NATIONAL HOLIDAY ON NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S BIRTHDAY BILL

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : महोदय, मैं इस गैर सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से नेताजी ही भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। यदि सुभाष बाबू ने आजाद हिन्द फौज न बनाई होती तो हमें आजादी इस प्रकार इतनी आसानी और जल्दी न प्राप्त होती। उनकी गति-विधियों और सैन्य संगठन के कारण अंग्रेज हतोत्साहित हो गए थे और उन्हें कांग्रेस दल और महात्मा गांधी की शर्तों को मंजूर करके भारत छोड़ना पड़ा । अत: यह उचित ही होगा कि हमारा राष्ट्र, वर्ष में कम से कम एक दिन उनकी याद ताजा कर ले और उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

मैं नेताजी को उस समय से जानता हूं जब वह बर्मा में थे। मैं भी उड़ीसा से भाग निकला था और 6 रु० प्रतिमास पर रसोइये की नौकरी मैंने कलकत्ता में की थी। फिर मैं 'युगांतर' दल से मिला। उस दल से मुझे नेताजी के कार्यों के बारे में जानकारी मिली। वहां से बर्मा जाने में मुझे सैनिकों ने भी काफी सहायता दी ।

इस तरह सारे देशवासी और सेना भी नेता जी के संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। इसलिए आज उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश अवश्य घोषित किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि आपात काल के उपबन्धों में संशोधन सम्बन्धी मेरे विधेयक का क्या हुआ? मुझे सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में भाग लेने भेजा हुआ था। आपने कहा था कि मेरे विधेयक को वरीयता दी जायेगी। लेकिन उसे नम्बर 3 पर रखा गया है। और यदि समय न बढ़ाया गया तो मेरे विधेयक के लिए केवल एक या दो मिनट का समय ही रह जायेगा। मुझे अपने विधेयक पर चर्चा पुन: आरम्भ करने के लिए 2 मिनट मिलने चाहिए। मुझे यह आश्वासन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम समय सूची का पालन करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : हमारे क्षेत्र का नेताजी से विशेष सम्बन्ध रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 1942 में अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए; जब नेताजी ने पहली बार भारत की उस भूमि पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया।

23 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति ने केन्द्रीय कक्ष में नेता जी के चित्र का अनावरण किया लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के नौकरशाहों ने नेताजी का अनादर किया। लाखों रुपया व्यय करके जीमखाना मैदान में भारत सरकार ने नेताजी की प्रतिमा बनवाई। लेकिन वहां अधिकारियों द्वारा उनकी मूर्ति पर एक भी फूलमाला नहीं चढ़ाई गई। यह एक दुःखद घटना है।

नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना एक गर्व का विषय होगा। इस प्रकार हम देश के महान सपूतों को श्रद्धांजली अर्पित कर सकते हैं। नेताजी हमारे देश के चमकते हुए सितारे थे और उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए जो बलिदान किया है वह अपूर्व है। अतः नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस विधेयक पर चर्चा से हमें देश के महान सपूत को श्रद्धांजली अर्पित करने का अवसर मिलता है। नेताजी का जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ लेकिन यह कहना कि वे केवल उड़ीसा के थे, बहुत संकीर्ण बात होगी। वह तो अन्तर्राष्ट्रीय नेता थे।

नेताजी की महानता और बलिदान के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के नेता को श्रद्धांजली देने का एक मात्र तरीका उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना ही नहीं है। छुट्टी के दिन हम अपना समय आराम में बिता देते हैं। लेकिन इस के विपरीत हमें इस दिन अधिक कार्य करना चाहिए। हमें 8 घंटे के स्थान पर 16 घंटे कार्य करना चाहिए। नेताजी तो कर्मयोगी थे। उनके जन्मदिन पर अधिकाधिक कार्य करके ही हम उन्हे श्रद्धांजली अर्पित कर सकते हैं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : नेताजी निश्चित रूप से विश्व के महान क्रान्तिकारी नेताओं में से थे। कलकत्ता में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते समय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी ऐसे ही शब्द कहे थे। गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि नेताजी का नेतृत्व अद्वितीय था।

नेता जी केवल इसी देश के लोकप्रिय और महान नेता न थे अपितु विदेशों में भी वे प्रसिद्ध थे। विश्व के अनेक देशों में उनकी प्रतिमायें हैं। वर्ष 1975 में अमरीका के हबुकेन नगर को तीन सप्ताह के लिए नेताजी नगर का नाम दिया गया था।

लेकिन दुःख की बात है कि उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। नेता जी का बलिदान महान है। आजाद हिन्द फौज बनाकर उन्होंने दिखा दिया था कि अंग्रेजों के साथ कैसे लड़ा जा सकता है और उन्हें शक्ति द्वारा खदेड़ने की सम्भावनायें भी उन्होंने पैदा कर दी थीं।

मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का सभी स्वागत करेंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूं कि उन्होंने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में नेताजी की चित्र लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव में काफी कारगर योगदान दिया। मैं समझता हूं कि अब आप 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित करने के हमारे प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे।

***श्री राधाकृष्ण डांग** (बदवान) उपाध्यक्ष महोदय, हमने देश की स्वतन्त्रता के लिए महात्मा गांधी के आह्वान को सुना और हम स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। जहां तक स्वतन्त्रता प्राप्ति करने का सम्बन्ध है, उसके लिए हम नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को भी महात्मा गांधी के योगदान से कम नहीं समझते। परन्तु अब देश के लोगों के दिमाग में यह भावना घर कर गई है कि देश की राजनीति में एक ही परिवार के महत्व को स्थापित करने के लिए सुभाष चन्द्र बोस की समृति को मिटाने का नियोजित प्रयास किया जाता रहा है। परन्तु यह प्रयत्न नेता जी के बारे में लोगों के मन में विद्यमान स्थायी भावना के कारण विफल रहा है। पिछले 30 वर्षों से हम भारत की स्वतन्त्रता में सुभाष चन्द्र बोस को वही स्थान देते जो महात्मा गांधी को मिला हुआ है तो ठीक था। आज यदि हम सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर छुट्टी की मांग करते हैं तो यह 70 करोड़ लोगों की उचित मांग है। यह मांग कर के हम सरकार से किसी प्रकार की भीख अथवा कृपा करने को नहीं कह रहे।

हम स्वतन्त्रता से पहले नौजवानों को देश के युवकों को दिए गए आह्वान को नहीं भूल सकते। युवकों ने उस आह्वान का प्रत्युत्तर दिया और अपना खून देने को तैयार हो गए और उसी के फलस्वरूप अन्त में हमें स्वतन्त्रता मिली। नेता जी ने युवकों को धोखा नहीं दिया और उसके बदले में कुछ नहीं चाहा। वर्तमान और भूत को देखने पर पता चलता है कि अपना बलिदान दे कर नेता जी नें स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि आज के नेता अपने त्याग के बदले अपना घर भरना चाहते हैं। आज के नेताओं और नेता जी में यही अन्तर है। अत: मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि नेता जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित करने की देश के लोगों की मांग को स्वीकार करें। सरकार देश के युवकों की भावना को समझे और गृहमन्त्री उनकी मांग को स्वीकार करें।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप श्री समर गुह से भी पूछ लीजिये कि वह उत्तर देने में कितना समय लेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने विधेयक की आवश्यकता को समझाने के लिए 1 घन्टे 25 मिनट का समय लिया है अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लूंगा ही। यदि मन्त्री महोदय मान जायें तो मैं एक मिनट भी नहीं लूंगा।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी का अनुवाद संक्षिप्त रूपान्तर।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : केवल 10 मिनट, इधर उधर हो सकता है।

***श्री शक्ति कुमार सरकार** (जयानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश जिसे घोषित करने के प्रस्ताव का सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। इस मामले पर लम्बी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत के जीवन तथा राजनीति में नेता जी का योगदान अद्वितीय है। आम तौर पर हम महात्मा गांधी को ही इस देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। किन्तु यदि किसी नेता को सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति तथा लोकप्रियता मिली है, तो वह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ही है। नेता जी के रूप में सुभाष चन्द्र बोस के आगमन और उनकी आई० एन० ए० का इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से गहरा सम्बन्ध है।

नेता जी ने हमें न केवल स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सबल बनाया बल्कि उन्होंने समूचे विश्व में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद को समाप्त करने का भी प्रयास किया। आजाद हिन्द फौज के निर्माण के साथ ही अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में व्यापक रूप से जागरूकता पैदा हुई और उसके बाद उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की। अतः नेता जी के प्रयासों से न केवल हमारा ही देश आजाद हुआ बल्कि उन्होंने उपनिवेशवाद से कई अन्य देशों को भी मुक्त करने में सहायता की।

राष्ट्र के इस महान व्यक्ति को आदर तथा श्रद्धांजली पेश करने में हमें किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए। गृह मन्त्री को भारत के इस महान सपूत नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित करके स्वयं सम्मान प्राप्त करना चाहिए।

श्री सैयद काजिम अली मिर्जा (मुर्शिदाबाद) : अल्पसंख्यक लोग भी श्री सुभाष चन्द्र बोस को एक महान् नेता मानते हैं। देश के सबसे बड़े देशभक्त को श्रद्धांजली अर्पित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे संसदीय इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होगी। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान नेताजी ने यह कभी महसूस नहीं किया कि वह राष्ट्र के लिए अपना खून दे रहे हैं।

श्रीमान जी, ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी शासकों द्वारा साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दिया गया। हिन्दू मुस्लिम एकता संघ बनाया गया और नेताजी उस संघ के एक सदस्य थे। नेताजी ने उस समय धर्म, वंश तथा जाति का भेदभाव भुला कर एकता बनाये रखने का आह्वान दिया। मेरी तो यह मान्यता है कि यदि नेताजी होते तो सम्भतः बंगाल का विभाजन न होता। हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदाय नेताजी का बहुत सम्मान करते थे। मैं प्रस्तुत विधेयक लाने के लिए माननीय मित्र श्री समर गुह को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसके माध्यम से हमें देश के एक महान व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिला है।

---

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised transiated vension based on English translation of the speech delivered in Bengali.

इनका नाम बंगाल के भावी इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा जायगा कि इन्होंने महान राष्ट्रीय नेताओं का आदर किया है ।

*श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे देश के इस महानतम सपूत के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है । मुझे सुभाष चन्द्र बोस, जो केवल राष्ट्र नेता न होकर अन्तर्राष्ट्रीय नेता थे, के प्रति श्रद्धान्जली अर्पित करते हुए, अपार प्रसन्नता हो रही है । कितना ही अच्छा होता यदि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस एक अच्छी भावना से मानाया जाता हमारे देश में पहले से ही सभी धार्मिक पुरुषों तथा राष्ट्र निर्माताओं के जन्म दिवस के अवसर पर अवकाश होता है । धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र में सभी धार्मिक पुरुषों को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है । लेकिन न जाने क्यों लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल तथा शिवाजी जैसे नेताओं को केवल क्षेत्रीय दर्जा दिया गया है ।

पिछले वर्ष 23 जनवरी को नेताजी जयन्ती के दिन जनता पार्टी के बनने की घोषणा की गई थी और उसके बाद एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई जिसका समस्त विश्व द्वारा स्वागत किया गया । नेताजी को ठीक ही भारतीय क्रांति का जन्मदाता कहा गया है । यह एक विचित्र संयोग है कि नेताजी के जन्म दिवस के दिन ही जनता पार्टी बनी ।

अत: हम सबको सर्वसम्मति से यह निर्णय करना चाहिए कि हम नेताजी जयन्ती को राष्ट्रीय क्रांति दिवस अथवा राष्ट्रीय श्रम दिवस अथवा राष्ट्रीय युवक दिवस के रूप में मनायेंगे । उस दिन सरकारी कार्यालय बेशक न बन्द रखे जायें । उस दिन रोजमर्रा के काम न करके नेताजी के आदर्शों और क्रांति की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को समारोह के आयोजन का विशेष कार्य सौंपा जाए । अत: उनके जन्म दिवस पर मात्र छूट्टी करने के बजाये हमें उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए । जनवरी 1977 में जनता पार्टी के आविभाव को मनाने तथा नेताजी के जन्म दिवस को मनाने के लिए उस दिन कार्यालयों में काम की छुट्टी होनी चाहिए तथा इस दिन को राष्ट्रीय क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए ।

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Firozabad) : I associate myself with the sentiments expressed by the mover of the Bill. Next to Gandhi, it was Netaji Subhash Bose whose contribution in attaining freedom for th ecountry was the highest. Netaji was deadly against conlonial rule; he wanted complete independence for the country. His untiring efforts and exemplary sacrifice to drive out Britishers from the country could not be forgotten. He rightly said that any means adopted to drive out foreign rulers from the soil of this country were fair. It was not a question of movement being violent or non-violent; his main objective was to obtain freedom for the country and his contribution to obtain that freedom was unparalleled in the history of India. It was, therefore, quite advisable that the birthday of Netaji be declared a national holiday.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (Shri Charan Singh) : This Bill is concerned with a delicate subject which is related with the sentiments and feelings of the people. There could not be two opinions about the fact that Netaji was immortal and his contribution to the attainment of freedom for the country was unparalleled in the history of India. But the main question is what difference it will make if his birthday is declared national holiday and will it not create other problems for the Government. Though I agree fully with the sentiments expressed by the mover of the Bill, I will request the mover to reconsider the question. There are also other great leaders like Tilak, Dr. Ambedkar, Nehru etc. who contributed to the attainment of freedom of the country.

But it is a delicate question to compare the sacrifice of one leader with that of the other. It does not mean that the sacrifice of Netaji was lesser than that of any leader Then, there is also a question as to why the birthday of political leaders only should be declared national holidays. Why not the birthdays of religious leaders like Swami Dayanand or Vivekanand should be declared national holidays ?

We have recognised only the birthday of father of nation as national holiday and it is quite fair. If we observe the birthdays of other leaders also as national holidays, even the birthday of Mahatma Gandhi will lose all its significance.

We have the largest number of holidays in our country as compared to other countries. But the fact is that declaring one more holiday will only benefit a few office going people. But the majority of people will not be benefited by it.

It is said that Netaji's birthday is not declared a national holiday on account of certain prejudices. But I would like to assure that nobody has any prejudice in that regard. I have no intention to oppose this suggestion but it is a matter of larger interest. Even if I agree to it, it is doubtful whether I will be able to prevail upon the Cabinet. Therefore, I will request the move of the Bill that in view of the difficulties being faced by the Government, he should withdraw his Bill.

श्री समर गुह (कन्टाई): मैंने गृह मंत्री जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है लेकिन खेद है कि वर्तमान सरकार भी नेताजी के योगदान को समझने में असफल रही है। मैंने अपने भाषण में भाग्य निर्माता और महान आदमी के बीच अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। भाग्य निर्माता के गुणों वाला व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए आता है और उसमें आंतरिक प्रेरणा ओतप्रोत होती है। वह अपने पीछे सन्देश छोड़ जाते हैं। वे देश की सीमाओं से परे भी पूज्य होते हैं और उनके गुणों का लाभ समस्त मानवता के लिए होता है। यह सही है कि हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं किंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि नेताजी एक अनोखे नेता थे जिन्होंने एक पृथक् मार्ग अपनाया।

जहां तक भारत की स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है उसमें दो व्यक्तियों का योगदान अतुलनीय रहा है। उनमें से एक थे गांधी जी तथा दूसरे व्यक्ति थे नेता जी। इन दोनों का योगदान मौलिक कहा जा सकता है। एक ने सत्याग्रह प्रणाली से और दूसरे ने क्रान्तिकारी शक्ति के प्रयोग से ऐतिहासिक भूमिका निभायी।

पिछले 30 वर्षों से देश में जो शासन चल रहा था उसने नेताजी के महत्व को कम करने के लिए भरसक प्रयत्न किये उन राजनीतिक नेताओं ने ऐसा दर्शाया मानों नेताजी ने कोई कार्य ही नहीं किया था। उनके जन्म दिन को सरकारी तौर पर कभी कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन देश की जनता ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। लोगों के दिलों में वे राज करते रहे।

नेता जी अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानन्द से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि "विवेकानन्द मेरे जीवन में प्रवेश कर गये हैं"। उन्हें विश्वास था कि भारत निरन्तर उन्नति करेगा और वह समस्त विश्व को सन्देश देगा।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नेताजी ने एशियाई लोगों को क्रान्ति के लिए प्रेरित किया। क्वालालमपुर में नेता जी के जन्मदिवस के अवसर पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा कि नेता जी ने न केवल भारत को ही आजाद कराया बल्कि पाकिस्तान को भी उन्होंने स्वतन्त्रता दिलाई। दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिकांश देशों को मुक्त कराने में वह प्रमुख रूप से प्रेरक कहे जा सकते हैं।

नेताजी वामपंथ के मुख्य निर्माता थे जिन्होंने भारत में एक आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक सिद्धान्त के युग को जन्म दिया। नेताजी स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोजना के जनक थे। भारतीय लोगों में एकता पैदा करने वालों में नेताजी अग्रणी थे। वह भारतीय क्रान्ति सेना के सर्वोच्च कमांडर थे। उनसे हमारी भावी पीढ़ी सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। नेताजी इस विचार की सजीव कल्पना थे जिसने हमारे देशवासियों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि भारत को अपना लक्ष्य पूरा करना है। यही कारण है उनकी तुलना देश के महान व्यक्तियों के साथ नहीं की जा सकती। वे तो भाग्य निर्माता थे। यदि हम उनकी तुलना देश के अन्य महान व्यक्तियों से करेंगे तो हम उनका ठीक-ठीक मूल्यांकन न कर पायेंगे।

नेताजी ने हमें महान संदेश दिया है। क्या हम नेताजी के बहुमूल्य विचारों की खोने देंगे। उनके विचार राष्ट्रीय धरोहर हैं। वे हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनका विश्वास था कि भारत में भी क्रान्ति होगी और वह अन्य देशों की क्रान्तियों से भिन्न होगी। हमारे विचार भौतिकवाद पर आधारित नहीं।

इस संत ने भारत की स्वतन्त्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के स्वप्तन को दिल में संजोये रखा और स्वयं को उस क्रान्ति के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने आपको व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए समर्पित कर दिया। वह चाहता था कि भारतीय लोग उसे न तो संत के रूप में और न ही नेता के रूप में याद करें और न ही एक क्रान्तिकारी के रूप में देखें अपितु वे उसे एक तीर्थयात्री के रूप में याद करें जो मातृभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा।

यह एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है। जनता सरकार को अपने विचार में परिवर्तन करना चाहिए। 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश अवश्य घोषित किया जाये। अभी मुझे श्री चरण सिंह से जो नोट प्राप्त हुआ है उससे मुझे आश्वासन मिला है कि विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अवश्य कोई सूत्र निकाला जायेगा। मैं विधेयक वापस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Bill was by leave withdrawn.

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) विधेयक

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS (ALTERATION OF NAME) BILL

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : यह विधेयक अंडमान निकोबार का नाम बदल कर स्वराज द्वीप करने के लिए है। इस विषय में एक बार सभा में पहले भी चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि सभा किसी स्थान, शहर, राज्य अथवा द्वीप का नाम नहीं बदल सकती और परिवर्तन करने का काम उसी स्थान, शहर, राज्य या द्वीप के प्रतिनिधियों का है। मैं इस मामले को परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखूंगा। यदि ये प्रतिनिधि सदस्य द्वारा सुझाया गया नाम स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का नाम बदल कर शहीद और स्वराज द्वीप रखने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं चाहता हुं कि इस विधेयक पर सभा में विस्तार से विचार किया जाये। पहले जब ऐसा प्रस्ताव सभा में आया था तो सभा ने एक मत से उसका समर्थन किया था। दिसम्बर, 1943 में जब नेता जी ने पोर्ट बलेयर का दौरा किया था तो अण्डमान का सेलूलर जेल भी देखा था। उसके बाद उन्होंने पोर्ट बलेयर के मैदान में एक विशाल रैली की और उस रैली में नेताजी ने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखने की घोषणा की थी।

अनेक नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान किया था। शहीदों के सम्मान में नेताजी ने इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। इस मामले पर पहले भी चर्चा हुई थी और सभा का मतैक्य था कि नेताजी ने जो नाम दिया था वह स्वीकार किया जाना चाहिये।

इस मामले पर लोगों के जो लोकतांत्रिक विचार हैं उन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि चौधरी साहब, लोगों की राय किस ढंग से लेना चाहेंगे। इन द्वीपों पर आजादी का झंडा सर्वप्रथम लहराया गया था। अतः यह नाम उचित ही है।

श्री चरण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की परामर्श दात्री समिति अब जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करती है। उसमें वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य हैं। मैं श्री गुह को समिति की बैठक में बुलाऊंगा। वहां वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : "अंडमान निकोबार" इतिहास में एक पुराना नाम है और देश के इस भाग में 6 प्रकार के जनजाति के लोग रहते हैं। पर वहां कुछ अन्य लोग भी हैं जिन को अब तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। गृह मंत्री की परामर्शदात्री समिति की ही नहीं बल्कि वहां के लोगों की राय ली जानी चाहिये।

श्री समर गुह : माननीय गृह मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखने वाले विधेयक को वापस लने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Bill was, by leave, withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

MOTION *RE* CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 352 का संशोधन) के बारे में प्रस्ताव

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): यह विधेयक संविधान के आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। यह विधेयक संवैधानिक तथा प्रजातंत्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार यह विधेयक स्थगित किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस प्रस्ताव चर्चा कि 'भारत के संविधान का और संशोधन करने वाल विधयक पर विचार किया जाए' जो 18 नवम्बर 1977 को स्थगित की गई थी, अब पुनः आरम्भ की जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

"कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कि 'भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये' जो 18 नवम्बर, 1977 को स्थगित की गयी थी, अब पुनः आरम्भ की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)

CONSTITUTION AMENDMENT BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 352)

सभापति महोदय : विधेयक पर चर्चा से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिये नियत काफी समय पहले ही लिया जा चुका है। बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब मंत्री महोदय बोलें और श्री कामत उसके बाद उत्तर दें।

प्रो० पी० जी० (मावलंकर गांधीनगर) : चर्चा का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : प्रतीत होता है कि इस पर बोलने वाले कोई भी माननीय सदस्य नहीं हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे विश्वास है कि इस पर अनेक माननीय सदस्य बोलेंगे जो इस समय यहां नहीं हैं। इसलिये समय एक घंटा बढ़ाया ही जाये।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय बोलेंगे, लेकिन सभा 5.30 म० प० पर स्थगित हो जायेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की इच्छानुसार मैं मंत्री महोदय को इसी समय हस्तक्षेप करने के लिये कह रहा हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : सन्तोष की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं में से एक ने इस विधेयक के द्वारा आपात स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। सरकार प्रस्तावक तथा अन्य सदस्यों की उत्सुकता में सहभागी है, जिन्होंने कि इस विधेयक पर विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि हममें से कोई भी पुनः आपात स्थिति के उन 19 काल महीनों की अवधि को नहीं देखना चाहता जिनसे यह देश गुजरा है। इस बात को देखते हुए भी देश 19 महीनों के काले दिनों से निकला है। हम पुनः उस स्थिति को नहीं

दोहरा सकते । यह आवश्यक है कि हम अपने संविधान में विद्यमान किसी त्रुटि को देखें। श्री कामत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस विधेयक के द्वारा, जो कमियां हैं, उन पर प्रकाश डाला है ।

सरकार को इस समस्या का पहले से ही पूरा पता है । सरकार विभिन्न परिवर्तनों पर गहराई से विचार कर रही है, जोकि संविधान में किये जाने हैं। ऐसा केवल 42वें संशोधन के बारे में ही नहीं करना बल्कि अन्य बातों को भी ध्यान में रखकर करना है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि कुछ संरक्षण होने चाहिये । यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिय कि कोई भी सरकार कभी भी संविधान को उस ढंग से नष्ट नहीं करेगी जिस ढंग से इसे आपात स्थिति के दौरान नष्ट किया गया था । इसलिये संस्थागत संरक्षण होने चाहियें ।

संविधान के अनुच्छेद 352 का ही संशोधन नहीं करना है। यदि लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो आपात स्थिति से सम्बन्धित कई बातों पर विचार करना होगा और सरकार उन बातों पर विचार भी कर रही है।

सरकार ने दोनों ही सदनों के विभिन्न दलों से यथासंभव विस्तृत रूप से विचार विमर्श का काम आरम्भ कर दिया है । कई बैठकें भी हो चुकी हैं, किन्तु अभी और बैठकें भी होंगी, क्योंकि उस बैठक में एक प्रारूप विधेयक पर विचार किया जायेगा और उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा । तत्पश्चात् आपात स्थिति से सम्बन्धित उपबन्धों के बारे में एक संविधान विधेयक भी सभा में पेश किया जाएगा ।

विधयक में भी श्री कामत ने पहले यह प्रस्ताव किया कि "आन्तरिक गड़बड़ी" शब्दों के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द पुरःस्थापित किया जाय। जहां तक परिवर्तन की भावना का सम्बन्ध है सरकार इस परिवर्तन की इस भावना से पूरी तरह सहमत है । यह तो भाषा की बात है कि कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। सरकार के विचाराधीन "सशस्त्र बगावत" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द है ।

दूसरा यह परिवर्तन करने की बात कही गई है कि संसद् द्वारा आपात स्थिति की उद्-घोषणा के अनुसमर्थन के लिये दो महोनों की बजाये एक महोने की अवधि रखी जानी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त जिस अन्य परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, वह बहुमत का प्रश्न है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिये कितने बहुमत की उपेक्षा होगी । प्रस्तावक का सुझाव है कि यह बहुमत कुल सदस्यों को दो तिहाई होना चाहिये और सभा में उपस्थित सदस्यों का तीन चौथाई होना चाहिये । इस बारे में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आपात-कालीन स्थिति को स्वीकार किया जाना है तो बहुमत अधिक होना ही चाहिये। अनुच्छेदा 368 की व्यवस्था भी यही है कि संविधान में संशोधन करने के लिये पूर्ण बहुमत होना चाहिये ।

सरकार का विचार भी यही है कि इसके लिए साधारण बहुमत नहीं होना चाहिये, पूर्ण बहुमत होना चाहिये । सदन की संख्या के दो तिहाई बहुमत से कम नहीं होना चाहिये और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को भी दो तिहाई बहुमत ही होना चाहिये। यही व्यवस्था संविधान संशोधन के लिये है और यही व्यवस्था आपातकालीन स्थिति की स्वीकृति के सम्बन्ध में होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 27 फरवरी, 1978/8 फाल्गुन 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, 27th February, 1978 Phalguna 8, 1899 (Saka).

1244 एल एस एस/77–G.I.P.F.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]